रिपोर्ट संख्या –22

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी

राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा उनके सरलीकरण–शिथलीकरण हेतु सुझाव

मार्च, 2024

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं जबकि पहाड़ी जनपदों में यह संख्या लगभग 80 प्रतिशत है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा रहते हैं तथा कोविड़–19 के प्रकोप के बाद वापिस आये हुए हजारों प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। स्वरोजगार को सुदृढ़ करने के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को तेजगति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाऐं संचालित की हैं। इनमें प्रमुखतः कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, ग्राम्य विकास, डेयरी विकास, पर्यटन एवं उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड की 6वीं बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा इन योजनाओं के सरलीकरण एवं शिथलीकरण हेतु सुझाव देने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

इसी क्रम में आयोग द्वारा संबंधित विभागों के साथ बैठकें आयोजित की गयी, आयोग के सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कर रहे स्थानीय निवासियों/उद्यमियों से वार्ता की गयी, सभी जनपदों तथा अधिकांश विकास खण्ड़ों में बैठकें की गयी एवं ग्रामीण स्वरोजगार कार्यशालाऐं जिनमें पौड़ी में (जनपद पौड़ी, चमोली एवं रूद्रप्रयाग के लिये), हल्द्वानी में (जनपद बागेश्वर, नैनीताल एवं अल्मोड़ा के लिये), रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में (जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं ऊधमसिचंह नगर के लिये) एवं देहरादून में (जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार के लिये) आयोजित की गयी।

यह रिपोर्ट उक्त प्रक्रिया के पश्चात् तैयार की गयी है तथा स्वरोजगार की योजनाओं के सरलीकरण एवं शिथलीकरण में उपयोगी होगी। फलस्वरूप राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को कम करने में भी लाभ मिलेगा। आयोग अपने अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन; श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रीमती राधिका झा, सचिव, ग्राम्य विकास, विभिन्न विभाग एवं जनपदों के अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी, माननीय सदस्य (श्रीमती रंजना रावत, श्री रामप्रकाश पैन्यूली, श्री सुरेश सुयाल, श्री दिनेश रावत 'घण्डियाल' एवं श्री अनिल सिंह शाही), ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड श्री राजेन्द्र सिंह रावत, सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, श्री जी.एस.खाती, मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग, श्री ए.के. राजपूत, उपायुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, श्री गजपाल.चन्दानी, शोध अधिकारी ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग तथा श्री भूपाल सिंह रावत, वैयक्तिक सहायक द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथक प्रयासों के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता है।

मार्च, 2024

डॉ शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

अन्तर्वस्तु

अध्याय 01. कृषि विभाग	1–14
अध्याय 02. पशुपालन विभाग	15–19
अध्याय 03. सहकारिता विभाग	20–25
अध्याय 04. दुग्ध विकास विभाग	26–29
अध्याय 05. मत्स्य विभाग	30–42
अध्याय 06. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	43–58
अध्याय 07. उद्योग विभाग	59–68
अध्याय 08. ग्राम्य विकास विभाग	69–76
अध्याय 09. चाय विकास	77–82
अध्याय 10. पर्यटन विभाग	83–85
अध्याय 11. उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	86
अध्याय 12. उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (UREDA)	87–89
अध्याय 13. भेड़ एवं ऊन विकास	90–95
अध्याय 14. सिफारिशें	95–101

कृषि विभाग

राज्य का अधिकांश क्षेत्र जंगलों और बंजर भूमि के अधीन है। प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 6,20,629 है0 (वर्ष 2020–21) है।

कुल में से, लगभग 89% छोटे और उप सीमांत के अधीन हैं। चूंकि बड़ी संख्या में क्षेत्र छोटी और सीमांत जोत के अधीन है, अतः अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, और इसलिए उत्पादन की प्रति इकाई लागत अधिक है। तराई क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और कई फसलों का समर्थन करती है। रसायनों के अंधाधुंध उपयोग और भूजल के अत्यधिक दोहन से इस क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र खड़ी ढलानों के कारण लगातार मिट्टी के कटाव का शिकार होता है, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाता है, जिसे बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य में, किसान आम तौर पर दो प्रकार की कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं अर्थात वर्षा आधारित और सिंचित। राज्य में काफी कृषि वर्षा आधारित है। राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 3.38 लाख हेक्टेयर (2009–2010) है। राज्य के लिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र से शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 45 प्रतिशत है। इसलिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य की फसल सघनता भी बढ़ेगी। ये वैकल्पिक स्रोत वर्षा जल संचयन, चेक डैम, लिफ्ट सिंचाई के लिए हाइड्रैम आदि हो सकते हैं। बेहतर जल प्रबंधन के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में काफी परिवर्तनशील है। नतीजतन, कृषि परिदृश्य एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। (क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता 2010–11) दूसरी ओर जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल (मैदानी) एवं देहरादून (मैदानी) की उत्पादकता बहुत अधिक है। पहाड़ी क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम है, हालांकि घाटियाँ उपजाऊ हैं। मैदानी और पहाड़ी कृषि एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि मैदानी क्षेत्रों में उत्पादकता की तुलना देश के कृषि रूप से विकसित क्षेत्रों से की जा सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत पीछे है। हरित क्रांति ने राज्य के मैदानी क्षेत्र की कृषि प्रणाली को अत्यधिक लाभान्वित किया था जबकि इसने पहाड़ी क्षेत्र की उपेक्षा की है। कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए जैविक खेती, कृषि के विविधीकरण, कटाई के बाद की तकनीकों, बाजार के हस्तक्षेप को मजबूत करने और कृषि मशीनरी के उपयोग का भी एक अच्छा अवसर है।

सामान्य सूचनाएं (वर्ष 2020–21 के आधार पर) स्त्रोत– राजस्व, उत्तराखण्ड।

मद	विवरण	प्रतिशत
1. प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	53483 वर्ग कि0मी0	
(अ) पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल	46035 वर्ग कि0मी0	77
(ब) मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल	7448 वर्ग कि0मी0	12
2. वनों का क्षेत्रफल	3811662 हैक्टेयर	64
3. कुल परती भूमि	191013 हैक्टैयर	3.18
4. वास्तविक कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल	620629 हैक्टैयर	10
(अ) पर्वतीय कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल	अ327942 हैक्टेयर	52.84
(ब) मैदानी कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल	292687 हैक्टेयर	47.16

5. वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल	321576 हैक्टैयर	51.80
(अ) पर्वतीय कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	38136 हैक्टेयर	11.86
(ब) मैदानी कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	283440 हैक्टेयर	88.14
6. फसल सघनता	–	160.62
7. कुल कृषि जोत	881305	–
8. लघु एवं सीमान्त जोत	807877	92
9. अन्य जोतें	73428	8
10. कृषि वृद्धि दर (current) 2021–22*		2.85

प्रदेश में स्थानीय फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडें
(वर्ष 2021–22)

क्र0स0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	उत्पादन (मै0 टन में)	उत्पादकता (कु0 प्रति है0)
1.	मण्डुवा	85880	126916	14.78
2.	सॉवा/झंगोरा	40814	65429	16.03
3.	मक्का	21012	52236	24.86
4.	रामदाना	5873	7491	12.75
5.	उर्द	13132	15793	12.02
6.	गहत	12224	12924	10.57
7.	तोर/अरहर	3121	3327	10.66
8.	राजमा	5884	6976	11.86
9.	भट्ट	7983	9564	11.98
10.	मसूर	9448	8264	8.75

उत्तराखण्ड में क्रापिंग पैटर्न

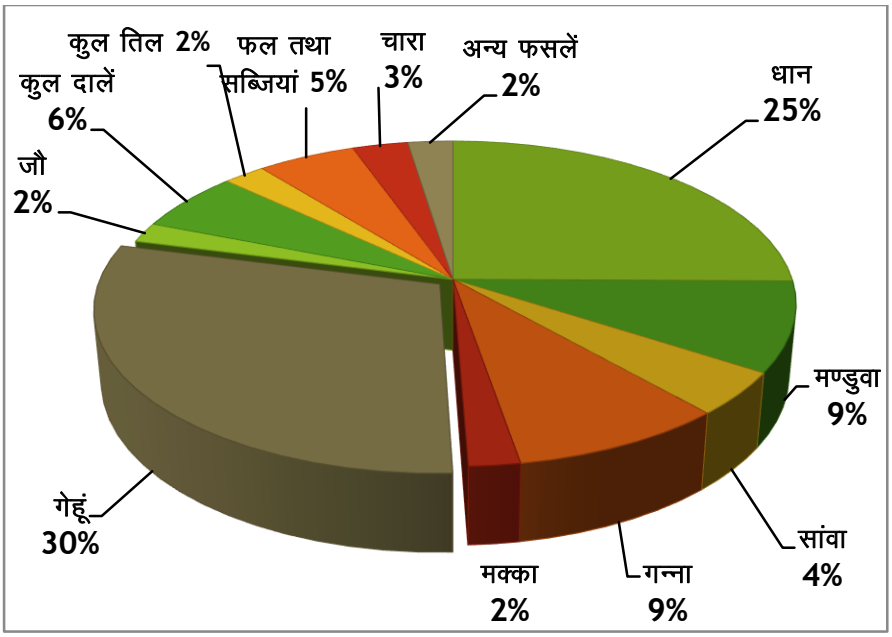

प्रमुख योजनाऐं/कार्यक्रम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (**PM-KISAN**)

- किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत वर्तमान में सक्रिय किसानों की संख्या 8.96 लाख है तथा अब तक कृषकों को रू0 1903.68 करोड़ धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- योजनान्तर्गत प्रदेश में अब तक 2083 कृषक पंजीकृत हो चुके है।

किसान क्रेडिट कार्ड (**K.C.C**)

- प्रदेश में 784079 किसान क्रेडिट कार्ड (K.C.C.) लाभार्थी है।
- किसान क्रेडिट कार्ड धारको को बिना ब्याज के अधिकतम रु0 तीन लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

प्रमुख योजनाऐं/कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार–**RKVY**

- गुणवत्तापूर्ण आदानों की आपूर्ति, बाजारों की सुविधा आदि कृषि संरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करना।
- कृषि उद्यमिता को बढ़ावा और किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु कारोबारी मॉडलों को सहयोग प्रदान करना।
- कृषि एवं संवर्गीय क्रियाकलापों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि और सहवर्गीय क्रियाकलापों के नियोजन व निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन तथा स्वायत्तता प्रदान करना।

2. एकीकृत बहुउद्देश्यीय जल सम्भरण परियोजना

1. योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2012–13 से संचालित की जा रही है।

2. कुल निर्मित टेंको की संख्या– 1170

3–उद्देश्य. :–

- भूमि, जल एवं मानव संसाधन का अनुकूल उपयोग करते हुये कृषि उत्पादन में फसल, सब्जियों, तथा एकीकृत फसल वृद्वि प्राप्त करना
- सिंचन क्षमता का सदुपयोग करना।
- फसल विविधीकरण यथा– मत्स्य पालन, पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन, औद्यानिकी, चारा आदि के माध्यम से कृषकों की आय तथा स्वरोजगार उत्पन्न होगा।
- योजना के मद– पक्का जल सम्भरण टैंक, मुर्गी पालन, पौध रोपण, पॉली हाऊस के साथ सूक्ष्म सिचांई, चारा उत्पादन, मत्स्य आदि।

3. पर्वतीय क्षेत्रों मे बीज उत्पादन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पर्वतीय बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- बीज गोदाम एवं विधायन सयंत्र– चार बीज विधायन सयंत्र एवं गोदाम की स्थापना कृषक समूह हेतु की जा रही है।
- बीज गोदाम एवं विधायन सयंत्र– चार बीज विधायन सयंत्र एवं गोदाम की स्थापना कृषक समूह हेतु की जा रही है।

क्र0स0	वर्ष	उत्पादित मात्रा (कु0 में)
1	2017–18	304
2	2018–19	1565
3	2019–20	2946
4	2020–21	2369
5	2021–22	2068
6	2022–23	4500 (सम्भावित)

4. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन

- फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य आवश्यकतानुसार कम कीमत/किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना।
- प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को कृषि यंत्रो के उपयोग हेतु जागरूक करना।
- उच्च गुणवत्ता के यंत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की गुणवत्ता परीक्षण कराना ।
- वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों की फार्म पावर 3.50 kw/Ha एवं पर्वतीय क्षेत्रों की फार्म पावर 0.50 kw/Ha को अधिक से अधिक बढ़ाना।

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन–फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर

क्र.सं.	जनपद	समूह संख्या	ग्राम पंचायत संख्या	स्थापित कस्टम हायरिंग सेन्टर/फार्म मशीनरी बैंक की संख्या		समूह के खाते में किराए से अर्जित धनराशि	किराए पर यंत्र लेने वाले लाभार्थियों की संख्या
				समूह के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या	समूह द्वारा क्रय किए गए यंत्रों का विवरण		
1	2	3	4	5	6	9	14
1	पौड़ी	240	240	1228	2442	4797820.00	6465
2	टिहरी	255	250	1993	5525	2351384.00	2596
3	चमोली	140	140	694	2502	2711000.00	3402
4	उत्तरकाशी	130	125	901	2362	52300.00	4465
5	रूद्रप्रयाग	53	49	396	752	2796000.00	2530
6	देहरादून	181	178	399	1115	4572000.00	5144
7	हरिद्वार	94	94	1066	493	1334160.00	4803
8	नैनीताल	339	335	1825	6582	9107000.00	17736
9	अल्मोड़ा	155	150	1353	2042	3988000.00	2380

10	पिथौरागढ़	180	176	10013	1514	0.00	7413
11	उधमसिंहनगर	133	133	918	555	0.00	2175
12	चम्पावत	69	65	77	1954	44500.00	80
13	बागेश्वर	84	80	732	1377	5168887.00	2288
कुल योग		**2053**	**2015**	**21595**	**29215**	**36923051**	**61477**

नोट– वर्ष 2030 तक समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

5. स्टेट मिलेट मिशन

राज्य की मिलेट फसलों यथा मण्डुवा, सॉवा आदि को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेट मिलेट मिशन की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके अनुसार निम्न कार्यपद है–

क) उत्पादन – नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन (SMI) , बीज वितरण।

ख) प्रोत्साहन – IIMR के साथ समन्वय, मेले, कृषक गोष्ठी, आदि।

ग) अन्तःग्रहण– सहकारिता विभाग द्वारा कृषकों के उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय केन्द्र के माध्यम से अन्तःग्रहण किया जायेगा। मात्रा– मै0 टन में

क्र0 सं0	फसल	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वर्ष 2026–27	वर्ष 2027–28
1	मण्डुवा	10000	10000	12000	14000	18200
2	सॉवा	320	320	320	320	320
कुल योग		10320	10320	12320	14320	18520

ध) वितरण/विपणन– खाद्य विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अन्तर्गत राज्य के मैदानी जिलों में 12 महीने के लिए 01 किग्रा0 मण्डुवा वितरित किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

6. परम्परागत कृषि विकास योजना (जैविक कृषि)

- उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने में गति प्रदान करने हेतु 3900 क्लस्टर में योजनान्तर्गत 78000 है0 क्षेत्रफल एवं 195000 कृषकों जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत 50000 है0 अतिरिक्त क्षेत्रफल का चयन किया गया है।
- जैविक खाद/वार्मी कम्पोस्ट– जैविक प्रदेश बनाने के दृष्टिगत जैविक खाद/वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता अनुसार उत्पादन किया जा सकता है।
- उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जिससे जैविक कृषि को संगठित करने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में विभाग के प्रयास से जैविक क्षेत्रफल बढ़कर 2.17 लाख है० हुआ है।
- प्रोसेसिंग इकाई – गुलाब जल, एप्रीकोट, आचार, जैम, जूस आदि की प्रोसेसिंग इकाई योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। उक्त कलस्टरों में परम्परागत फसलों के 2555, फल/सब्जियां/फूलों के 1241, सगन्ध पौध केन्द्र 45 तथा रेशम के 59 क्लस्टर चयनित कर जैविक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- विपणन आउटलेट– जैविक उत्पादो के स्थानीय स्तर पर ही विपणन करने हेतु योजनान्तर्गत लगभग 430 आउटलेट स्थापना का कार्य गतिमान है।

7. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन **(NMSA)**

उद्देश्य–

- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव हेतु योजना
- कृषि क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन एवं जल उपयोगिता के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना।
- एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।
- मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन।
- जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये किसानों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की क्षमता का विकास करना।

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन **NMSA-RAD** के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के अनुमोदित लक्ष्य

क्र0सं0	कृषि प्रणाली	इकाई	उत्तराखण्ड	
			क्षेत्रफल प्रस्तावित	लाभार्थी (संख्या)
1	उद्यान आधारित कृषि प्रणाली	है0	1142	4389
2	पशुधन उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	है0	483	1130
3	दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	है0	690	1435
4	मतस्यिकी आधारित कृषि प्रणाली	है0	63	116
5	वृक्ष उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली/ NTFP/Poplar	है0	230	440
6	कृषि वानिकी आधारित कृषि प्रणाली	है0	1452	4767
ब	मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण			
1	ग्रीन हाउस – लो टनल पौली हाउस			
2	ट्यूबलर (वर्ग मी0)	संख्या	43	43
3	मौन पालन (कालोनी)	संख्या	520	500
4	साइलेज इकाई (घन फुट)	संख्या	33	33
5	पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज (वर्ग मी0)	संख्या	35	35
6	जल प्रयोग एवं वितरण (क्षमता है0 में)	है0	386	4200
7	वाटर लिफ्टिंग डिवाईस	संख्या	58	58
8	शैक्षणिक भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यक्रम	संख्या	146	1920

NMSA-RAD अन्तर्गत सफलता की कहानी

जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड हवालबाग में ग्राम छाना व घुरसों को नमसा योजनान्तर्गत चयनित में गेहूँ प्रजाति यू0पी0 2572 का प्रदर्शन किया गया। कृषकों के स्थानीय गेहूँ बीज के उत्पादन की तुलना में दोगुना उत्पादन गेहूँ यू0पी0 2572 द्वारा लिया गया।

कृषकों को कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 3 सिंचाई टैंक लागत रू 7.088 लाख का निर्माण किया गया। जिससे 3.00 है0 क्षेत्र में सिंचाई कर कृषक सब्जी उत्पादन का कार्य कर आजीविका चला रहे हैं। सिंचाई टैंकों पर मत्स्य बीज डालकर मत्स्य पालन का कार्य भी कृषकों द्वारा किया जा रहा है। जिससे कृषकों की आर्थिक स्तिथि में सुधार होगा।

क्षमता – 35000 ली0

आकार – **7x4x1.25** ग्राम – छाना

क्लस्टर के अन्तर्गत प्राप्त लाभ का विवरण		
मद	योजना से पूर्व	योजना के बाद
गेंहू उत्पादन (कु0 में)	8.00	23.00
सब्जी उत्पादन (है0 में)	1.00	2.50
सिंचित क्षेत्रफल (है0 में)	0.50	3.00
आय (रू0 प्रति है0 में)	30000.00	85000.00

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

- इसका उद्देश्य गांवो में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है।
- उत्तराखण्ड प्रदेश हेतु रु० 785.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है। यह लोन प्राईमरी एग्री क्रेडिट सोसायटी, किसानों के समूह, किसान उत्पादक संगठनों, एग्री एंटरप्रन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स आदि को दिया जाएगा।
- इस फण्ड का इस्तेमाल फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु किया जाएगा। इससे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा।
- इस सुविधा के तहत लोन पर सालाना ब्याज में 3 फीसद् छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक के लोन पर होगी।
- आतिथि तक रु0 69.26 करोड का ऋण अनुमोदित हो चुका है।

कृषक उत्पादक समूह

- (**Farmers Producers Organization**)
- भारत सरकार द्वारा संचालित कृषक उत्पादक समूह का गठन किये जाने के कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड प्रदेश में 300 एफ0पी0ओ0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना।
- नाबार्ड प्रदेश हेतु नोडल संस्थान है।

अनुसूचित जाति–जनजाति उपयोजना (राज्य सेक्टर)

- अनुसूचित जाति–जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रमों से संतृप्तीकरण करते हुए पूर्ण विकास करना। अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची ब्लू बुक तथा अनुसूचित जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची यलो बुक के अनुसार ग्रामों का चयन कर योजना संचालित की जाती है, जिसमें कृषकों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार कृषि निवेश, कृषि यंत्र तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यो के साथ–साथ रोजगारपरक कार्य शत–प्रतिशत अनुदान पर संपादित कराये जाते हैं।

सुधारात्मक कार्य/रणनीति

- वर्ष 2020–21 से बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रेताओं को Investuttarakhand.Portal के माध्यम से ऑनलाईन लाईसेन्स निर्गत किये जा रहे है– कुल 658 निर्गत
- कृषकों को समस्त देय सुविधाओं हेतु पारदर्शी किसान सुविधा पोर्टल तैयार कराया जा रहा है।
- डी0बी0टी0 के तहत कृषि निवेशों का वितरण।
- जैविक अधिनियम 2019 लागू ।
- जैविक क्षेत्र मे वृद्वि– वर्तमान में कुल कृषि क्षेत्र का 34 प्रतिशत आच्छादित।
- जैविक क्लस्टरो को जियो टैग किया गया ।
- उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2020 (APLM Act) लागू।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मैदानी भाग में खरीफ 2021 से ग्राम पंचायत स्तर की गयी है।

केन्द्रपोषित योजनाओं का विवरण

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	कार्यमद	आउटपुट	आउटकम
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (**PM-KISAN**)	खेती हेतु कृषि निवेशों की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता	रु0 6000.00 प्रति वर्ष (तीन किस्तों में)	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।

2	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (**PM-KMY**)	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना	आयु के आधार पर मासिक अंशदायी किस्त	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे। (पंजीकृत कृषक –1972)	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी।
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (**PMFBY**)	किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज।	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है।	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 1.50 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–1. 00 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.75 लाख है0	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा। जिससे कृषकों को आर्थिक सुरक्षा की गारण्टी मिलेगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल होगा।
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (**RKVY-RAFTAAR**)	गुणवत्तापूर्ण आदानों की आपूर्ति, बाजारों की सुविधा आदि कृषि संरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करना।	कृषि और सहवर्गीय क्रियाकलापों से सम्बन्धित परियोजना	वर्ष 2021–22 में वर्ष 2020–21 की 13 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा वर्ष 2021–22 हेतु एस0एल0एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी। स्वच्छता एक्शन प्लान ''नमामि गंगे क्लीन अभियान'' द्वितीय चरण का कार्य 7 जनपदों के 1237 चयनित ग्रामों में 50,000है0 कार्य सम्पादित किया जायेगा।	वर्तमान में संचालित 13 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा परियोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा। 50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।

5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (**NFSM**)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि।	फसल प्रदर्शन, बीज वितरण, यंत्र वितरण, पोध सुरक्षा रसायन वितरण, प्रशिक्षण	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 6500 2. बीज वितरण (कुं0)–7500 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–35000 4. यंत्र वितरण (सं0)–700 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–60000 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–80 7. स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–200 8. बीज उत्पादन (कुं0)– 2000 9. कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु सहायता–15	योजना में चावल, गेहूँ पौष्टिक अनाज तथा मोटे अनाज एवं तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा सुनिशिचित होगी।
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना।	जल संग्रहण संरचनायें, एच0डी0पी0ई 0 पाईप, टयूब वेल, जल पम्प	सूक्ष्म सिचांई क्षेत्रफल मे वृद्वि।	उपलब्ध एवं वर्षा जल का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।
7	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम **(NMSA-RAD)**	स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।	समेकित कृषि प्रणाली, मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण	चयनित कलस्टर (सं0)–60 अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3000 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन कॉलोनी– 800 सं0 2. साइलेज इकाई–20सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज–28वर्ग मी0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 300 है0 5. वाटर लिफ्टिग डिवाईस– 10 सं0 6. वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें–350सं0	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु परिवर्तन से किसानों को भिज्ञ बनाकर उसके प्रभावों से बचाना।

				7. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 125 सं0 8. ग्रीन हाउस/ लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–4000	
8	मृदा स्वास्थ्य कार्ड **(SHC)**	पोषक तत्वों/उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के प्रोत्साहन	मृदा परीक्षण, कार्ड वितरण	वर्ष 2020–21 की भांति चयनित 2609 ग्रामों में मृदा परीक्षण संस्तुति को आधार मानकर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। इन ग्रामों में 26090 मृदा परीक्षण कर इतने ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जायेंगे।	मृदा परीक्षण संस्तुति के आधार पर कृषकों को पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु जागरूक करने से कृषकों द्वारा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप N.P.K खादों में बचत हुई है।
9	परम्परागत कृषि विकास योजना (**PKVY**)	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	कलस्टर गठन, . प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, रसायन अवशिष्ट विश्लेषण तथा जैविक प्रमाणिकरण , मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग आदि	चयनित 3900 कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग एवं कैप, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् तथा सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से कार्य किये जायेंगे।	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। परम्परागत कृषि की विधियों को अपनाकर उपज में वृद्धि करना तथा जन मानस को रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराना।

10	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन **(SMAM)**	लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना।	कस्टम हायरिंग सेन्टर , फार्म मशीनरी बैंक, बडे एव छोटे यंत्र	महिला श्रम मे कमी। फार्म माशीनरी बैक– कस्टम हायरिंग सेन्टर–	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
11	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स **(ATMA)**	फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। नवीनतम तकनीकियों का प्रचार प्रसार	कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण कार्यक्रम, कृषक समूहों का गठन किसान मेलों, कृषक वैज्ञानिक संवाद, गोष्ठी फार्म स्कूल, कृषक पुरूस्कार	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण–450 2. प्रदर्शन–8300 3. भ्रमण कार्यक्रम– 300 4. कृषक समूहों का गठन – 800 5. किसान मेलों का आयोजन– 15 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद– 15 7. किसान गोष्ठी/फील्ड–डे– 190 8. कृषक पुरूस्कार–375 9. फार्म स्कूल–280 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –57000 11. परियोजना संचालन हेतु आउटसोर्सिंग से सेवायोजित कार्मिक–बी0टी0एम0 96, डी0पी0डी0 26, सहायक लेखाकार 14, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

12	कृषि अवसंरचना निधि **(Agriculture Infrastructure Fund)**	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा।	रू0 78.5 लाख का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।	रू0 69.26 करोड का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से अनुमोदित किया जा चुका है।	फसलोपरांत उत्पादों के भण्डारण एवं प्रसंस्करण विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी। कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोका जा सकेगा।
13	किसान उत्पादक समूह **(FPO)**	1. किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। 2. सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। 3. किसान उत्पादक संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। 4. किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना	निम्न संस्थाओं द्वारा 153 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा रहा है। 1. नाबार्ड–31 2.एस0एफ0 ए0सी0–51 3.एन0सी0 डी0सी0–25 4. नैफेड–31 5.एन0डी0डी0 बी0–2 6. ट्राईफेड–2 7.यू0ओ0 सी0बी0–11	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जाना है। वर्ष 2021–22 हेतु लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिसके अनुसार संस्थायें एफ0पी0ओ0 का गठन करेंगी।	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।

पशुपालन विभाग

राष्ट्रीय तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन, डेरी उत्पाद तथा मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार होने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्बल आय वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने एवं परिवारों की आजीविका का कृषि क्षेत्र के साथ सहायक स्रोत है। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 14 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनमें से अधिकांश का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। उत्तराखण्ड के लगभग 44.27 लाख पशु एवं 50.18 लाख कुक्कुट पक्षियों (वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार) की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, उन्नत प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने, भेड़ विकास कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, कुक्कुट विकास एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों का विस्तार कर राज्य में दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश व देश की आवश्यकता की पूर्ति करना है।

पशुपालन विभाग की मुख्य स्वरोजगारपरक योजनाऐं

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का संचालन
01	गौ पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
02	बकरी पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
03	भेड़ पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
04	महिला बकरी पालन योजना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
05	कुक्कुट वैली की स्थापना	राज्य सैक्टर द्वारा संचालित
06	ब्रायलर फार्म की स्थापना	राज्य सरकार द्वारा संचालित
07	गोट वैली की स्थापना	राज्य सरकार द्वारा संचालित
08	बैकयार्ड कुक्कुट पालन ईकाई योजना	जिला सैक्टर द्वारा संचालित
09	उद्यमिता विकास योजना (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
10	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
11	भेड़ पालकों के हितार्थ संचालित योजनाए (राष्ट्रीय पशुधन मिशन)	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
12	मेढ़ा वितरण कार्यक्रम (Ram Replacement)	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित
13	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना भेड़ बकरी सेक्टर	केन्द्र सरकार द्वारा संचालित

गौ पालन योजना

- गौ पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एस0ई0सी0सी0 वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु द्वितीय अथवा तृतीय ब्यांत तक की गाय की इकाई 90 प्रतिशत राजकीय अनुदान अंश एवं इकाई 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश में उपलब्ध करायी जाती है।

बकरी पालन योजना

- ❖ बकरी पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्य के सभी वर्गो के एस0ई0सी0सी0 में आने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक ईकाई (10़01) बकरियां उपलब्ध कराई जाती है।

भेड़ पालन योजना

- ❖ भेड पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एस0ई0सी0सी0 वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक इकाई (10़01) भेडों की उपलब्ध कराई जाती है।

महिला बकरी पालन योजना

- ❖ राज्य में परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को स्वावलम्बी एवं सम्मानजनक आर्थिक स्थिति में लाने तथा स्वरोजगार प्रदान करने हेतु शत् प्रतिशत् अनुदान पर योजना संचालित की जा रही है।

बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना

- ❖ कुक्कुट पालन योजना जिला सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दृश्टि से 50 कुक्कुट पक्षी क्षमता की एक कुक्कुट इकाई शत प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है।

कुक्कुट वैली की स्थापना

- ❖ राज्य के 13 जनपदों मे प्रथम बार कुक्कुट वैली की स्थापना क्लस्टर अप्रोच के तहत की जायेगी।

ब्रायलर फार्म की स्थापना

- ❖ प्रत्येक प्रक्षेत्र 6 बैच में 3000 पक्षी (500 पक्षी प्रति प्रक्षेत्र) पालेगा।
- ❖ प्रत्येक प्रक्षेत्र को कुल रूपये 60,000 का अनुदान दिया जायेगा।
  क– पक्षियों के खरीद हेतु रूपये 15 प्रति पक्षी एवं रूपये 7,500 प्रति बैच कुल रूपये 45,000
  ख– बाड़े की मरम्मत हेतु रूपये 15000

गोट वैली की स्थापना

- ❖ राज्य के 13 जनपदों में प्रथम बार गोट वैली की स्थापना क्लस्टर अप्रोच के अर्न्तगत एवं हब व स्पोक मॉडल में संचालित की जा रही है।
- ❖ प्रथम चरण में योजना राज्य के 5 जनपदों बागेश्वर, अल्मोडा, चमोली, रूद्रप्रयाग तथा पौडी में संचालित की जा रही है।
- ❖ गोट वैली की स्थापना पशुपालन विभाग की जिला योजना, REAP अनुदान तथा दीनदयाल उपाध्याय योजना से ब्याज मुक्त ऋण, उत्तराखण्ड राज्य भेड बकरी षषक पालक को–आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से ब्याजयुक्त ऋण से वित्त पोषित है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना

- ❖ पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनान्तर्गत (उद्यमी विकास परियोजना) भेड, बकरी, सूकर, कुक्कुट एवं साईलेज उत्पादन की योजनाओं में 50 प्रतिशत कुल पूंजीगत परियोजना लागत का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना

क्र0 सं0	योजना की ईकाई का नाम	आकार	अधिकतम अनुदान की राशि	आवेदन की श्रेणी
1	भेड या बकरी पालन	100 मादा. 05 नर	10 लाख	व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, फारमर्स प्रोडयूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ), किसान सहकारी समितियों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)
		200 मादा. 10 नर	20 लाख	
		300 मादा. 15 नर	30 लाख	
		400 मादा. 20 नर	40 लाख	
		500 मादा. 25 नर	50 लाख	
2	सूकर पालन	50 मादा. 5 नर	15 लाख	
		100 मादा. 10 नर	30 लाख	
3	कुक्कुट पालन	1000 पेरेंट लेयर	25 लाख	
4	साईलेज उत्पादन		50 लाख	

राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना

- ❖ कुल प्राप्त आवेदन – 75
- ❖ आवेदकों को लौटाए गये आवेदन – 40
- ❖ ऋण स्वीकृति के लिए बैंक में लम्बित आवेदन – 26
- ❖ बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन – 09
- ❖ सब्सिडी जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आवेदन – 07

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- ❖ पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत संचालित ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों में गाय/भैसों की नस्ल वृद्धि करते हुये 50 पशुओं की ईकाई स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।
- ❖ भारत सरकार द्वारा उक्त ईकाई की स्थापना हेतु कुल परियोजना के अधिकतम पूंजीगत निवेश रू0 एक करोड पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।
- ❖ इस योजना का लाभ व्यक्तिगत पशुपालक, स्वयं सहायता समूह एवं फारमर्स प्रोडयूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) को दिया जायेगा।

अन्य स्वरोजगारपरक योजनाऐं

- ❖ पशुपालन विभाग की राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत बायफ के माध्यम से वर्ष 2022–23 में 62 नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये है, तथा वर्ष 2023–24 में 38 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है।
- ❖ पूर्व से बायफ द्वारा 120 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 52 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पशुपालन विभाग की जिला योजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं तथा 68 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बायफ द्वारा स्वपोषित है।

- ❖ उक्त केन्द्रो मे स्थानीय महिला/पुरूष नवयुवको को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जायेगा।
- ❖ सूकर पालन, भेड–बकरी पालन, कुक्कुट पालन एवं गौ पालन सम्बन्धित कौशल विकास हेतु स्वरोजगारी पशुपालको को प्रशिक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क दिया जाता है।
- ❖ विभिन्न योजनान्तर्गत स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगारी बनाना।

भेड़ पालकों के हितार्थ संचालित योजनाऐं

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)

- ❖ उत्तराखण्ड राज्य में मैरीनों भेड़ों के आयात से नस्ल सुधार कार्यक्रम।
- ❖ आयातित मैरीनों मेढ़ों से हीट सिंक्रोनाइजेशन व कृत्रिम गर्भाधान।

भेड़ पालकों के हितार्थ संचालित योजनाऐं

- ❖ मैरीनों भेड़ों से ऊन की गुणवत्ता भी विश्वस्तरीय उच्च कोटि की प्राप्त हुई है।
- ❖ Structure Breeding Program के अन्तर्गत गत तीन वर्षो में लगभग 300 से अधिक शुद्ध नस्ल (Pure Breed) की मैरीनों संतति तथा लगभग 1800 से अधिक संकर नस्ल (Cross Breed) की मैरीनों संतति प्राप्त हो चुकी हैं।

मेढ़ा वितरण कार्यक्रम **(Ram Replacement)**

- ❖ सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/ अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 के निर्देशों के क्रम में कृत्रिम गर्भाधान के साथ–साथ नैसर्गिक प्रजनन के माध्यम से भेड़ों में नस्ल सुधार हेतु जनपद उत्तरकाशी व चमोली के भेड़ पालकों के स्थानीय व Indigenous प्रजाति के नर मेढ़ो को आयातित मैरीनों भेड़ों से उत्पन्न F1 Generation के Upgraded Cross Breed से परिवर्तित (Replace) किया जा रहा है। जिससे राज्य में ऊन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भेड़ों के औसत वजन में भी वृद्धि होगी।

भेड़ पालकों के हितार्थ संचालित योजनाऐं

राज्य सरकार सहायतित

- ❖ ऊन ग्रोथ सेन्टर योजना।
- ❖ राज्य ऊन कतरन एवं विपणन योजना – मशीन ऊन कतरण को प्रोत्साहन।
- ❖ राज्य के भेड बाहुल्य क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 29 ग्रीष्मकालीन व 13 शीतकालीन शियरिंग कैम्पों, पशुचिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा कैम्पों में मशीन द्वारा भेड पालकों की भेडों की शियरिंग एवं प्रशिक्षण कराया जाता है।
- ❖ भेड पालकों की शियरिंग की गयी ऊन का ग्रेडिंग, पेंकेजिंग कर Uttarakhand Wool के ब्राण्ड नाम से विपणन किया जाता है।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना– भेड़ बकरी सेक्टर

- ❖ माननीय प्रधानमंत्री जी के "किसानों की आय दोगुनी" करने एवं राष्ट्र को "आत्मनिर्भर" बनाने के आह्वान के अनुरूप राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
- ❖ राज्य में भेड़ बकरी पालन के असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में विकसित करना है तथा असंगठित क्षेत्र में बिचौलियों के कुप्रभाव से किसानों को मुक्त रखते हुये पारदर्शी विपणन व्यवस्था का विकास कराना है।
- ❖ Semi-Intensive Stall Feeding Farming को प्रोत्साहित करना।
- ❖ Reverse Migration में आये व्यक्तियों को संगठित भेड़–बकरी पालन की सुविधा उनके द्वार पर उपलब्ध कराना।
- ❖ वर्तमान में राज्य समेकित सहकारी विकास समिति के जनपद अल्मोडा में 289, बागेश्वर में 446, पौडी गढवाल में 359 एवं रूद्रप्रयाग में 209 लाभाथियों को लाभान्वित किया गया है।

- ❖ राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना (भेड बकरी सेक्टर) के अन्तर्गत पशुपालको के अनुरोध पर आवश्यकता अनुसार बकरी ईकाई स्थापित करने हेतु ब्याजयुक्त ऋण (10.15) उपलब्ध कराना।
- ❖ भेड़ बकरियों के शारीरिक भार में वैज्ञानिक पशुपोषण के माध्यम से वृद्धि लाना एवं उच्च गुणवत्ता के स्वस्थ्य, स्वच्छ "हिमालयन गोट मीट" को उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराना।

स्वरोजगार योजनाओं के सरलीकरण एवं समाधन हेतु सुझाव

- ❖ DBT योजनाओं का ITDA के माध्यम से एप बनाया जा रहा है जिसके द्वारा लाभार्थी online आवेदन कर सकेंगें एवं उनकी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी।
- ❖ राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत गौ पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन एवं महिला बकरी पालन की ईकाईयों एवं जिला योजनान्तर्गत बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना का बजट बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय 03

सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग राज्य में अनेक स्वरोजगार की योजनाऐं क्रियान्वित कर रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–
उद्देश्यः–

- सहकारिता आन्दोलन को जन–जन तक पहुॅचाना।
- कृषकों को कम ब्याज दरों पर सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषि निवेशों की समय में आपूर्ति।
- कृषकों को उनकी उपज का यथोचित मूल्य दिलवाना।
- सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अकृषक ऋण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषकों को साहूकारों से मुक्त कराना।
- सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन।
- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से शासन की जनहितकारी नीतियों को कार्यान्वित कराया जाना।
- दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना।
- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि उपजों की खरीद तथा विपणन।
- सहकारिता में श्रम समितियों को 2.00 लाख रू0 तक बिना निविदा के कार्य आबंटित कर रोजगार सृजन कराना।
- सहकारिता का स्वायत्तीकरण– स्वायत्त सहकारिताओ का गठन।
- प्रारम्भिक समितियों में मिनी बैंकों/मिनी बैंक विस्तार पटल की स्थापना कर जनता के द्वार बैंक।
- समस्त जनपदो में जिला सहकारी बैंको की स्थापना।
- सहकारी समितियो को स्वाश्रयी बनाना।
- पैक्स को बहुउद्देशीय समिति के रुप चरणबद्व रुप से परिवर्तित करना।
- पर्यटन एवं ग्रामीण समितियो को प्रोत्साहन।

विभाग की महत्वपूर्ण योजनाऐंः–

<u>दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना</u>

उक्त योजनान्तर्गत कृषक सदस्यों एवं स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यो तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि हेतु ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

अल्पकालीन ऋण INR 1.00 लाख तक

मध्यकालीन ऋण Up to INR 3.00 लाख तक

स्वयं सहायता समूहों को ऋण INR 5.00 लाख तक

योजना के उद्देश्य

- किसानों की आय दोगुना किया जाना।
- किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।

- स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
- आजीविका में सुधार।
- रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना।

वित्तीय संसाधन–उक्त योजनान्तर्गत देय ब्याज अनुदान

क्रम संख्या	विवरण	प्रचलित ब्याज दर	वितरित ऋण के सापेक्ष देय ब्याज प्रतिपूर्ति का अनुपात		किसानों द्वारा लिये गये ऋण पर वहन की जाने वाली ब्याज दर
			NABARD के माध्यम से	राज्य सरकार	
1.	अल्पकालीन ऋण	**7%**	3%	4%	0%
2.	मध्यकालीन ऋण	**11%**	0%	11%	0%
3.	स्वयं सहायता समूहों	**11%**	0%	11%	0%

योजना अन्तर्गत वित्तपोषित गतिविधियां

ऋण वितरण सीमा किसान **3.00 Rs. Lakhs** स्वयं सहायता समूह **5.00 Rs. Lakhs**

पोषित गतिविधियां

- औषधीय और सगंधित पौधे
- बागवानी और फूलों की खेती
- मसाला उत्पादन बेमौसमी सब्जी उत्पादन
- जैविक खेती
- मशरूम उत्पादन
- कृषि प्रसंस्करण
- कृषि यंत्रीकरण
- संरक्षित खेती
- डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन

किसानों को लाभ

- ✓ वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच
- ✓ लाभार्थियों के पास परंपरागत खेती के अलावा आय के अन्य स्त्रोत

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की वर्षवार प्रगति

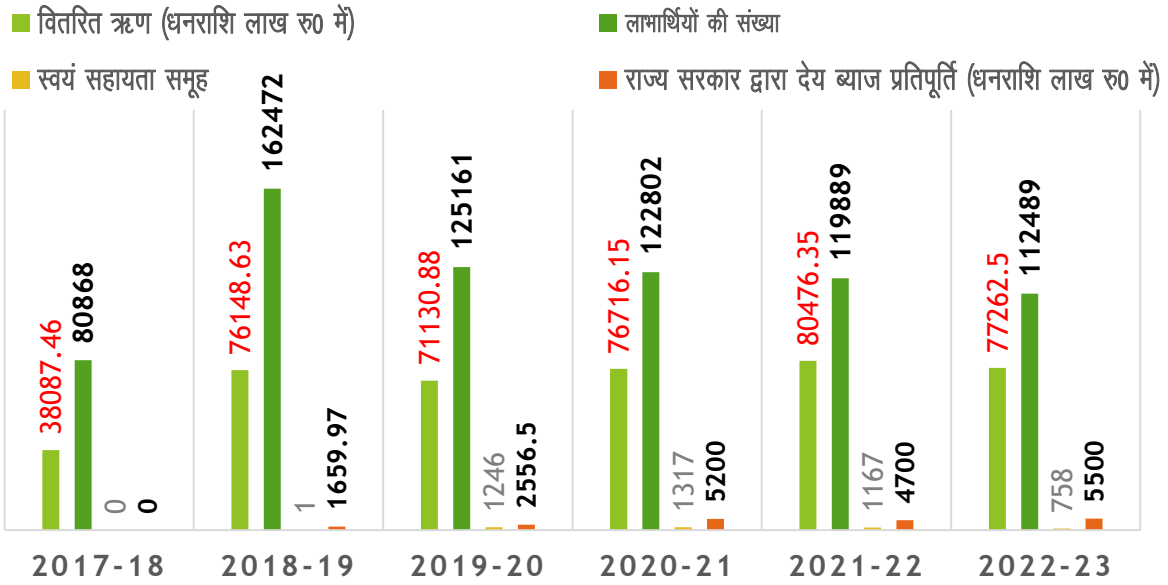

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से आतिथि कुल 723681 लाभार्थियों एवं 4489 स्वंय सहायता समूहों को कुल रु0 4198.21 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना

Uttarakhand Cooperative Development Programme is currently working with **110** Cooperative Institutions across four **(04) sub-sectors**

1. सहकारिता क्षेत्रक
2. भेड़–बकरी क्षेत्रक
3. डेयरी क्षेत्रक
4. मत्सय क्षेत्रक

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–सहकारिता क्षेत्रक

सायलेज उत्पादन एवं विपणनः–

- देहरादून की 5 सहकारी समितियों से जुड़े 1363 कृषकों की 2540 एकड़ भूमि पर 13500 मीट्रिक टन सायलेज का उत्पादन।
- जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के लगभग 1000 कृषकों की 1500 एकड़ कृषि भूमि पर मक्का उत्पादन किया जाना लक्षित।
- प्रदेश के सभी पर्वतीय जनपदों की 152 सहकारिताओं के माध्यम से विक्रय।
- उत्पादित मक्का रू0 166.94 लाख का भुगतान कृषकों को फेडरेशन द्वारा माह दिसम्बर तक किया गया।

मौसमी–बेमौसमी सब्जी उत्पादनः–

- जनपद टिहरी की 06 सहकारी समितियों से जुड़े 1233 कृषकों द्वारा 80 मीट्रिक टन बेमौसमी/मौसमी सब्जियो एवं जनपद चम्पावत में 57.76 मी0 टन अदरक का उत्पादन एवं विपणन।
- बिक्री केन्द्रों द्वारा उत्पादन को कॉरपोरेट के माध्यम से बाजार मूल्य से अधिक मूल्य उपलब्ध कराकर कुल रू0 47.50 लाख का विपणन।

- जनपद टिहरी में मोगी दीर्घाकार समिति के द्वारा पलायन कर चुके कृषकों की बंजर पड़ी 70 एकड़ भूमि में से 33.05 भूमि को लीज पर लेकर भूमि विकास कर विभिन्न सब्जियों का 2 टन उत्पादन कर समिति के माध्यम से विपणन कर रू0 1.73 लाख की आय अर्जित ।

ढांचागत विकासः–

- 04 शॉपिंग काम्पलेक्स काशीपुर (उधमसिंह नगर), श्यामपुर (देहरादून), उत्तरकाशी, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्माण एवं 21 गोदामों के मरम्मत का कार्य प्रगति पर।
- वर्तमान में 16 गोदाम मरम्मत का कार्य किया जा चुका है शेष अन्य 05 का कार्य प्रगति पर।

मुर्गीपालनः–

- जनपद देहरादून के जाड़ी, काण्डोईभरम एवं त्यूनी में 100 उत्पादकों की सहमति उपरान्त कुक्कट पालन का कार्य।
- माह दिसम्बर तक 93 मुर्गीपालकों का चयन कर 79 का शेड निर्माण किया गया जिसके परिणामस्वरूप 21600 चुजों को यू0एल0डी0बी0 के माध्यम से मुर्गीपालकों को उपलब्ध कराया गया।
- माह दिसम्बर 2022 तक परियोजना के माध्यम से 12000 मुर्गियों का विपणन किया गया जिससे समिति को रू0 28. 80 लाख की आय अर्जित।

लेमनग्रास, पुदीना एवं गेंदा उत्पादनः–

- जनपद हरिद्वार की लालढांग सहकारी समिति के माध्यम से 61 कृषकों की 100 एकड़ भूमि पर लेमनग्रास का उत्पादन कर समिति द्वारा प्रोसेसिंग कर तेल उत्पादन एवं विपणन का कार्य।
- उक्त समिति द्वारा 17 कृषकों की 43.33 एकड़ भूमि पर गेंदा पुष्प उत्पादन का कार्य।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा रहा है अपितु कृषकों एवं समिति को अतिरिक्त आय प्रदान की जा रही है।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–भेड़ बकरी क्षेत्रक

- राज्य समेकित विकास परियोजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 07 एफ0आई0यू0 की स्थापना की गई है।
- परियोजना अवधि में लक्षित 10000 बकरी पालकों के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 1289 बकरी पालक यूनिटों की स्थापना की गई है।
- माह दिसम्बर 2022 तक 258 प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से 18519 गोट इंडेक्शन एवं 658 बक इंडेक्शन का कार्य सम्पन्न किया गया है।
- परियोजना के माध्यम से माह दिसम्बर 2022 तक 992 लीटर बकरी के दूध का उर्पाजन समितियों के माध्यम से विक्रय किया गया है।
- बकरॉ ब्राण्ड को प्रचलित करने हेतु 05 विक्रय केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके परिणास्वरूप फेडरेशन को रू0 2.33 करोड़ की आय प्राप्त हुई है।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–डेयरी क्षेत्रक

- डेयरी क्षेत्रक 03 05 यूनिट दुधारू पशुओं की स्थापना के सापेक्ष 2039 दुधारू पशु क्रय किए गये जिसके फलस्वरूप 11066 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर 605 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।
- 50 दुधारू पशु युनिट की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 265 ली0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन किया गया है।
- 13 दुग्ध विकास केन्द्रों की स्थापना की गई जिसके परिणामस्वरूप 5721 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है।
- 21 आंचल मिल्क बूथों की स्थापना की गई जिसके माध्यम से आंचल दही, दूध, मक्खन, पनीर, चीज इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–मत्स्य क्षेत्रक

- मत्स्य क्षेत्रक 50 कलस्टर विकास के सापेक्ष 25 कलस्टरों की स्थापना कर ट्रॉउट फ्रॉमिंग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति रेसवे 0.03 से 0.07 मी0 टन ट्रॉउट का उत्पादन किया जा रहा है।
- कुल लक्षित 125 हेक्टेयर भूमि में इण्टीग्रेटेड फार्मिंग के सापेक्ष 20.75 हेक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग पन्गास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 2 से 4 मी0 टन प्रति हेक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है।
- उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसके क्रम में विपणन हेतु एक विपणन आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से 429 लाभार्थियों के उत्पादन 30 मी0 टन मछली का विपणन कर रू0 28 लाख की आय अर्जित की गई है।

मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजना

- राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिग्त रोजगार सृजन हेतु "मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत" सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- उक्त योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 322 लाभार्थियों को 5.18 करोड़ रू0 का ऋण ई–रिक्शा कल्याण योजना के तहत वितरित किया गया।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गयी है।
- उक्त योजनान्तर्गत पात्र सदस्यों को राज्य/जिला सहकारी बैंकों द्वारा 08.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

<u>"मोटर साइकिल टैक्सी योजना"</u>

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित "मोटर साइकिल टैक्सी योजना" अन्तर्गत आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु रू0 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

<u>मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना</u>

साइलेज/टी.एम.आर.

योजना के उद्देश्य

- फसल अवशेषों की
- बर्बादी का उपयोग
- किफायती और गुणवत्तापूर्ण चारे की सोर्सिंग
- जैविक रूप से उगाये गये चारे से दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार
- गुणवत्तापूर्ण चारे तक किसानों की पहुंच बनाना एवं उनको बेहतर विकल्प सुझाना

उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई गतिविधियां

- किसानों को संगठित एवं प्रेरित करना
- हरे मक्के का उत्पादन
- प्रसंस्करण
- विपणन

वित्तीय संसाधन

NCDC योजना (हरी मक्का की खरीद. आधारभूत ढांचा TMR संयत्र)	~ 12.00 करोड़
राज्य योजना - मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना (किसानों को साइलेज एवं टी.एम.आर. क्रय हेतु अनुदान)	~ 75%

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

- ❖ उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों एवं महिलाओं को चारे के बोझ से मुक्त किये जाने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार (टी0एम0आर0) उनके घर–घर उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना संचालित की गयी है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के चार जनपदों पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा एवं चम्पावत में कुल 10,000 मै0टन सायलेज का वितरण किया गया है।
- ❖ योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों के 152 वितरण केन्द्रों के माध्यम से माह जनवरी 2023 तक अनुदानित दर पर कुल 7518 लाभार्थियों को कुल 8458 मै0टन साइलेज/पशुचारा वितरित किया गया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना हेतु प्राविधानित धनाशि रू0 10.00 करोड़ का शत–प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

स्टेट मिशन मिलेट्स योजना :–

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोंरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 4860 लाभार्थियों से कुल 14468.496 क्विंटल उपज का क्रय कर कुल रु0 504.25 लाख रु0 का भुगतान किया गया है।

अध्याय 04

दुग्ध विकास विभाग

डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने, ग्रामीण स्तर पर मानव शक्ति का पलायन रोकने, उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने एवं विशेषकर भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषकों व दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में सतत् वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशु स्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही हैं।

डेरी विकास विभाग के महत्वपूर्ण कार्य

- ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध बिक्री हेतु अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना।
- शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।

प्रदेश में दुग्ध सहकारिता का त्रिस्तरीय संगठनात्मक ढांचा

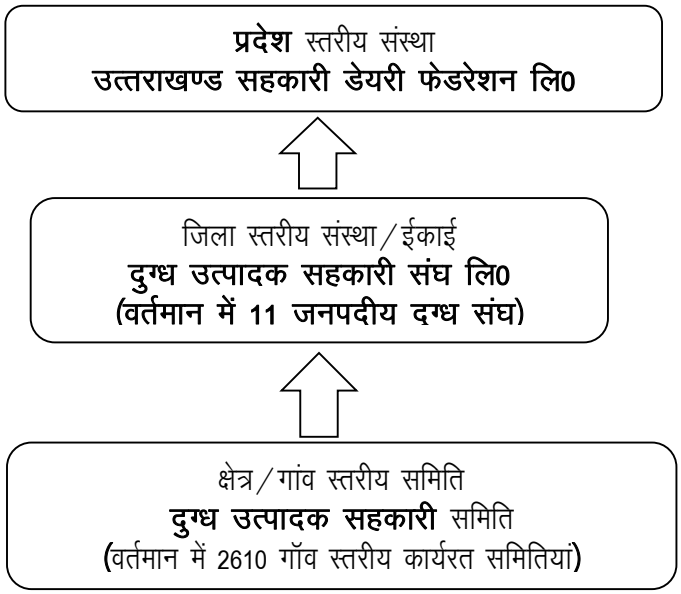

आजीविका/स्वरोजगार हेतु डेरी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन।
2–03 एवं 05 दुधारू पशु इकाई स्थापना।
3–दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना।
4–आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना।
5–दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाई (ग्रोथ सैन्टर) की स्थापना।
6–आंचल दूध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री हेतु आंचल मिल्क बूथ की स्थापना।

1–दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का गठन–

- दुग्ध समिति के गठन हेतु जनपद अन्तर्गत कार्यरत अथवा प्रस्तावित दुग्ध मार्गों पर ऐसे ग्राम, जिनमें दुग्ध समिति गठन की सम्भावनाएं हों, का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया जाता है।
- सर्वेक्षण उपरान्त ग्राम में कुल दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी, दुधारू पशुओं की संख्या एवं बिक्री योग्य दुग्ध मात्रा आदि को दृष्टिगत् रखते हुए सामान्य बैठक कर, नई दुग्ध समिति के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
- समिति गठन हेतु न्यूनतम 20 दुग्ध उत्पादक सदस्यों की आवश्यकता होती है जिनसे रू0 05 प्रवेश शुल्क व रू0 20 हिस्सा पूंजी प्राप्त कर समिति की सदस्यता प्रदान की जाती है। इन सदस्यों द्वारा समिति के संचालन हेतु 09 सदस्यों की एक तदर्थ प्रबन्ध कमेटी का चयन किया जाता है।
- समिति में दूध संग्रहित करने, दूध की वसा व सी0एल0आर0 आदि की जांच, अभिलेखों को पूर्ण करने एवं दूध के क्रय–विक्रय का लेखा–जोखा रखने हेतु 01 समिति सचिव का चयन भी किया जाता है।
- चयनित ग्रामों में नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन हेतु अवस्थापना विकास तथा समितियों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु तीन वर्षो तक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जो प्रत्येक समिति के लिए प्रथम वर्ष में रू0 76200, द्वितीय वर्ष में रू0 12000 एवं तृतीय वर्ष में रू0 5300 तथा कुल रू0 93500 है।
- इस प्रकार विभाग द्वारा दुग्ध समितियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर ही दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यन्त दूध विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराया जाता है।

2–03 एवं 05 दुधारू पशु इकाई स्थापना–

- उत्तराखण्ड राज्य में डेरी व्यवसाय को व्यवसायिक रूप से प्रोत्साहित करने के उददेश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित योजना अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों के साथ–साथ ऐसे इच्छुक आवेदन कर्ता जो दुग्ध सहकारी समिति अथवा जनपदीय दुग्ध संघ को दूध की आपूर्ति करने का वचन प्रदान करते है, के लिये 03 एवं 05 दुधारू पशु इकाई स्थापना हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था है। इकाई लागत एवं अनुदान का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	पशु इकाई का प्रकार	इकाई लागत	अनुदान		कुल अनुदान 25 प्रतिशत	लाभार्थी अंशदान 10 प्रतिशत	ऋण धनराशि 65 प्रतिशत
			एन0सी0डी0सी0	राज्य अनुदान			
1	03 पशु	246500	16294	45331	61625	24900	159975
2	05 पशु	407250	26431	75382	101813	40725	264712

- योजना का कार्यक्षेत्र प्रदेश के समस्त 13 जनपद है, जिनके अन्तर्गत संचालित दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। वह व्यक्ति जो कि वर्तमान में दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य नही है तथा योजना का लाभ लेने का इच्छुक है, उन्हें समिति सदस्य बनाते हुए योजना का लाभ प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
- योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाला पशुधन इस उद्देश्य के दृष्टिगत् कि राज्य मे दुग्ध उत्पादन के साथ–साथ उन्नत नस्ल के पशुधन में भी वृद्धि हो, प्रदेश के बाहर से क्रय किया जाना निर्धारित है।
- लाभार्थी द्वारा स्थापित दुधारू पशु इकाई से उत्पादित दूध, सम्बन्धित दुग्ध समिति अथवा दुग्ध संघ को उपलब्ध कराया जायेगा जिसका दुग्ध मूल्य लाभार्थी को उसके बैंक खातें में ऋण की मासिक किस्त को छोडकर जमा किया जायेगा।

3–दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना–

- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों में उपलब्ध कराये जा रहे दूध पर रू0 04.00/ली0 की दर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन धनराशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
- इस प्रकार समिति सदस्यों द्वारा समिति में आपूर्ति किये जा रहे दूध के मूल्य के अतिरिक्त उन्हें रू0 04/ली0 की प्रोत्साहन धनराशि राज्य सरकार अनुदान के रूप में प्राप्त होती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

4–आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना–

- प्रदेश में गठित दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को तकनीकि निवेश सुविधाएं उनके द्वार अथवा उनकी निकटतम पहुंच तक उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य गतिमान है।
- दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु धनराशि की व्यवस्था एन0सी0डी0सी0 योजना अन्तर्गत की जाती है।
- सेवा केन्द्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार, साईलेज, मिनरल मिक्सचर, भूसा भेली, चाटन भेली एवं सामान्य दवाएं इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- वर्तमान में जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौडी व हरिद्वार अन्तर्गत कुल 16 सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे है।
- सेवा केन्द्र पर कार्य करने वाले सदस्य को सेवा केन्द्र के लाभांश से प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक का भुगतान करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

5–दूध एवं दुग्ध पदार्थों के ग्रोथ सैन्टर–

- सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों एवं ऐसे क्षेत्रों, जहां दुग्ध उत्पादन की असीम सम्भावनाएं एवं विक्रय हेतु पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध तो है परन्तु इसे जनपदीय केन्द्रीय दुग्धशाला अथवा दुग्ध अवशीतन केन्द्रों तक परिवहन किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उचित नही है, ऐसे स्थानों पर दूध एवं दुग्ध पदार्थों के ग्रोथ सैन्टर की स्थापना की जा रही है।
- ग्रोथ सैन्टर के माध्यम से मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पाद तैयार कर दुग्ध संघ के माध्यम से विक्रय कराये जाते है तथा दुग्ध उत्पाद विक्रय उपरान्त प्राप्त मूल्य से सम्बन्धित दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का भुगतान किया जाता है।
- वर्तमान में जनपद देहरादून, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग व चमोली अन्तर्गत ग्रोथ सैन्टर स्थापित किये गये है जहां पर छुर्पी (हार्ड चीज) एवं बद्री गाय घी का निर्माण किया जा रहा है।
- योजनान्तर्गत स्थापित ग्रोथ सैन्टर के माध्यम से वर्तमान तक 35 दुग्ध समितियों तथा 210 दुग्ध उत्पादकों को जोडकर लाभान्वित किया गया है।
- ग्रोथ सैन्टर के माध्यम से उत्पादित मूल्य वर्धित दुग्ध पदार्थों के विक्रय उपरान्त प्राप्त धनराषि से दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त रू0 02 से 03 प्रति ली0 की दर से अधिक भुगतान किया जा रहा है।

6–आंचल दूध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री हेतु मिल्क बूथ की स्थापना–

- नगरीय क्षेत्रों तथा कस्बों में आंचल दुग्ध एंव दुग्ध पदार्थों के विक्रय संवर्धन तथा स्वरोजगार के साधन सुलभ कराये जाने के उददेश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित योजना अन्तर्गत आंचल मिल्क बूथ स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

- योजनान्तर्गत मिल्क बूथ स्थापना हेतु कुल लागत रू0 02.00 लाख निर्धारित है जिसमें 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान, 20 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है।
- योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों तथा उन कस्बों में जहॉ आंचल दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की पर्याप्त बिक्री सम्भव है वहां आंचल मिल्क बूथ स्थापित कर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराये जा रहे है।
- मिल्क बूथ स्थापना हेतु 08 गुणा 08 वर्ग फुट भूमि आवश्यक है, जो कि सरकारी अथवा व्यक्तिगत हो सकती है।
- मिल्क बूथ स्थापना हेतु आवेदनकर्ता द्वारा स्वंय की भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति में सम्बन्धित की भूमि पर 07 वर्ष का अनुबन्ध करते हुए दुग्ध संघ द्वारा मिल्क बूथ की स्थापना की जाती है, जिसका संचालन सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि दुग्ध संघ को मिल्क बूथ स्थापना हेतु सरकारी भूमि आवंटित होती है तो मिल्क बूथ स्थापना के पश्चात बूथ आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
- सम्बन्धित दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध बिक्री केन्द्र संचालक से प्रतिमाह निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जाता है जिससे ऋण की वापसी की जाती है।

अध्याय 05

मत्स्य विभाग

मात्स्यिकी क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी है, जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ–साथ पालकों की आर्थिक समृद्धि और भलाई में योगदान दे रहा है। राज्य में मछली पालन एवं इससे जुड़े अन्य व्यवसाय जनमानस के मध्य एक बेहतर व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुके हैं एवं इस क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत एकाधिक व्यक्तियों का रूझान मात्स्यिकी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में लगभग 869 हैक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिनके मात्स्यिकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।

विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी **(Innovative)** योजना– मात्सियकी क्षेत्र की सम्भावनाओं के दृष्टिगत वर्ष 2021–22 भारत सरकार द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" कार्यक्रम के अन्तर्गत नवोन्मेशी कार्य के रूप में शीतलजल के 8 बार0ए0एस0 मत्स्य सेवा केन्द्र की स्थापना, 1 कोल्ड स्टोरेज यूनिट की स्थापना, रीक्रेशनल फिशरीज, मॉर्डन लैण्डिंग सेंटर की स्थापना जैसी योजनायें तैयार की गयी हैं। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में ट्रे एवं ट्रफ की उपलब्धता करायी गयी।

राज्य में मछलियों की विपणन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु कोल्ड चेन विकसित किये जाने के उद्देश्य से 02 रेफरीजरेटेड वाहनों की स्थापना की गयी।

वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण– राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय–समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण मात्स्यिकी अवसंरचनाओं तथा मत्स्य फसल की क्षति हो जाती है, परन्तु मत्स्य पालकों को हुई क्षति के सापेक्ष मात्स्यिकी क्षेत्र का बीमा आवरण न होने से आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि के क्षेत्रफल छोटे–छोटे तथा बिखरे होने के कारण मत्स्य उत्पादन स्तर सीमित है, जिस कारण मार्केटिंग लिंकेज व्यवस्था तैयार किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिसके दृष्टिगत सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित फार्मिंग हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, तथा सहकारिता को व्यवसायिक रूप दिये जाने हेतु एन0सी0डी0सी0 वित्त पोषण योजना लागू की गयी है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों तथा तकनीकी तथा नवाचारों **(Investment, Technology and Innovations)** हेतु किये गये प्रयास का विवरण– नाबार्ड वित्त पोषित योजना के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ में नवीन ट्राउट हैचरी स्थापित करायी जा रही है।

भारत सरकार के निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित तिथि में अन्य राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जनपद हरिद्वार गंगा नदी के अन्तर्गत 1 लाख फिंगरलिंग आकार के मत्स्य बीज का संचय किया गया।

एंग्लिंग से पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु जनपद पौड़ी के अन्तर्गत एंग्लिंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिससे मनोरंजन के अतिरिक्त संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जनमानस को जागरूक किया जा सका।

राज्य में मात्सियकी विकास गतिविधियों को सहकारिता के माध्यम से विस्तारित करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक कृषक सहकारिता एकीकृत योजना के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं के संचालन से पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर आधारित "ट्राउट फार्मिंग परियोजना" से मत्स्य पालक को लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि राज्य के मैदानी जनपद हरिद्वार में मेजर क्रॉप फार्मिंग, पंगेशियस फार्मिंग, समन्वित मत्स्य पालन जैसी योजनाओं कें संचालन से निर्बल मछुवा समुदाय की समितियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

रीसर्कुलेट्री विधि के तहत निजी क्षेत्र में नवीन तकनीकी आर0ए0एस0 एवं बायोफलोक यूनिटों को राज्य में विस्तारित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण–राज्य सैक्टर योजनाऐं

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना का विवरण	अभ्युक्ति
1	पर्वतीय क्षेत्र में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	आदर्श तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (200 वर्ग मी0/0.02 है0/यूनिट)– प्रति यूनिट निर्माण धनराशि रू0 2.70 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.30 लाख कुल धनराशि रू0 3.00 लाख पर सभी वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत का अनुदान	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 02 यूनिट तक का अनुदान देय है।
		आदर्श तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (50 वर्ग मी0/0.005 है0/यूनिट)– प्रति यूनिट निर्माण धनराशि रू0 40,000/–एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 10,000/– कुल धनराशि रू0 50,000/– पर सभी वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत का अनुदान	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 02 यूनिट तक का अनुदान देय है।
2	अनुसूचित जाति उपयोजना मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम (एस0सी0एस0पी0)	पर्वतीय तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्ग मी0/0.01 है0/यूनिट)– प्रति यूनिट निर्माण धनराशि रू0 1.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल कुल धनराशि रू0 1.20 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 04 यूनिट तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति/फेडरेशन/इन्टरप्रीईनर को अधिकतम 40 यूनिट तक का अनुदान देय है।
		मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 है0)–प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 8.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति को अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।

		प्रशिक्षण–पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति 50 प्रशिक्षणार्थियों/01 बैंच हेतु धनराशि रू0 4.25लाख का व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
		सेमिनार/गोष्ठी– धनराशि रू0 15,000/– की दर से प्रति सेमिनार/गोष्ठी पर व्यय।	
3	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (एस0सी0एस0पी0)	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्गमी0/0.01 है0/यूनिट)– प्रति यूनिट तालाब सुधार धनराशि रू0 0.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 0.70 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 03 यूनिट तक का अनुदान देय है।
		मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 है0)–प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 3.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल लागत धनराशि रू0 5.00 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 05 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक का अनुदान देय है।
4	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (टी0एस0पी0)	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्गमी0/0.01 है0/यूनिट)– प्रति यूनिट तालाब सुधार धनराशि रू0 0.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेष धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 0.70 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 03 यूनिट तक का अनुदान देय है।
		मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 है0)–प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 3.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल लागत धनराशि रू0 5.00 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 05 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक का अनुदान देय है।

5	अनुसूचित जनजाति उप योजना राजि, थारू, बोक्सा जनजातियों के लिए (टी0एस0पी0)	पर्वतीय तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्ग मी0/0.01 है0/यूनिट)– प्रति यूनिट निर्माण धनराशि रू0 1.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 1.20 लाख पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 04 यूनिट तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति/अफेडरेशन/एंटरप्रिनर को अधिकतम 40 यूनिट तक का अनुदान देय है।
		मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 है0)–प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 8.50 लाख पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति को अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण–

केन्द्रपोषित योजनाऐं (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना का विवरण	अभ्युक्ति
1	प्रधानमंत्री मत्सय सम्पदा योजना (90प्रतिशत केन्द्रपोषित)	1) फिश सीड रियरिंग यूनिट का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश– प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 11. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा	यह योजना समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी को न्यूनतम क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर (अथवा 0.20 हैक्टेयर) से 0.50 हैक्टेयर तक के आकार का नये रियरिंग तालाब निर्माण हेतु अधिकतम क्षेत्रफल 2.00 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समूह/समितियों को 2 हैक्टेयर X समिति के सदस्य के समतुल्य अथवा अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा। निर्मित किये जाने वाले तालाबों की न्यूनतम गहराई 1.5 मीटर होगी। मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
		2) नये ग्रोआउट तालाब का निर्माण एवं प्रथम विर्षीय निवेश– प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण	

		धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 11. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		3) परमानेन्ट फार्मिंग यूनिट/ट्राउट रेसवेज का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (50 क्यूबिक मी0/यूनिट)–प्रति यूनिट (50 क्यूबिक मी0 क्षेत्रफल) के निर्माण धनराशि रू0 3.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 2.50 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 5. 50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के क्षेत्र में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी/एंटरप्रिनर को अधिकतम 04 यूनिट तथा सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/समूह/ ऐजेन्सीज (जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो तााि 1 MT प्रति रेसवेज मत्स्य उत्पादन क्षमता हो) को अधिकतम 20 यूनिट ट्राउट रेसवेज का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश तक का अनुदान देय है।
		4) ट्राउट फिश हैचरी की स्थापना–प्रति यूनिट ट्राउट हैचरी निर्माण धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राजयांश के रूप में	ट्राउट फिश हेचरी की स्थापना हेत लाभार्ाी के पास 0.40 है0 (4000 वग्र मी0) क्षेत्रफल की भूमि तथा 10 लाख ट्राउट फिश्र फ्राई प्रति वर्ष अथवा 15 लाख ट्राउट फिश आईडओवा उत्पादन की क्षमता हो। प्रति लाभार्थी को 01 यूनिट तक का अनुदान देय है।

		कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		5) पंगेशियस मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्षीय निवेश– प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
		6) एकीकृत मत्स्य पालन हेतु निवेश सहायता–प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का तथा ग्रुप/समिति को 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
		7) मीठाजल क्षेत्रों में बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण (including Inputs of Rs. 4.0 lakhs/Ha)– प्रति 0.10 हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 10.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 14.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप	यह योजना समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी/एंटरप्रिनर /मत्स्य सहकारी समिति/एस0एच0जी0एस0 आदि को न्यूनतम क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर तक के नये बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।

		में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		8) लार्ज आर0ए0एस0 सिस्टम की स्थापना (08टैंक/यूनिट, न्यूनतम 90 घनमी0 प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 40 टन प्रति क्रॉप) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (50 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी0 ऊँचाई प्रति टैंक)– प्रति यूनिट क्षेत्रुल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्गित लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (08 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 90 घनमी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (50 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी0 ऊँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		9) मीडियम आर0ए0एस0सिस्टम की स्थापना (06 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 30 घनमी0 प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति क्रॉप) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (25 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी0 ऊँचाई प्रति टैंक)– प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (06 टैंक/यूनिट, न्यनतम 30 घनमी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (25 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी0 ऊँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।

		जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	
		10) लघु आर0ए0एस0 सिस्टम की स्थापना (01 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 100 घनमी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (07टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी0 ऊँचाई प्रति टैंक)– प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 7.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राजयांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राजयांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 02 यूनिट (01 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 100 घनमी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (07 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी0 ऊँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		(11) शीतजल का मिडियम आर0ए0एस0सिस्टम की स्थापना (04 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 घनमी0 प्रति टैंक, उतपादन क्षमता 04 टन प्रति क्रॉप)– प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (04 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 घनमी0 प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समिति/सोसाईटी/ग्रुप को 02 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

		(12) शीतजल का लार्ज आर0ए0एस0सिस्टम की स्थापना (10 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 घनमी0 प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति क्रॉप)– प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (10 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 घनमी0 प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समिति/सोसाईटी/ग्रुप को 02 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
		(13) जलाशयों में केज की स्थापना– भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू. 3.00 लाख प्रति केज का व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/रजिस्ट्रर्ड एंटरप्रिनर हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एक केज की साईज– 6x4x4 cub mtr. होगी।	यह योजना वर्तमान में समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 05 केज तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस0एच0जी0स0/जे0ए0जी0स0 जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 20 केजों तक का अनुदान देय होगा।
		(14) जलाशयों/आद्र भूमि (Wet land) में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय (@1000FL/Ha (3.0/1Lakh FL)- भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू. 3.	छोटे एवं मिडियम आकार के जलाशयों में संचय कार्यक्रम।

		00 प्रति मत्स्य अंगुलिका की दर से व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक ग्रुप/रजिस्टर्ड इन्टरप्रुन्युर/मत्स्य समिति हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग के ग्रुप/रजिस्टर्ड इन्टरप्रुन्युर/मत्स्य समिति/लाभार्थी हेतु देय होगा।	
		(15) फिश कियॉस्क की स्थापना– निर्धारित मानकोनुसार प्रति फिश कियॉस्क स्थापना हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	स्वरोजगार का विकास दर अधिक आय अर्जित करना। प्रति लाभार्थी 01 फिश कियॉस्क की स्थापना तक का अनुदान देय है।
		(16) लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर (Live fish vending centre) की स्थापना– निर्धारित मानकोनुसार प्रति लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर की स्थापना हेतु धनराशि रू. 20.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रशित अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी 01 लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर की स्थापना तक का अनुदान देय है।

		(17) फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेत यूनिट (Fish Value Add Enterprise Unit) की स्थापना– निर्धारित मानकोनुसार प्रति फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राइजेज यूनिट की स्थाना हेतु धनराशि रू. 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी 01 फिश वेल्यू एडेड इन्टर प्राईजेज यूनिट की स्थापना तक का अनुदान देय है।
		(18) कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता–10 टन)– भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार प्रति कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता–10 टन) हेतु धनराशि रू0 40.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेुत अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
		(19) कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता–20 टन)– भारात सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार प्रति कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता–20टन) हेतु धनराशि रू0 80.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

		प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	

Fisheries

Fisheries Resource of Uttarakhand comprise of fast flowing rivers and their tributaries, high and low altitude natural lakes, manmade reservoirs, ponds and diggies. Out of total stream length of 2686kms,725 km is suitable for food and game fishes. Majority of cold water fishes are caught from the rivers and streams in small quantity thus do not form fishery of commercial importance but they are indicator of riverine ecosystem. Department has taken initiative for conservation and propagation of cold water fisheries that is trout and Mahseer through angling programme in identified beats of rivers with participation of local individuals or groups. Under this programme the beats are allocated to local cooperatives/groups, who will be authorized for issuing angling permits to international and national tourists along with other local interested people. With that the group will also work for conservation especially in banned fishing period. Till now 44 beats have been allocated in district Pauri, Uttarkashi, Chamoli, Bageswar and Dehradun.

Lengths of important rivers are

S.No.	Rivers	Length (KM)
1	Bhagirathei	220
2	Ramganga	206
3	Alaknanda	200
4	Nayar	158
5	Kosi	118
6	Yamuna	100
7	Ganga	68
8	Saryu	57

Available area of lakes in uttarakhand is 297 hectares. Out of existing lakes the lakes situated District Nainital i.e. Bhimtaal, Saat taal and Naukuchiataal are managed by fisheries department. Here department issues ngling permits to tourist. Department is focusing to establish cages in these lakes for conservation and enhancement of production. Apart from natural lakes several man-made lakes and reservoirs have came into existence due to Hydroelectric projects which are yet another resource for sisheries development. Presently 05 year through calling expression of interest, through which annual revenue to the tune of Rs. 4.50 crore is being generated. From FY 2016-17 to promote and establish cage farming cages have been installed in selected reservoirs to attain

increased production levels. It is proposed to install around 248 cages in the state to augment fish production.

Commercially important reservoir are-

S.No.	Reservoir	Area (ha)
1	Nanak Sagar	4089
2	Gegul Dam	2995
3	Tumaria	2377
4	Dhaura	1295
5	Baur	1295
6	Haripura	1144
7	Tehri	4200

Major natural lakes are-

S.No.	Lake	Height	Area (ha)
1	Bhimtal	1350	84.24
2	Nainital	1600	73.60
3	Naukuchiatal	1348	65.0
4	Sattla	1220	24.5
5	Khurpatal	1520	8.0
6	Duodital	3352	3.5
7	Nachiketatal	2330	2.0
8	Deoriatal	2430	1.4

The high upland regions of Uttarakhand provide conducive ecology for culture and capture of cold water fishes whereas other areas in hill including plain areas are suitable for carp culture and culture of other warm water fishes. Trout and Mahseer are local fishes which are of commercial importance. District Haridwar and Udham singh Nagar have village society ponds in abundance. These ponds are being made available to fisherman community with the help of revenue department for a lease period of 29 years. Apart form this through various central and state sector schemes new ponds are being constructed and renovation of old ponds is being carried out by beneficiaries every year with the aid of department which provides sanctioned subsidy for construction/renovation works and first year input to the beneficiary as per norms of the scheme. Department has also initiated a scheme to benefit old farmers where several inputs required for pursuing aquaculture are provided on subsidized rates.

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 6.96 लाख हैक्टेयर भू–भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है तथा औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2.97 लाख है0 क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिकी में लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए हैं, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौले कृषक हैं। राज्य में औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग रू. 3350 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है।

औद्यानिकी

राज्य में कुल 2.97 लाख है0 क्षेत्रफल में औद्यानिकी फसलें की जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत लगभग 17.71 लाख मी0टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 1.81 लाख है0 क्षेत्रफल में 6.49 लाख मी0टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.73 लाख है0 में 6.57 लाख मी0टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.27 लाख है0 में 3.67 लाख मी0टन उत्पादन, मसालों के अन्तर्गत 0.14 लाख है0 में 0.96 लाख मी0टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फलों की खेती 1609 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 3022 मी0टन खुले पुष्प व 14.42 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्वयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 2200 मी0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 19,500 मी0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है।

औद्यानिक कलस्टरः–

बागवानी मिशन के अन्तर्गत

राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 कलस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें से 384 क्लस्टर फलों के, 437 क्लस्टर सब्जियों के 179 क्लस्टर मसालों तथा 50 क्लस्टर फूलों के चयनित किये गये हैं। वर्तमान में चयनित क्लस्टरों एवं गाँवों में कुल 35,124 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड में फल उत्पादनः–

राज्य में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु होने के कारण शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 5000 है0 में बागान स्थापित किये जाते हैं।

शीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से शीतोष्ण फल सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है। राज्य में शीतोष्ण फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आड़ू व तृतीय स्थान पर सेब का उत्पादन किया जाता है।

समशीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नींबू वर्गीय आदि का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार राज्य में समशीतोष्ण फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर आम, द्वितीय स्थान पर नींबू वर्गीय फल, तृतीय स्थान पर लीची व चतुर्थ स्थान पर अमरूद का उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार आदि की नवीनतम प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तराखण्ड में सब्जी उत्पादनः– राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब सब्जी उत्पादन किया जाता है उस समय मैदानी क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों की सब्जी मैदानी क्षेत्रों के लिये बेमौसमी सब्जी होती है, जिसका कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। सब्जियों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष

लगभग 4000 कु0 बीज काश्तकारों को निर्धारित राज सहायता पर वितरित किया जाता है। इस प्रकार राज्य में सब्जियों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर टमाटर, द्वितीय स्थान पर मटर व तृतीय स्थान पर बन्दगोभी का उत्पादन किया जाता है।

उत्तराखण्ड में आलू उत्पादनः– राज्य में आलू मुख्यतः दो मौसमों रबी एवं खरीफ में उत्पादित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ मौसम में आलू उत्पादन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का आलू मैदानी क्षेत्रों हेतु बेमौसमी

- हार्टी–टूरिज्म गतिविधियों का विकासः– राज्य में स्थापित राजकीय उद्यान चौबटिया, अल्मोड़ा, राजकीय उद्यान, रामगढ़, नैनीताल एवं टिहरी स्थित राजकीय उद्यान धनोल्टी को हार्टी–टूरिज्म गतिविधियों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा अखरोट एवं सेब के आयात होने वाले पौधों को च्म्फ ;च्वेतज म्दजतल फनंतदजमदमद्ध सेन्टर टिहरी में तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिसमें विदेशों से आयातित उच्चगुणवत्तायुक्त उन्नत प्रजाति के पौधों को संरक्षित रूप से रोपा जायेगा।

भेषज विकास इकाई, उद्यान विभागः–

- जड़ी–बूटी कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषकों को कृषिकरण के लिये अधिकतम 05 नाली भूमि में व वृक्षारोपण के लिये अधिकतम 10 नाली भूमि हेतु चयनित प्रजातियों की रोपण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हुये, वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 2848 कृषकों को 2150175 पौधों का वितरण कर 8225.25 नाली (164.55है0) में एवं वर्ष 2021–22 में कुल 3179 कृषकों को 1806145 पौधों का वितरण कर 8345.83 नाली (166.92है0) में कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्य कराया गया।

होने के कारण कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है।

उत्तराखण्ड में मसाला उत्पादनः– राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। इस प्रकार राज्य में मसालों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर अरदक, द्वितीय स्थान पर हल्दी व तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है।

उत्तराखण्ड में पुष्प उत्पादनः– राज्य में पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली/चण्डीगढ़ का बाजार नजदीक होना है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कट फ्लावर के अन्तर्गत मुख्य रूप से जरबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है।

संरक्षित खेतीः– कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत राज्य में सब्जी तथा पुष्पों की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अन्तर्गत की जा रही है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख वर्गमीटर पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही फलों को आलोवृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्धारित राज सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तराखण्ड में मौनपालन उत्पादनः– राज्य में शहद उत्पादन तथा पर परागण द्वारा फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने के लिये मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के अन्तर्गत व्यक्तिगत मौनपालकों को फलोत्पादन में वृद्धि हेतु मौनवंशों को परागण हेतु उद्यानों में रखने हेतु राजसहायता दी जा रही है।

उत्तराखण्ड में मशरूम उत्पादनः– मशरूम उत्पादन, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा पिछड़ी जातियों के भूमिहीन किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है, चूंकि इसमें कम जगह में ही अधिक आय ली जा सकती हैं अतः इस योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को 50 प्रतिशत राजसहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है, साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, पैकिंग तथा विपणन सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

फसल बीमा योजनाः– भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ (फसल–आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रेंचबीन) एवं रबी मौसम (सेब, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, आम, लींची, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 06 इकाईयाँ स्वीकृत की जा चुकी हैं साथ ही 01 इन्क्यूबेशन सेन्टर पन्तनगर विश्वद्यिालय में स्थापित किया जा रहा है।

चाय विकासः– उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड के 09 पर्वतीय जनपदों में (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मार्च 2022 तक बोर्ड द्वारा 1428.46 है0 में सफलतापूर्वक चाय प्लान्टेशन किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1– बोर्ड योजना के अन्तर्गत	855.85 हैक्टेयर
2– एस.सी.पी. योजना के अन्तर्गत	230.90 हैक्टेयर
3– मनरेगा योजना के अन्तर्गत	341.71 हैक्टेयर
कुल योग	1428.46 हैक्टेयर

जैविक चाय की खेतीः– राज्य के चाय बागान का कुल 577 है0 क्षेत्रफल में जैविक चाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त चाय बागानों से जैविक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनसे जैविक चाय तैयार की जा रही है।

रोजगार सृजनः– बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व संचालित परियोजना, एस0सी0पी0 व मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत 3500 दैनिक श्रमिकों से प्रतिवर्ष लगभग 9.00 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें 70–80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

रेशम विकासः– रेशम विभाग द्वारा राज्य में वर्ष 2021–22 में जैविक रेशम विकास योजना के अंतर्गत 18 टन जैविक खाद्य उत्पादन किया गया है। रेशम वस्त्र विकास योजना के अंतर्गत 25000 मी0 वस्त्रोत्पादन किया गया है। वर्ष 2021–22 में 4 कोया बाजारों का उच्चीकरण किया गया है। वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 310 मी0टन के सापेक्ष 310.60 मी0टन कोया उत्पादन किया गया। वन्य रेशम विकासः योजनान्तर्गत–ओकटसर, एरी, मंगा रेशम उत्पादन के प्रसार हेतु विभाग द्वारा पौधालयों की स्थापना व भोज्य पौधों का रोपण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तथा निकटवर्ती वन क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभाग में संचालित मुख्य योजनाएँ–

- केन्द्रपोषित योजनाएँ
- बागवानी मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत Per Drop More Crop घटक
- परम्परागत कृषि विकास योजना
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)
- वाह्य सहायतित JICA परियोजना
- जिला सैक्टर की योजनाएँ
- राज्य सैक्टर की योजनाएँ

केन्द्रीय योजना – बागवानी मिशन

क्र0 सं0	योजना	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये /संख्या/है0 में
1.	पौधशाला की स्थापना	उच्च गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करने हेतु पौधशालाओं की स्थापना के लिये राज सहायता उपलब्ध कराना।	–––	–––
		1. हाईटैक पौधशाला (2 से 4 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 50,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष होगा	1. रू0 25.00 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 40%)	रू0 100.00 लाख
		2. छोटी पौधशाला (01 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिनका उत्पादन 25,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष होगा	2. रू0 15.00 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%) ऋण अनिवार्य	रू0 15.00 लाख
2.	सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन करने हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना।	(राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%)	
		ओपन पॉलीनेटिड फसल	रू0 35,000 प्रति है0	
		हाईब्रिड बीज	रू0 1.50 लाख प्रति है0	
3.	नये उद्यानों की स्थापना			
अ	i. फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्वि करना।	(कुल लागत का 50% राज सहायता 3 वर्षो में 60:20:20)	4 है0
		1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित	1. रू0 50,000 प्रति है0	
		2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	2. रू0 30,000 प्रति है0	
	ii. फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्वि करना।	(कुल लागत का 50% राज सहायता 3 वर्षो में 60:20:20)	
		1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित	1. रू0 75,000 प्रति है0	
		2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	2. रू0 50,000 प्रति है0	
	iii. फल क्षेत्रफल विस्तार (अति सघन)	नये उद्यानों की स्थापना कर, उत्पादन में वृद्वि करना।	(कुल लागत का 50% राज सहायता 3 वर्षो में 60:20:20)	
		1. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सहित	1. रू0 1,00,000 प्रति है0	
		2. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली रहित	2. रू0 62,500 प्रति है0	
ब	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संकर प्रजाति की सब्जी बीज उपलब्ध कराकर, क्षेत्रफल विस्तार कराना।	50 प्रतिशत अर्थात रू0 25,000/–प्रति है0	2 है0

स	मसाला क्षेत्र विस्तार	कृषकों को मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मसाला बीज एवं कन्द उपलब्ध कराकर, क्षेत्रफल विस्तार कराना।	50 प्रतिशत अर्थात रू0 15,000/–प्रति है0	4 है0
द	पुष्प क्षेत्र विस्तार	कृषकों को पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर, क्षेत्रफल विस्तार कराना।	(कुल लागत का 50% राज सहायता)	2 है0
		1. खुले पुष्प	1. रू0 20,000/– प्रति है0	
		2. डंडीयुक्त पुष्प	2. रू0 50,000/– प्रति है0	
		3. बल्बयुक्त पुष्प	3. रू0 75,000/– प्रति है0	
य	मशरूम उत्पादन	मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर, कृषकों की आय में वृद्वि करना।	(कुल लागत का राजकीय क्षेत्र हेतु 100% एवं व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु 40% राज सहायता देय है)	01 इकाई
		1.मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत	1. रू0 20.00 लाख प्रति इकाई	
		2.कम्पोस्ट उत्पादन इकाई स्थापना की लागत	2. रू0 20.00 लाख प्रति इकाई	
		3. स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना की लागत	3. रू0 15.00 लाख प्रति इकाई	
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्वार	पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोद्वार उत्पादन में वृद्वि करना।	50 प्रतिशत अथवा रू0 20,000/– प्रति है0	02 है0
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था			
अ	ट्यूबवेल स्थापना/पौण्ड निर्माण	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबवैल की स्थापना हेतु राज सहायता प्रदान करना।	50 प्रतिशत अथवा रू0 90,000/– प्रति इकाई	1 नग
6	संरक्षित खेती			
अ	ग्रीन हाउस निर्माण	संरक्षित वातावरण में सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु राज सहायता प्रदान करना।	कुल लागत का 50 प्रतिशत	4000 वर्ग मीटर
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम पालीहाउस	500 वर्गमीटर तक – कुल लागत रू0 1650.00/– प्रति वर्ग मीटर	
			500 से 1008 वर्गमी. तक – कुल लागत रू0 1465/ प्रति वर्गमी0	
			1008 से 2080 वर्गमी0 तक – कुल लागत रू0 1420.00/प्रतिवर्गमी0	
			2080 से 4000 वर्गमी0 तक – कुल लागत रू0 1400.00/प्रतिवर्गमी0	
			(पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त)	
		विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु ट्यूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस	कुल लागत का 50 प्रतिशत	
			500 वर्गमीटर तक – कुल लागत रू0 1060.00/– प्रति वर्ग मीटर	

			500 से 1008 वर्गमी0 तक – कुल लागत रू0 935.00 / प्रतिवर्गमी0	
			1008 से 2080 वर्गमी0 तक – कुल लागत रू0 890.00 / प्रतिवर्गमी0	
			2080 से 4000 वर्गमी0 तक – कुल लागत रू0 844.00 / प्रतिवर्गमी0 (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त)	
ब	शैड नेट हाउस	ट्यूबलर बनावट, प्रकाष्ठ संरचना एवं बॉक्स की संरचना पर राज सहायता प्रदान करना। • ट्यूबलर स्ट्रक्चर, • लकड़ी का ढॉचा • बॉस का ढॉचा	कुल लागत का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15% अतिरिक्त) • रू0 710 प्रति वर्गमी0 का 50% • रू0 492 प्रति वर्गमी0 का 50% • रू0 360 प्रति वर्गमी0 का 50%	4000 वर्ग मीटर
स	एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु एन्टी हेल नेट पर राज सहायता उपलब्ध कराना।	50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 17.50 / – प्रति वर्गमी	5000 वर्ग मीटर
द.	प्लास्टिक मल्चिंग	नमी को रोकने एवं प्रकाश संश्लेषण को बढावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक सीट से ढकना	रू0 32,000 प्रति है0 का 50 प्रतिशत (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	02 है0
य	संरक्षित खेती के लिये रोपण की व्यवस्था	सब्जी पौध	रू0 140 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	
		पुष्प (आर्किड, एन्थोरियम)	रू0 700 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	4000 वर्ग मीटर
		पुष्प (कारनेशन, जरबेरा)	रू0 610 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	
		पुष्प (गुलाब)	रू0 426 प्रति वर्गमीटर का 50 प्रतिशत	
7.	मौनपालन	फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु मौनवंश व मौन कॉलोनी पर राज सहायता प्रदान करना।	कुल लागत का 40% या अधिकतम रू0 800 / प्रति मौनवंश व प्रति मौन कॉलोनी	50 कॉलोनी
8.	औद्यानिक यन्त्रीकरण	विभिन्न औद्यानिक मशीनों / पॉवर टिलर / ट्रैक्टर / औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि हेतु राज सहायता प्रदान करना।		1 इकाई
		ट्रैक्टर (20 पी0टी0ओ0 एच0पी0 तक)	रू0 3,00,000 प्रति इकाई का 35% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 25% सामान्य लाभार्थियों हेतु	1 इकाई
		पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 तक)	रू0 1,00,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	
		पॉवर टिलर (8 बी0एच0पी0 से अधिक)	रू0 1,50,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	

		भूमि सुधारीकरण, जुताई व बीजाई हेतु क्यारी तैयारी हेतु आवश्यक उपकरण एवं बुआई, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण	रू0 30,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	
		औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन	रू0 2,50,000 प्रति इकाई का 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त व महिलाओं हेतु तथा 40% सामान्य लाभार्थियों हेतु	
9.	तकनीकी प्रसार हेतु प्रदर्शन	औद्यानिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रदर्शन के माध्यम से प्रसार करना।	रू0 25.00 लाख (राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 75%)	
10.	मानव संसाधन विकास			
अ	प्रशिक्षण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के अन्दर एवं	राज्य के अन्दर – रू0 1,000/दिन/प्रशिक्षणार्थी (यात्रा देयक सहित)	
		राज्य के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य के बाहर– प्रस्ताव के अनुसार	
ब	भ्रमण	नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु कृषक/महिलाओं का राज्य के बाहर भ्रमण कार्यक्रम	प्रस्ताव के अनुसार	
11.	तुडाई उपरान्त प्रबन्धन हेतु	पैक हाउस (9 मी0 X 6 मी0)	कुल लागत रू0 4.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 2.00 लाख प्रति लाभार्थी	01 इकाई
		प्री कूलिंग इकाई (6 मै0टन क्षमता)	कुल लागत रू0 25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मै0टन क्षमता)	कुल लागत रू0 25.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड रूम (30 मै0टन क्षमता)	कुल लागत रू0 15.00 लाख प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		कोल्ड स्टोरेज यूनिट	(ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	01 इकाई
		• बेसिक टाईप– सिंगल टैम्परेचर जोन (5000 मै.टन तक)	• कुल लागत रू0 8000/ प्रति मै0टन का का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु	
		• मल्टीपल टैम्परेचर जोन (5000 मैटन तक)	• कुल लागत रू0 10,000/ प्रति मै0टन का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु	

		• कन्ट्रोल्ड एटमोस्ट्युयर स्टोरेज (5000 मै0टन तक)	• कुल लागत रू0 20,000/ प्रति मै0टन का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु	
		रेफरवेन/कन्टेनर (6 मै0टन क्षमता)	कुल लागत रू0 26.00 लाख प्रति यूनिट का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	1 इकाई
		प्राइमरी/मोबाईल प्रोसेगिंग यूनिट	कुल लागत रू0 25.00 लाख प्रति यूनिट का 55% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		राईपनिंग चैम्बर (300 मै0टन क्षमता)	कुल लागत रू0 1.00 लाख प्रति मै0टन का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		ईवोपोरेटिव/लो एनर्जी कूल चैम्बर	कुल लागत रू0 5.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 2.00 लाख प्रति लाभार्थी	1 इकाई
		कम लागत वाली संरक्षण (प्रीजरवेशन) इकाई की स्थापना	कुल लागत रू0 2.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 1.00 लाख प्रति लाभार्थी	
		कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रकचर (25 मै0टन)	कुल लागत रू0 1.75 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 0.875 लाख प्रति लाभार्थी	
		पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 किग्रा0)	कुल लागत रू0 4,000/ प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 2,000/ प्रति लाभार्थी	
		इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन प्रोडक्शन एण्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट ऑफ हार्टिकल्चर क्राप्स	कुल लागत रू0 600.00 लाख का 50% पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
12.	विपणन हेतु	टर्मिनल मार्केट	रू0 150.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40% (परियोजना आधारित)	1 इकाई 1 इकाई
		होलसेल मार्केट	रू0 100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33.33% पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 25% सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		अपनी मण्डी/रूरल मार्केट की स्थापना	रू0 25.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		रिटेल मार्केट/आउटलेट	रू0 15.00 लाख प्रति यूनिट का 50% पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 35% सामान्य	

			क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		स्टेटिक मोबाईल बेडिंग कार्ड/प्लेटफार्म (कूल चैम्बर सहित)	रू0 30,000/प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 15,000 प्रति लाभार्थी	
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर • कलैक्शन, सोर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	रू0 15.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		• क्वालिटी क्न्ट्रोल/एनालिसिस लैव	पब्लिक सैक्टर के लिये रू0 200.00 लाख प्रति यूनिट का 100% अर्थात रू0 200.00 लाख प्रति लाभार्थी	
			प्राइवेट सैक्टर के लिये रू0 200.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 100.00 लाख प्रति लाभार्थी (ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी)	
		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	रू0 15.00 लाख प्रति किमी0 का 50% पर्वतीय क्षेत्रो हेतु ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी	
13.	खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्वि प्रबन्धन	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	रू0 800.00 लाख प्रति यूनिट का 50% अर्थात रू0 400.00 लाख प्रति लाभार्थी	1 इकाई

केन्द्रीय योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत **Per Drop More Crop** योजना

क्र0सं0	योजना	उद्देश्य	प्रति है0 अनुमन्य लागत	देय राजसहायता का प्रतिशत		अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
				सामान्य कृषकों हेतु	लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु	
1.	क्षेत्र विस्तार					
अ.	टपक (ड्रिप) सिंचाईं	पौधों की आवश्यकतानुसार जल एवं खाद का वितरण उनकी जड़ों तक पहुचाते हुए कम समय में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाईं खरपतवार नियन्त्रण एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं पैदावार में वृद्धि करना।	रू0 27158 से रू0 158489 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	0.4 है0 तथा अधिकतम 5 हेक्टेयर

ब.	पोर्टेबल स्प्रिंकलर		रू0 24427.50 से रू0 27376.25 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	उक्त
स.	माइक्रो स्प्रिंकलर		रू0 73665 से रू0 84026 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	उक्त
द.	मिनी स्प्रिंकलर		रू0 106515 से रू0 117535 तक (पौध से पौध की दूरी के अनुसार)	45	55	उक्त
य.	रेनगन		रू0 35851 से रू0 43141 तक (63 मिमी. से 90 मिमी. तक)	45	55	उक्त

परम्परागत कृषि विकास योजना

कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए परम्परागत खेती को बढ़ावा।
प्रति कलस्टर 20 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादन।
राजसहायता – रू0 50,000 प्रति हैक्टेयर (प्रथम वर्ष–16500, द्वितीय वर्ष 17000 व तृतीय वर्ष 16500)
कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित सपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से कास्तकारों का 03 चरणों में प्रशिक्षण व भ्रमण
प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PM FME)

- योजना से सम्बन्धित मंत्रालय – खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार
- योजना की अवधि – 5 वर्ष (वर्ष 2020–21 से 2024–25)
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमो के विकास का लक्ष्य – 1758
- राजसहायता (एक जनपद एक उत्पाद) – 60% अधिकतम रू0 15.00 लाख

(PM FME योजनान्तर्गत 35% अधिकतम रू0 10.00 लाख व राज्य सैक्टर के अन्तर्गत 25% अधिकतम रू0 5.00 लाख)

- लाभार्थी की न्यूनतम अनिवार्य हिस्सेदारी– 10 प्रतिशत
- कुल पंजीकृत आवेदन – 501
- स्वीकृत ऋण – 170
- इन्क्यूवेशन सेन्टर
- पन्तनगर में निर्माणाधीन – 01

क्र.सं.	जनपद	चयनित उत्पाद
1	हरिद्वार	मशरूम (बटन, मिल्की आदि)
2	उत्तरकाशी	सेब आधारित उत्पाद (जैली, जैम, चटनी, कैण्ड फ्रूट/जूस)
3	देहरादून	बेकरी उत्पाद (बिस्किट, रस्क, ब्रेड, केक आदि)
4	नैनीताल	फलों का जूस व स्कवैश (आडू आदि)
5	चम्पावत	तेजपात एवं मसालें
6	पौड़ी	नीबू वर्गीय फलों पर आधारित उत्पाद (माल्टा)
7	पिथौरागढ़	हल्दी आधारित उत्पाद
8	उधमसिंहनगर	आम आधारित उत्पाद
9	अल्मोड़ा	खुबानी आधारित उत्पाद (जैम, चटनी, अचार आदि)
10	बागेश्वर	कीवी आधारित उत्पाद (जैम, चटनी, स्कवैश, केक आदि
11	टिहरी	अदरक आधारित उत्पाद (सौंठ, कैण्डी, अचार आदि)
12	चमोली	मत्स्य आधारित उत्पाद
13	रूद्रप्रयाग	चौलाई आधारित उत्पाद (चौलाई के लड्डू आदि)

योजनान्तर्गत ''एक जनपद एक उत्पाद'' को प्राथमिकता देते हुए समस्त खाद्य उत्पाद आधारित सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की स्थापना की जा रही है।

वाह्य सहायतित परियोजना

- उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना – वित्त पोषण JICA
- भारत सरकार की स्वीकृति – JICA के Rolling Plan में शामिल (जून, 2020)
- परियोजना लागत – रू. 251.71 करोड़ से बढ़कर रू0 526.00 करोड़
- परियोजना का वित्तीय अंश – 90:10
- परियोजना क्षेत्र – 04 जनपद (नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी)
- परियोजना स्वीकृत/ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित – 31.03.2022

JICA परियोजना में सम्मिलित मुख्य गतिविधियॉ

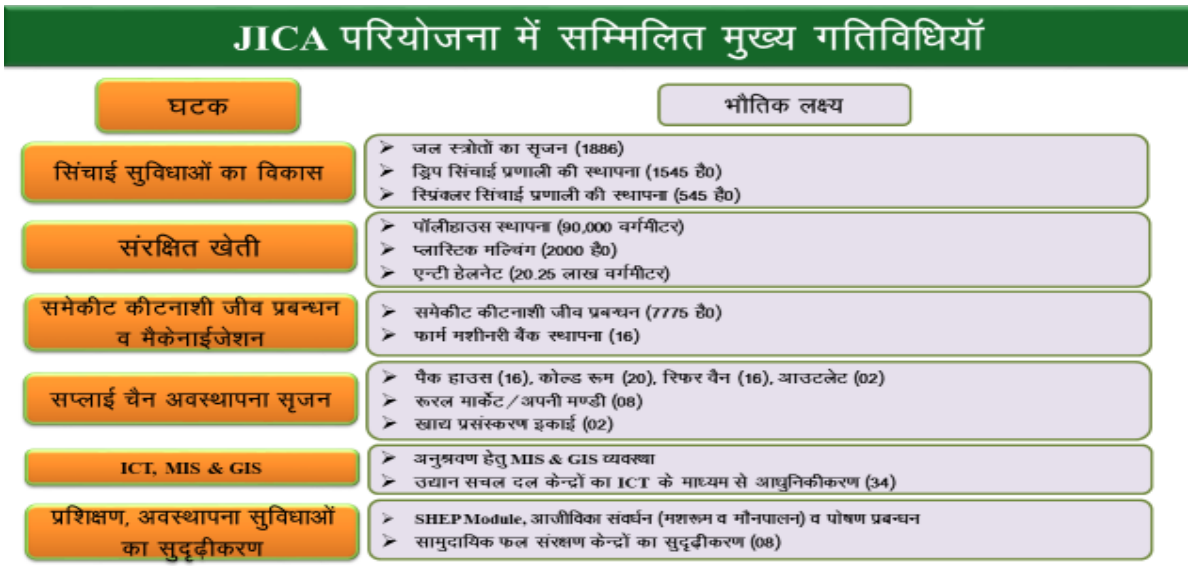

जिला सैक्टर की योजनाएँ

क्र0सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधालय विकास।	1. फल, पौध, सब्जी, बीज, आलू बीज के परिवहन पर राजसहायता	शत–प्रतिशत	आवश्यकतानुसार
		2. नये उद्यानों की स्थापना हेतु पौध एवं निवेश वितरण	50%	रु0 20000 प्रति है0
		3. पौध सुरक्षा हेतु दवाईयों का वितरण	60%	रु0 5000 प्रति है0
		4. कुरमुला कीट नियन्त्रण	60%	रू0 1800 प्रति है0
		5. औद्यानिक औजार वितरण	50%	रू0 1200/यन्त्र तक
		6. सिंचाई हेतु 3X2 X1.5 मीटर आकार का रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	रु0 24,500 प्रति इकाई का 50%	रु0 12250 प्रति टैंक
2	फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना	फल सब्जियों को बाजार में समुचित मूल्य दिलाने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स, किल्टे, पैकिंग हेतु बाक्स उपलब्ध कराना आदि	50%	अधिकतम 10 प्रति लाभार्थी
		फल सब्जियों का प्रसंस्करण	लाभ–हानि रहित	फल सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु रू0 15/– प्रति किग्रा0
		मिर्च उत्पादक (20 नाली में मिर्च उत्पादन करने वाले) को काली पॉलीथीन उपलब्ध कराना	50%	200 वर्गफीट उपयुक्त गेज की पॉलीथीन
		फल व सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत–प्रतिशत	07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू0 350/– प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवषेश धनराशि रू0 700/– सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा।
3	प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास	1. उद्यान विकास–व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पौध व निवेश वितरण	50%	प्रति लाभार्थी 0.2 है0 से 2.0 है0 तक अधिकतम रू0 30,000 प्रति है0
		2. आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश वितरण	50%	प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तक अधिकतम मैदानी क्षेत्र – रु0 25,000/है0 पर्वतीय क्षेत्र – रु0 40,000/है0

राज्य सैक्टर की योजनाएँ

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी (रुपये/संख्या/है0 में)
1	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एपीडा, आदि द्वारा पोशित योजनाओं पर 20 प्रतिषत राज्यांश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एपीडा, आदि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर मैचिंग ग्रान्ट की व्यवस्था। (व्यवसायिक बागवानी, उत्तर फसल प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण आदि)	20% प्रति परियोजना	रु0 4.00 लाख प्रति परियोजना
2	मधुमक्खी पालन	1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बक्सों को रखा जाने हेतु परिवहन पर ।	रु0 350 प्रति बॉक्स	04 बॉक्स
		2. मौन बाक्स मौन कालोनियों का वितरण।	50%	रु0 800.00/बैक्स (10 मौनगृह/वंष)
		3. कृषकों को सात दिवसीय प्रशिक्षण		रु0 1050/लाभार्ती
3	उद्यानों की घेरबाड़ की योजना	जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राजसहायता।	50%	रू0 100000/है0
4	बाजार हस्तक्षेप योजना	उद्यानपतियों से सी ग्रेड सेब, नाशपाती, माल्टा, गलगल आदि के सर्मथन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था	लाभ/हानि रहित	षासन से निर्धारित दरो के अनुसार
5	मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना	1. मशरुम उत्पादकों को पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट उपलब्ध कराना	50%	50 कुन्तल प्रति लाभार्थी
		2. स्पान (बीज) वितरण	50%	25 किग्रा स्पान प्रति लाभार्थी
		3. 07 दिवसीय प्रशिक्षण	शत प्रतिशत	1050/लाभार्थी
6	फसल बीमा योजना	औद्यानिक फसलों–सेब, आम, आड़ू, माल्टा, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, फ्रैंचबीन एवं मिर्च का मौसम आधारित बीमा कराना।	प्रीमियम का 50%	कृशकों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का 5 प्रतिषत
7	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी एवं मसाला उत्पादन की योजना	सब्जी एवं मसाला की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन	निःशुल्क	0.1 है0 एवं रू0 300/प्रति फसल
8	मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश	पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुश्पों का उत्पादन करने पर 80: रा0स0 500 वर्ग मीटर अधिकतम पर	(50% केन्द्रांश बागवानी मिशन + 30% राज्यांश)	रु0 609.50
9	बोरबैल स्थापना की योजना	सिंचाई सुविधा हेतु कृषकों को बोरवैल स्थापना हेतु सहायता।	रु0 1.0 लाख प्रति इकाई	01 इकाई

		(रू0 75,000/ केन्द्रांश + रू0 25,000/ राज्यांश प्रति इकाई)		
10	पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना	कृषकों के पॉच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण–शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता	पॉलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75%	4000 वर्ग मीटर पर रू0 1.5 लाख
11	पौधरोपण की योजना	सरकारी आवासों, कार्यालयों, स्कूलों, कृषकों आदि को निःशुल्क फलपौध वितरण	शत–प्रतिशत	कृषकों को 05 पौधे एवं राजकीय संस्थानों पर 50 पौधे तक
12	वर्मीकम्पोस्ट की योजना	वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25% अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू0 1.00 लाख प्रति इकाई का 75%	–
13	एन्टी हेलनेट की योजना	कृषकों/उद्यानपतियों की फसलों को ओलावृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट के क्रय हेतु बागवानी मिशन योजनान्तर्गत 25% अतिरिक्त राज्यांश अनुदान दिया जाना (50% केन्द्रांश + 25% राज्यांश)	रू0 35.00 प्रति वर्गमीटर का 75%	5,000 वर्गमीटर के0र0 रू0 17.50 राज्यांश रू0 8.75
14	फल पौधशालाओं की स्थापना	राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नयी फल पौधशालाओं की स्थापना	रू0 15 लाख प्रति है0 का 50%	1.0 है0 हेतु राजसहायता रु0 7.50 लाख। छोटी पौधशाला हेतु अनुपातिक राजसहायता
15	जैविक बागवानी की खेती योजना	जनपद पिथौरागढ़ व चमोली में पायलट आधार पर जैविक बागवानी को बढ़ावा देना	रु0 20,000 प्रति है0 का 50%	प्रति है0 रू0 10,000 अधिकतम
16	अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों के सर्वागीण विकास हेतु मिशन	राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकननट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना व क्षेत्रफल विस्तार हेतु राज सहायता उपलब्ध कराना (0.2 से 1 है0 तक)	व्यक्तिगत क्षेत्रों हेतु रु0 15 लाख प्रति है0 का 50% एवं राजकीय क्षेत्रों हेतु 100% तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु रु0 60000 प्रति है0	1.0 है0 हेतु रा0स0 रु0 7.50 लाख। अधिकतम क्षेत्रफल विस्तार पर रू0 30,000
17	मृदा प्रयोगशाला एवं परीक्षण कार्य की योजना	चौबटिया एवं श्रीनगर में मृदा प्रयोगशाला में कृषकों के भूमि के मृदा सैंपल का परीक्षण उपरान्त भूमि के मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों की कमी/अधिकता का आंकलन करना तथा आवश्यक खाद, उर्वरकों की संस्तुति करना।	राज्य सैक्टर में शतप्रतिशत	मृदा परीक्षण शुल्क प्रति सैंपल रु0 7 मुख्य तत्वों हेतु एव रु0 63 सूक्ष्म तत्वों हेतु कृषकों से लिया जायेगा

18	मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना	प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को उनकी निजी भूमि पर उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देना।	प्रोत्साहन राशि रु0 700 प्रति कु0	रू0 7 प्रति किलोग्राम
19	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना करना तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मुहैया कराना	रु0 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75%	.
20	मिशन एप्पल योजना	प्रदेश में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूल वृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। (1600 पौधे प्रति ऐकड 1X25 मिटर)	रु0 12 लाख प्रति एकड़ का 80%	01 एकड़ तक रू0 9,600

राज्य सैक्टर की महत्वाकांक्षी योजना

क्र0 सं0	योजना का नाम	उद्देश्य	देय सहायता
21	मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास (वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ)	औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि करना। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम सम्मिलित हैः–	
		फल पौध, खुले क्षेत्र हेतु सब्जी बीज, मसाला बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता।	50% सहायता
		कीट व्याधिनाशक रसायनों आदि पर कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता।	60% सहायता
		कूल हाउस (क्षमता–30 मै0टन) पर कुल लागत रू0 15.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह आदि को	50% सहायता
		रैफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता–9 मै0टन) पर कुल लागत रू0 26.00 लाख का 50 प्रतिशत सहायता कृषक समूह आदि को	50% सहायता

उद्यान विभाग :– औद्यानिकी विकास के लिए जनपद उधमसिंह नगर में अपार सम्भावनाएं हैं। क्योंकि जनपदान्तर्गत 03 सामुदायिक फल संस्करण केन्द्र (रूद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर) तथा 14 उद्यान संचल दल केन्द्र (प्रत्येक विकासखण्ड पर दो) तथा 04 राजकीय उद्यान (रूद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, सितारगंज) मौजूद हैं। जनपद में प्रमुखतया फल पौध, सब्जी पौध, सब्जी बीज, का उत्पादन एवं वितरण अधिकांश रूप से होता है। विभाग द्वारा जनपदान्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यक्रमों की मजबूती एवं सरलीकरण हेतु आयोग द्वारा निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं। जिनसे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहे पलायन को कम करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक–आर्थिक विकास का सुदृढ़ हो सकेगा :–

1. विभागीय रिक्त पदों की पदापूर्ति की जानी अति अपेक्षित है।
2. अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास हेतु बजट वृद्धि के साथ आगामी कार्ययोजना तैयार की जाय।
3. फलपौध रोपण के कार्यक्रम की परिधि को बढ़ाने के साथ–साथ उन्नत रोपण सामाग्री उपलब्ध की जाय।
4. हाईब्रिड सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने के लिए उद्यमियों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध किये जाने का प्राविधान हो।
5. कृषि यंत्रों के वितरण की संख्या बढ़ायी जाये किन्तु यंत्र मरम्मत की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय।
6. संरक्षित खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिए उद्यमियों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान किया जाय। ताकि उद्यमी योजना का पूर्ण लाभ ले सके।
7. जनपद में मसाला क्षेत्र में रोजगार के अपार संभावनाएं है अर्थात विभाग मसाला उत्पादन के क्षेत्र विस्तार के लिए विकासखण्डवार सर्वेक्षण कर कार्ययोजना तैयार करे।
8. बागान के जीर्णोद्वार का कार्य जनपद के पुराने बागान के उद्यमियों के हित में है। इसलिए बागानो का चयन कर वर्ष दर वर्ष कार्ययोजना तैयार की जाय।
9. उद्यमियों को कीटनाशक, कृषि औजार एवं पावर मशीन 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध की जाय। अनुदान राशि उद्यमियों के खाते में शीघ्र उपलब्ध किये जाने हेतु अपडेट सॉफ्टवेयर तैयार किया जाय।
10. अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का 30 प्रतिशत व्यय किया जाय।
11. जंगली जानवरों के आंतक को कम करने के लिए जनपद में भी घेरबाड की सुविधा दिये जाने का प्राविधान किया जाय।
12. जनपद की सीमाएं अन्य जनपदों एवं राज्यों से सटी हुई है। जहाँ फलो की मांग अधिक है अर्थात जनपद में फलों की खेती किये जाने की अपार सम्भावनाएं है।
13. जनपद के सभी विकासखण्डों को उद्यानीकरण के किसी न किसी बीज को उत्पादक विकासखण्ड के रूप में विकसित किया जा सकता है। विभाग इसके लिए आगामी कार्ययोजना तैयार करे।
14. जनपद के छोटे किसानों को मौन पालन और मशरूम उत्पादक के रूप में विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाय।
15. जनपद के सभी विकासखण्डों में फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
16. कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकारी/कर्मचारी फेसिलिटेटर के रूप में कार्य कर सके।
17. जनपद में फूडप्रोसेसिंग इकाईयों विकासखण्डस्तर पर स्थापित की जाय।
18. सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किये जाय, जिससे उद्यमियों को बिचौलियों से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ ही उद्यमी उत्पादन पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर पायेगा।
19. मिश्रित खेती (कृषि, पशुपालन, औद्यानिकी) से उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु छोटी–छोटी मण्डियाँ स्थापित कियें जाने हेतु नीति तैयार की जाय।
20. तापमान नियंत्रण करने वाले पॉलीहाउस लगवाये जाने के व्यवस्था की जाय।
21. उद्यमियों को 75mm के पाइप पर सब्सिडी मिल रही, जिसे 120mm के पाइप तक किया जाय, ताकि सरलतम रूप से उद्यमियों को सिंचन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

उद्योग विभाग

MSME Department (Directorate of industries) is the State level office responsible for implementing the policies and programmes for Industrial Development in the State. The main aim of Directorate of Industries is to provide a comprehensive framework to enable a facilitating, investor friendly environment for ensuring rapid and sustainable industrial development in Uttarakhand and through this to generate additional employment opportunities and to bring about a significant increase in the State Domestic Product, eventually widening the resource base of the State.

The role of the Directorate: -

- Encouraging investment in Manufacturing and Services Sector.
- Encouraging Entrepreneurship.
- Encouraging competitiveness in MSME sector.
- Directorate of Industries works through DIC's at the district level.
- 'Single Window System' and 'Udyog Mitra' two important facilitative mechanisms are being operated by Directorate of Industries.

DISTRICT INDUSTRIES CENTRES (DIC'S)

DIC's function as:

- Nerve Centre of Entrepreneurship.
- Information Centres.
- Counselling Centres.
- Single Window Contact & Facilitation Centers.
- Entrepreneur Memorandum (EM/Udyog Adhar) under MSME Act is to be filed in respective DIC's.

उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में योजनाऐं संचालित की जा रही हैं–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः–

प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम/व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, राज्य सहकारी बैंको/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

उद्देश्यः–

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(a) स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।

(b) युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल व अकुशल दस्तकारों/हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना ।

(c) पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।

कार्ययोजना

ऐसे उद्यमशील युवाओं/युवतियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने, उन्हें आवश्यक मार्ग–दर्शन देने, विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।

ऋण एवं अनुदान की मात्रा

(1) अधिकतम परियोजना लागतः विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत रू. 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत रू. 10 लाख होगी।

(2) अनुदान की मात्राः

श्रेणी	जनपद	अनुदान की मात्र
श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।	25 प्रतिशत
श्रेणी–बी श्रेणी–बी+	• अल्मोड़ा, पौड़ी एवं टिहरी • देहरादून एवं नैनीताल के पर्वतीय विकासखण्ड • नैनीताल का कोटाबाग विकाखण्ड एवं जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।	20 प्रतिशत
श्रेणी–सी व डी	• देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मि. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। • नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकाखण्ड में आने वाले क्षेत्र। • हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष समस्त मैदानी क्षेत्र (श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।	15 प्रतिशत

(3) मार्जिन मनी का समायोजनः उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।

(4) लाभार्थी का अंशदानः सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

(5) कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशाप/वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

पात्रता की शर्तें एवं अर्हता

(1) आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
(2) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
(3) योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
(4) आवेदक यह इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
(5) आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया है और वह चूककर्ता (Defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
(6) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
(7) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
(8) विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(9) लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलटी देखते हुए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व (पहले आओ पहले पाओ) के आधर पर किया जाएगा।

पात्र गतिविधियां

- सभी प्रकार की सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियां (जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की सभी नगदी/व्यवसायिक गतिविधियां भी सम्मिलित हैं)।
- सभी विनिर्माणक सूक्ष्म उद्यम।

लाभार्थियों का चयन

लाभार्थी का चयन निम्नानुसार गठित जिला कार्यदल (Taskforce) समिति के माध्यम से किया जायेगाः–

1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी–अध्यक्ष।
2. जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक–सदस्य।
3. वित्त पोषण करने वाले प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक–सदस्य।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक अथवा उनके प्रतिनिधि–सदस्य।
5. तकनीकी, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि–सदस्य।
6. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी–सदस्य।
7. प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य।
8. महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य सचिव।

जिला स्तरीय समीक्षा समिति

(क) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकरी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(ख) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति में मुख्य विकास अधिकारी/जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक/तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि/जिला सेवायोजन अधिकारी/आई.टी. आई/पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि/जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी (सदस्य) एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव होंगे।

नोटः आवश्यक होने पर जिलाधिकारी किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेंगे।

वित्त पोषण हेतु अधिकृत बैंक/वित्तीय संस्था

(क) सभी सार्वजनिक बैंक।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

(ग) सभी क्षेत्रीय बैंक।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनमोदित सहकारी बैंक/निजी वाणिज्यिक बैंक।

वित्त पोषण की प्रक्रिया

(1) जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त ओवदन पत्रों को क्रमवार पंजिका में दर्ज किया जायेगा एवं उक्तानुसार समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक माह में दो बार आयोजित की जायेगी।

(3) लाभार्थी के चयन के उपरान्त 3 दिन के अन्दर लाभार्थी का आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(4) लाभार्थी का आवेदन पत्र बैंक शाखा में प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। स्वीकृत/अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में बैंक शाखा द्वारा तत्काल जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।

(5) ऋण की प्रथम किश्त के वितरण के पश्चात 7 दिन के अन्दर वित्त पोषण करने वाली बैंक शाखा द्वारा वांछित मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दावा प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अन्दर मार्जिन मनी की धनराशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी) के माध्यम से उपलबध करायी जायेगी।

(6) यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में TDR के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर बयाज देय नहीं होगा।

(7) लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफॉल्ट न होने की दशा में 2 वर्ष के पश्चात् मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा। समायोजन के पूर्व जिला उद्योग केन्द्र एवं सम्बन्धित बैंक के अधिकारियों द्वारा लाभार्थी की परियोजना का सुयंक्त निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के पश्चात् ही उपलब्ध मार्जिन मनी की धनराशि को अनुदान के रूप में समायोजित किया जायेगा।

(8) जानबूझ कर किये गये ऋण दुरूपयोग की स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी जिला उद्योग केनद्र को वापस कर दी जायेगी। यदि परियोजना दैवीय आपदा अथवा अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण बन्द हुई है, तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा मार्जिन मनी को लाभार्थी के ऋण के सापेक्ष समायोजित किया जा सकेगा।

(9) नये लाभार्थियों को न्यूनतम 1 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण भारत सरकार तथा राज्य सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं यथाः राजकीय पॉलिटैक्निक, आई.टी.आई., आई.एच.एम., निसबड, सीपेट, आरसेटी आदि के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (नैनो):–

वैश्विक महामारी कोविड–19 तथा लॉकडाउन के कारण ग्रामीण तथा शहरी छोटे व्यवसायी/उद्यमी/पथ विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह छोटे व्यवसायी/उद्यमी आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस पूंजी का उपयोग अपने दैनिक वस्तुओं की खरीद में करने के कारण व्यवसाय/उद्यम के संचालन के लिए उनके पास पूंजी का अभाव बना हुआ है।

ऐसे सभी छोटे उद्यमी, जिन्हें अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता है, को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम में मुद्रा ऋण योजना (शिशु) के अन्तर्गत न्यूनतम औपचारिकता के साथ रू. 50,000 तक के Collateral free ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

उद्योग, सेवा, व्यवसाय तथा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, जिनमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मांस प्रसोधन/बिक्री की रू. 50,000 तक परियोजनाओं पर बैंको के माध्यम से वित्त पोषण किया जायेगा। स्वीकृत ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Mortgage) नहीं ली जायेगी।

उद्देश्यः–

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों/उद्यमियों तथा कोविड–19 के कारण राज्य में वापस लौटे प्रवासियों को स्वयं के उद्यम/व्यवसाय के संचालन/पुर्नसंचालन हेतु सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/सम्मिश्रण ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वरोजगार हेतु अति सूक्ष्म सेवा, व्यवसाय तथा छोटे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
- मुद्रा ऋण योजना (शिशु) का अधिकतम लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों/उद्यमियों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाना।

योजना का स्वरूप, ऋण अदायगी की अवधि एवं प्रतिभूति

योजना में पात्र गतिविधिः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अण्डे आदि की बिक्री, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज प्वाइंट, ब्यूटी पार्लर, इम्ब्रॉयड्री, सिलाई–बुनाई, बुक बाईंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, चूड़ी वाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप/अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, रिंगाल कार्य, पेपर बैग निर्माण, कैण्डिल निर्माण, देसी गाय पालन, मशरूम की खेती, साग–सब्जी उगाना, मत्स्य पालन, मशीन रिपेयरिंग, फल विक्रेता, कार वाशिंग, ब्लॉगिंग, ट्यूबर, बार्बर, कॉबलर्स, पैन शॉप्स, डेयरी, बैकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन/मीट शॉप, छोटी बेकरी, कारपेन्टरी, लौहारगिरी, लॉण्ड्री आदि ऐसी प्रमुख अति सूक्ष्म गतिविधियां हैं, जिनमें अति सूक्ष्म व्यवसायी/उद्यमी बड़ी संख्या में संलग्न हैं और कोविड–19 के कारण इनका कारोबार अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इन गतिविधियों के पुनर्संचालन के साथ–साथ नये उद्यमों की स्थापना की भी व्यापक सम्भावनायें हैं।

योजना की अधिकतम सीमाः– भारत सरकार की मुद्रा ऋण योजना (शिशु) के अन्तर्गत अति सूक्ष्म उद्यमी/व्यवसायियों को आच्छादित कर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना में मौजूदा छोटे/सूक्ष्म उद्यम/व्यवसाय अथवा नये उद्यम/व्यवसाय के पुनर्संचालन/स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू 50,000 तक की परियोजनाओं पर सावधि एवं कार्यशील पूंजी

ऋण/सम्मिश्रण ऋण (Term Loan & Working Capital Loa/Composite Loan) की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

लाभार्थी का अंशदानः– कुल परियोजना लागत में प्रवर्तक का कोई नकद अंशदान नहीं होगा। बैंको द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रवर्तक द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान (shares) स्वयं द्वारा दिया गया हो और यह दुकान अथवा विद्यमान उपकरणों/आस्थियों के रूप में हो सकता है। अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला तथा दिव्यांगजन के लिए कुल परियोजना लागत के सापेक्ष प्रवर्तक के अंशदान की अधिकतम सीमा 05 प्रतिशत होगी। मार्जिन/प्रवर्ततक का अंशदान बैंक के नीतिगत एंचे के अनुरूप और इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर आधारित होगा।

स्वीकृत/संवितरित ऋण की आदायगीः– न्यूनतम 2 वर्ष व अधिकतम 3 वर्ष में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Mortgage) नहीं ली जायेगी। लाभार्थी को दिये गये ऋण से सृजित आस्थि तथा जिस व्यवयसाय/परियोजना के लिए ऋण दिया गया है, उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई आस्थियों पर वित्त पोषक बैंक का प्रथम प्रभार रहेगा। वित्त पोषक बैंक सीजीपीएमएसई/मुद्रा गारण्टी कवर योजना में लाभार्थी को आच्छादित करेगा। योजनान्तर्गत लाभार्थी के ऋण खाते को प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में निर्धारित प्रीमियम लेकर बीमित किया जायेगा।

पात्रता एवं अर्हता

1. आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
3. आवेदक राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए।
4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था या अन्य संस्था का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए और उसका पिछला रिकॉर्ड सन्तोषजनक होना चाहिए।
5. ऋण लेने वाले अभ्यर्थी को प्रस्तावित गतिविधि के संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान होना चाहिए।
6. आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाताधारक होना चाहिए।
7. व्यवसाय/सेवा/उद्यम के संचालन/पुर्नसंचालन के लिए यदि कोई अनुज्ञा/अनुमति/अनापत्ति वांछित हो, तो क्षेत्र विशेष के सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा/अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
8. भूतपूर्व सैनिक/ महिला/ दिव्यांगजन /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक के अभ्यर्थियों को योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

योजना का क्रियान्वयन

योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय नोडल विभाग होगा। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में अन्य सम्बन्धित विभागों/बैंको की पूर्ण सहभागिता रहेगी।

बैंकों को ऋण हेतु आवेदन पत्रों का अग्रसारणः–

ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर प्रारम्भिक परीक्षण किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय वेबसाइट www.msy.uk.gov.in के माध्यम से क्रियान्वयन में सहभागी विभागों/संस्थाओं/बैंको को लाभार्थियों को स्वीकृत/संवितरित ऋण तथा अनुदान के विवरण साझा किये जायेंगें। आवेदन पत्रों के प्रारम्भिक परीक्षण एवं संस्तुति के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित कार्यदल द्वारा की जायेगीः

सम्बन्धित जनपपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	– अध्यक्ष
जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक	– सदस्य
प्रमुख बैंको के जिला समन्वयक	– सदस्य

जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य

जिला स्तरीय समीक्षा समिति

(क) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) तथा जिला उद्योग मित्र की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(ख) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, लाभार्थियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति में मुख्य विकास अधिकारी/जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक/तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंको के जिला समन्वयक/सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास खण्ड अधिकारी/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा नामित सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि (सदस्य) एवं महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव होंगे।

टिप्पणीः– आवश्यक होने पर जिलाधिकारी किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेंगे।

प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक नया क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड़ी कार्यक्रम है। वर्ष 2008 के दौरान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के के लिए प्रधानमंत्री रोजागार योजना (पीमएआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) योजना को विलय करके पीएमईजीपी योजना शुरू की गई थी। पीएमईजपी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा प्रशासित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

नोडल एजेंसीः

केवीआईसी देश भर में इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है।

कार्यान्वयन एजेंसियां और क्षेत्रः

- सभी कार्यान्वयन एजेंसियां, राज्य केवीआईसी, राज्य केवीआईबी, राज्य डीआईसी को ग्रामीण और शहरी श्रेणियों के बावजूद सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति है।
- केवीआईसी राज्य केवीआईबी/राज्य डीआईसी, अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
- कयर बोर्ड पीएमईजीपी के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थापित करने हेतु इकाइयों की पहचान करने, उनकी सहायता करने और सलाह देने में शामिल रहेगा।

अधिकतम परियोजना आकार

विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू. 50.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू. 20.00 लाख।

पीएमईजीपी के नए उद्यमों/इकाइयों के लिए लाभार्थियों की पात्रता शर्तें–

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।
2. पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी।

3. विनिर्माण क्षेत्र में रू. 10 लाख से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रू. 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना की स्थापना के लिए, लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
4. योजना के अन्तर्गत सहायता मात्र पीएमईजीपी के तहत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
5. मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत) और वे इकाइयां जो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अधीन पहले से ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं है।

लाभार्थियों का चयनः–

लाभार्थियों की पहचान राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी। भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के परामर्श से केवीआईसी ने एक स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) तैयार किया था, जिसका उपयोग पीएमईजीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में बैंकों को ओवदनों/प्रस्तावों को अग्रेषित करने के लिए किया जा रहा है। यह स्कोरिंग मॉडल केवीआईसी और मंत्रालय की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाता है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्कोरिंग मानदंडों के आधर पर क्रेडिट निर्णय लेने के लिए वरीयता के क्रम के अनुसार आवेदक द्वारा चुने गए वित्त पोषण बैंकों में से किसी एक को सीधे पूर्ण/ सुधारित आवेदनों को अग्रेषित करने या आवेदक को वापस करने का अंतिम निर्णय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा–

परियोजना लागत	बैंकों को अग्रेषित करने हेतु न्यूनतम स्कोर
रू. 10 लाख तक	100 में से 50
रू. 10 लाख से अधिक	100 में से 60

परियोजना स्वीकृतिः–

परियोजनाओं को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार वित्तीय बैंको द्वारा स्वीकृति दी जायेगी और प्रत्येक परियोजना के लिए अपना क्रेडिट निर्णय स्वयं लेंगे।

बैंक ऋण की धनराशिः–

बैंक स्वीकृति परियोजना लागत का 90–95% ऋण के रूप में स्वीकृत करता है और जारी करता है।

स्वयं का अंशदानः–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, एनईआर, आकांक्षी जिला, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों (सरकार द्वारा अधिूसचित) आदि सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थी के मामले में परियोजना लागत का 5% और समान्य श्रेणी के लाभार्थी के मामले में 10% ।

योजना के तहत नए सूक्ष्म उद्यम (इकाइयों) की स्थापना के लिए सरकारी सब्सिड़ी स्तर

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियां	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)	सब्सिड़ी की दर (परियोजना लागत का	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान		शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आंकाक्षी जिला, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिूसचित) आदि सहित	5%	25%	35%

नोटः–

(i) विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिड़ी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत रू. 50 लाख है।

(ii) व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिड़ी के लिए स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत रू. 20 लाख है।

(iii) कुल परियोजना लागत की शेष राशि (स्वयं के अंशदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी।

(iv) यदि कुल परियोजना लागत क्रमशः विनिर्माण और सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए रू. 50 लाख या रू. 20 लाख से अधक है, तो शेष राशि बैंकों द्वारा बिना किसी सरकार सब्सिड़ी के प्रदान की जा सकती है।

बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज

एक सहायक सेवा के रूप में, योजना के अंतर्गत कार्यान्वयी अभिकरणों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी।

उद्योग समूहः–

कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), वन आधारित उद्योग (एफबीआई), हाथकागज और रेशा उद्योग (एचएमपीएफआई), खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), बहुलक और रसायन आधारित उद्योग (पीसीबीआई), ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी (आरईबीटी), वस्त्र और कॉयर बोर्ड सहित सेवा उद्योग।

लाभार्थियों के लिए पात्रता शर्तेः–

1. पीएमईजीपी के अंतर्गत दावा किए गए मार्जिन मनी (सब्सिड़ी) को 3 वर्ष की लॉक इन अवधि के पूरा होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।
2. पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा के अतर्गत पहले ऋण को निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए।
3. इकाई अच्छे कारोबार के साथ लाभ कमा रही है और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण/उन्नयन के साथ कारोबार और लाभ में और वृद्धि की क्षमता रखती है।
4. लाभार्थी उसी वित्त पोषण बैंक को आवेदन कर सकता है, जिसने पहला ऋण प्रदान किया था, या किसी अन्य वित्त पोषक बैंक को, जो दूसरे ऋण के लिए ऋण सुविधा देने को तैयार है।
5. उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) का पंजीकरण अनिवार्य है। दूसरे ऋण से अतिरिक्त रोजगार सृजन होना चाहिए।

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana (MSSY 2020)

Solar power plant Capacity: 25 kw

Maximum Project Cost: Rs. 10 Lakh

Margin Money/Subsidy:

<table>
<tr><th>Applicable time limit</th><th>Subsidy</th><th>Category</th><th>Manufacturing Activities</th><th>Service, Retail trade, Agri and allied Activities</th></tr>
<tr><td rowspan="3">One time</td><td rowspan="3">Margin money will be adjusted after successful operation of the business for at least 2 years</td><td>A (Hilly)</td><td>25%
(Upto 6.25 Lakh)</td><td>25%
(Upto 2.50 Lakh)</td></tr>
<tr><td>B (Hilly)</td><td rowspan="2">20%
(Upto 5 Lakh)</td><td rowspan="2">20%
(Upto 2 Lakh)</td></tr>
<tr><td>B+</td></tr>
</table>

		C	15% (Upto 3.75 Lakh)	15% (Upto 1.50 Lakh)
		D		

Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council (UHHDC)

Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council (UHHDC) is a society registered under Society Registration Act, 1860. The Industry Minister is a Chairperson of this council. Principal Secretary, Industry is the member secretary of the council. The council works through the Directorate of Industries & District Industry Centers. Additional Director of Industry is the Chief Executive Officer of this council.

Handlooms

The pristine beauty of the mighty Himalayas. Amazingly diverse assortment of flora and fauna, the natural vegetation, fresh, clean, pollution free environment. Salubrious climate. God has blessed Uttarakhand with all these and much more.

Handicraft

Uttarakhand specializes in a variety of handicrafts which are unique in their beauty and intricacies. They infuse their art into the utility products with fineness worth appreciation.

ग्राम्य विकास विभाग

उत्तराखंड की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उत्तराखंड में विकास के लिए और गरीबी पर काबू पाने के लिए मुख्य चुनौती कठिन पर्वतीय इलाका है। उत्तराखंड के कम विकसित पर्वतीय जनपदों की तुलना में मैदानी जनपदों में विकास जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि–धारण बहुत ही कम और खंडित हैं। पर्वतीय जनपदों में केवल लगभग 10% भूमि सिंचित है। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण समावेशी विकास में बाधक हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश ग्राम्य आबादी कृषि पर निर्भर है अथवा बेहतर आजीविका अवसरों के लिए पलायन करती है। बिजली, सड़कें और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों की पर्वतीय क्षेत्रों में कमी है। बुनियादी ढांचों में अंतर–जिला असमानता पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच आय और आजीविका के मामले में असमानता को बढ़ाती है। इसके अलावा, क्षेत्र में गैर–कृषि क्षेत्र पर आय निर्भरता काफी हद तक बढ़ी है। विशाल प्राकृतिक संसाधन राज्य के आकर्षण को एक निवेश गंतव्य के रूप में जोड़ते हैं, विशेष रूप से पर्यटन और कृषि– और वन आधारित उद्योगों के लिए।

डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. देश के सभी जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित करता है। आर.एस.ए.टी.आई.एस. इन जनपदों में से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद व्यवस्थित रूप से हैंडहोल्डिंग सहायता और बैंक लिंकेज के माध्यम से आत्मविश्वास से स्व–नियोजित उद्यमियों में बदलते हैं। बैंकों को चयन, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद के कार्यों में शामिल किया गया है।
एन.आर.एल.एम. स्व–प्रबंधित स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.एस.) और संघबद्ध संस्थाओं के माध्यम से देश में 600 जिलों, 6000 विकास खण्ड़ों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को सम्मिलित करने और 8.10 वर्षों की अवधि में उन्हें आजीविका सामूहिकता के लिए समर्थन करने की एक कार्यसूची के साथ प्रस्थापित है।
इसके अलावा, गरीबों को अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी। डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. गरीबों की जन्मजात क्षमताओं को उपयोग में लाने में विश्वास रखता है और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उन्हें क्षमताओं (सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त और सामूहिकता) के साथ परिपूरक बनाता है।
नवंबर 2015 में, इस कार्यक्रम का नाम बदल कर दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम.) कर दिया गया था।
घटक
वित्तीय समावेशन

1. गरीब को वित्तीय संस्थान के लिए पसंदीदा ग्राहक बनाना

एन.आर.एल.एम. गरीबों की संस्थानों की संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ बनाने और मुख्य धारा के बैंक वित्तपोषण को आकर्षित करने के लिए अपने ट्रैक रिकॉर्ड का निर्माण करने के लिए गरीबों के संस्थानों को असीमता में संसाधनों के रूप में रिवोल्विंग फंड एन्ड कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सी.आई.एफ.) प्रदान करता है।

एन.आर.एल.एम. प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोर्पस के रूप में और बार–बार दोहराने वाले बैंक वित्त के लिए उत्प्रेरक पूंजी के रूप में एस.एच.जी.एस. को 10,000-15,000 रुपये का रिवोल्विंग फंड (आर.एफ.) प्रदान करता है। आर.एफ. उन एस.एच.जी.एस. को दिया जाता है जो "पंचसूत्र" का अभ्यास कर रहे हैं (नियमित बैठकें; नियमित बचत; नियमित अंतर–ऋण; समय पर पुनर्भुगतान; और खातों की अद्यतन किताबें)।

- एन.आर.एल.एम. एस.एच.जी.एस./ग्राम्य संगठनों के माध्यम से सदस्यों की क्रेडिट आवश्यकताओं को और विविध स्तरों पर सामूहिक गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्लस्टर स्तर पर एस.एच.जी. फेडरेशनों को प्रारंभिक पूंजी के रूप में सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करता है।
- एन.आर.एल.एम. खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि जैसी कमजोरियों को संबोधित करने के लिए और गाँव में कमजोर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम्य स्तर पर एस.एच.जी. फेडरेशनों को वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड (वी.आर.एफ.) प्रदान करता है।

2. एस.एच.जी. क्रेडिट लिंकेजः मिशन सामुदायिक संस्थानों को केवल उत्प्रेरक पूंजी समर्थन करता है, यह उम्मीद है कि बैंक ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए ऋण की जरूरतों की समग्र श्रेणी को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रमुख हिस्सा प्रदान करें। इसलिए यह मिशन उम्मीद करता है कि एस.एच.जी.एस. बैंक क्रेडिट की महत्वपूर्ण राशि का लाभ उठाएँ।

वित्तीय समावेशन– सामुदायिक निवेश सहयोग निधि

- Revolving Funds (RF) :– योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समूह को 15000 से 30000 रू0 तक आर0एफ0 दिये जाने का प्राविधान है।
- Community Investment Funds (CIF) :– योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समूह को 75000 से 150000 रू0 तक सी0आई0एफ0 दिये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय समावेशन–बैंक लिंकेज

- समूह को रू. 6.00 लाख ऋण सीमा निर्धारित किये जाने का प्रविधान है।
- बैंक लिंकेज के कार्यो को सुगम बनाने हेतु 400 बैंक सखी को प्रशिक्षित कर बैंकों में तैनात किया गया है।
- UPASC को राज्य में CBOs की FI गतिविधि के लिए स्थापित किया गया है।
- FI गतिविधियों के लिए REAP प्रोजेक्ट के तहत UPSAC द्वारा समूहों का वित्तीय समावेशन किया जायेगा।

गैर–कृषि कार्यो के तहत समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यो का विवरण

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एस0वी0ई0पी0)

- एस0वी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत राज्य में दो जनपदों के 02 विकास खण्डों (जसपुर/सहसपुर) में महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा 1810 उद्यमों की स्थापना की गयी है।
- एस0वी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत राज्य को दो विकासखण्डों (जोशीमठ एवं धारचूला) हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। जिसका क्रियान्वयन वर्तमान समय में सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है।

समूहों एवं संगठनों को बढ़ावा देने हेतु कार्य –

- राज्य में गठित 54201 स्वयं सहायता समूहों में 4.03 लाख परिवारों में से 3.53 लाख परिवारों (87%)का लखपति दीदी सर्वे कराया गया है।
- लखपति दीदी सर्वे में वर्तमान समय तक 31431 सदस्यों की आय 1 लाख से ऊपर पहुँचायी गयी है।
- लखपति दीदी हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन कर कार्य करने हेतु गाईडलाईन जारी की गई है।
- जनपद स्तर पर लखपति दीदी तैयार किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.:

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में एक संशोधन के अनुसार शब्द "महात्मा गांधी" राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आगे उपसर्ग के रूप में जोड़े गए थे। इस अधिनियम में उन जिलों को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया है जिसकी शहरी आबादी सौ प्रतिशत है। महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.ए. अधिनियम में प्रावधानों की श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को कई कानूनी अधिकार प्रदान करता है। जहाँ यह अधिनियम एक साल में प्रति ग्रामीण परिवार कार्य के सौ दिनों का प्रावधान करता है, यह अधिकारों और हकदारियों का सुदृढ़ क़ानूनी ढांचा है जो प्रति वर्ष सौ दिनों के काम को संभव बनाता है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. का लक्ष्य वह प्रत्येक गरीब परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत वेतन रोजगार के एक सौ तक के दिन प्रदान करके आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है जिस परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल कार्य करने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार होते हैं। महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.ए. एक माँग संचालित कार्यक्रम है, इसलिए निधि और रोजगार सृजन की आवश्यकता काम की मांग पर निर्भर करती है। अधिनियम का प्रमुख फोकस रोजगार अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है और इस तरह स्थानीय लोगों के समग्र विकास के प्रति योगदान देना है।

वर्ष 2008–2009 में, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की गतिविधियों के साथ एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. गतिविधियों के सम्मिलन के लिए संयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए थे ताकि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. गतिविधियों और इन मंत्रालयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बनाया जा सके, दुर्लभ संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जा सके और ग्रामीण आजीविका स्थिरता के लिए टिकाऊ और उत्पादक संपत्ति बनाई जा सके। प्रारंभ में, संमिलन गतिविधियों के लिए पायलट के रूप में भारत के 126 जनपदों को चुना गया था। बाद में, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. सम्मिलन को कुछ अधिक योजनाओं / गतिविधियों तक बढ़ाया गया था जैसे कि पी.एम.के.एस.वाय., राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आदि (उत्तराखंड में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के तहत सम्मिलन गतिविधियों के मूल्यांकन पर अध्ययन रिपोर्ट, एन.आई.आर.डी.पी.आर.)

योजना के तहत कार्य के प्रकार:

- जलभराव क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य।
- सभी मौसम की पहुँच प्रदान करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी। केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कार्य।
- जल संरक्षण और जल संचयन।
- सूखा प्रूफिंग (वनीकरण और वृक्षारोपण)
- सिंचाई नहरें
- आई.ए.वाय. के तहत एस.सी./एस.टी. लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान।
- पारंपरिक जलस्रोतों का नवीनीकरण, टंकियों में से गाद निकालना
- भूमि विकास

उत्तराखण्ड में गरीबों को उत्पादक संपत्तियो और आय सृजन रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए, कई राज्य और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू किया गया है। एम.जी.एन.आर.ई.जी. योजना एक महत्वपूर्ण माँग–संचालित रोजगार गारंटी कार्यक्रम है जो उन लोगों के लिए रोजगार प्रदान करता रहा है जो अपनी आजीविका के लिए छोटे–मोटे काम पर निर्भर हैं। हालाँकि इस योजना के लिए रोजगार के समग्र दिन कम (डेढ़ महीना) हैं, लेकिन उच्चतम पंचमक समूहों की तुलना में इस तरह के रोजगार पर निर्भरता कम पंचमक आय समूहों में अधिक है। (एच.डी.आर., उत्तराखंड 2017)

मनरेगा अन्तर्गत एस0एच0जी0 के सदस्यों हेतु नर्सरी स्थापना

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उद्देश्यः

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्र में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी और उनके अच्छे रहन–सहन से जुडी जरूरतों को पूरा करना तथा भागीदारी दृष्टिकोण विशेष रूप से छह विषयों से सम्बन्धित क्षेत्रों–यथा–बुनियादी अवसंरचना, स्वास्थय अवसंरचना, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधनों, वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र विकास की योजनाओं/अन्य केन्द्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक अवसरंचना उपलब्ध कराना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान तथा जीवित रहने के लिए स्थायी भरण–पोषण के अवसरों से इन क्षेत्रों को अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने में मदद मिलेगी, देश के द्वारा की जाने वाली देखभाल की सकारात्मक अवधारणा बनेगी और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने हेतु प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, परिणामस्वरूप हमारी सीमाएं सुरक्षित एवं संरक्षित होंगी।

बी0ए0डी0पी0, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के मार्गनिर्देश/संशोधित घटक बी0ए0डी0पी0 तथा एम0बी0ए0डी0पी0 के तहत आच्छादित जनपद/विकासखण्ड।

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	चम्पावत	चम्पावत
		लोहाघाट
2	चमोली	जोशीमठ
3	पिथौरागढ़	धारचूला
		मुनस्यारी
		मुनाकोट
		कनालीछीना
4	ऊधमसिंह नगर	खटीमा
5	उत्तरकाशी	भटवाड़ी

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- बी0ए0डी0पी0 का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विषेश विकासात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करना तथा बी0ए0डी0पी0/अन्य केन्द्रीय/राज्य संघ /स्थानीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को आवश्यक अवस्थापना सुविधायें प्रदान करना है।

Coverage:

- कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) से पहली बस्ती से 0–10 किमी की दूरी (कौवा – फ्लाई/हवाई दूरी) के भीतर स्थित सभी जनगणना गांवों/कस्बों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों को कवर करेगा।
- आईबी से सभी पहली बस्तियों को जोड़ने वाली काल्पनिक लाइन बीएडीपी के लिए शून्य रेखा होगी और इंटीरियर की ओर 10 किमी की दूरी की गणना इस शून्य लाइन से की जाएगी।
- इस 0–10 किमी क्षेत्र के भीतर, बीजीएफ द्वारा रणनीतिक गांवों/कस्बों के रूप में पहचाने गए जनगणना गांवों, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- एक बार 0–10 किमी क्षेत्र संतृप्त हो जाने के बाद, कार्यक्रम 10–20/30/40/50 किमी क्षेत्र को कवर कर सकता है।
- प्रस्तावों में एक विस्तृत वार्षिक कार्य योजना (ए0ए0पी0) के साथ–साथ ए0ए0पी0 के लिए धन के स्रोत शामिल होंगे।

Selection of Works/projects:

कार्यों/परियोजनाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगाः

(i) प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए (महत्व की बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा)

(ii) जहां कहीं भी लागू हो, कम से कम 4 वर्षों के कार्यों की भौतिक और वित्तीय चरणबद्धता की गई है

(iii) क्रमिक वार्षिक कार्य योजना में आवंटन इन चल रहे कार्यों को पहली प्राथमिकता देगा

(iv) कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों की प्रतिबद्ध देनदारियों को पहले लिया जाएगा।

मॉडल गांवः मॉडल गांवों के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव बीएडीपी की वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

Illustrative List of Works/Projects permissible under the Border Area Development Scheme

(A) **Roads and Bridges**

(B) Construction and up-gradation of roads

(C) Construction of bridges and culverts.

(D) Construction of Foot Suspension Bridges.

(E) Construction of retaining walls to protect the roads in hilly areas.

(A) **Health infrastructure:**

- Construction of houses for Government doctors, paramedics andother Government officials engaged in health sector in border census villages/ habitations.
- Building infrastructure (SHC/PHC/CHC) including their up-gradation.
- Setting up of Government mobile dispensaries/ambulances
- Purchase of medical equipments in Government Hospitals.

(A) **Education infrastructure**:
(B) Construction of houses for Government teachers and other government officials engaged in education sector.
(C) Construction of Primary/ Middle/ Secondary/ Higher secondary school buildings and their up-gradation/addition such as
(D) construction of additional classrooms, computer rooms and laboratories.
(E) Construction of hostels/ dormitories in Secondary/ Higher Secondary school.

(A) **Agriculture infrastructure**
(B) Construction of minor irrigation works.
(C) Water conservation programmes.

(A) **Sports infrastructure:**
(B) Construction/ development of play fields.
(C) Construction of mini stadium.
(D) Construction of indoor courts for table tennis/ badminton/ basketball / handball.

(A) **DWS projects:**
(B) Drinking Water Supply projects in Government schools /census villages/ census towns.
(C) **Social Sector infrastructure**
(D) Construction of anganwadi centre.
(E) Construction of community centre.
(F) **Development of Model villages** – the State / UT Government may undertake multiple infrastructure development works/projects in a village on a hub and spoke model.
(G) **Construction of infrastructure for Small Scale Industries.**
(H) **Maintenance of assets created under BADP.**
(I) **Administrative Expenditure.**

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

- 09 सीमान्त विकासखंडों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 0–50 किमी में अवस्थित गांव पात्र।
- रेखीय विभागों/राज्य सरकार के संस्थानों/निगम/परिषद/बोर्ड/सामुदायिक संगठन प्रस्ताव प्रेषण हेतु अनुमन्यता।
- विभिन्न विभागीय योजनाओं के साथ युगपितिकरण/केन्द्राभिसरण का प्रावधान।
- योजना क्रियान्वयन की सामान्यतः समय सीमा 1 वर्ष किन्तु हिमाच्छादित क्षेत्र होने से अधिकतम 18 माह।
- जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन
- व्यक्तिगत प्रस्तावित कार्यो के मामले में मा0मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अनुमोदन का प्रावधान।
- मॉडल गाव विकास करने का प्रावधान तथा इस हेतु दिशा निर्देशों मे एस0एल0ई0सी0 को शिथिलता का अधिकार का प्रावधान।
- राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को दिशा निर्देशों मे अवक्रमण/प्रतिस्थापन का अधिकार।

संशोधित घटक

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रथम गांव से 0–50 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत लगभग 10–12 गांवों का एक क्लस्टर का गठन एवं क्लस्टर के सभी गांवों का योजना से आच्छादन।

गावों के चयन तथा योजना के क्रियान्वयन में निम्न मानकों को प्राथमिकता–

1. रणनीतिक महत्व के गांव।
2. पलायन प्रभावित गांव। (2011 की जनसंख्या तथा वर्तमान समय की जनसंख्या का अन्तर)
3. सूक्ष्म जलागम क्षेत्र
4. पर्यटन संभाव्य क्षेत्र

- योजनान्तर्गत क्लस्टर संतृप्तीकरण दृष्टिकोण (Cluster Saturation Approach) के साथ 03 वर्षो का Rolling out plan तैयार करना।
- क्लस्टर में सामान्यतः 10–12 गांव। गावों का निर्धारण उक्त कलस्टर में तीन वर्षो में संतृप्तीकरण के आधार पर किया जाना।
- Rolling out plan के आधार पर प्रत्येक वर्ष हेतु वार्षिक कार्ययोजना का गठन।
- Bottom up Approach के साथ गांवों में बैठक आयोजित कर, वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कार्ययोजना का गठन।
- Three years Rolling out plan का राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, (SPMU) द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (SLEC) से अनुमोदन।
- राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (SLEC) से अनुमोदित त्रिवर्षीय कार्ययोजना के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा योजना के वार्षिक कार्ययोजना पर अंतिम अनुमोदन/स्वीकृति।
- जनपदों द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ त्रैमासिक रूप से राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, (SPMU) के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना ।

अनुमन्य कार्य–योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित बी0ए0डी0पी0 के तहत अनुमन्य कार्य (10–50 किमी के गांव)
- स्थानीय युवाओं का कौशल विकास
- सामुदायिक संगठनों यथा एस0एच0जी0/उत्पादक समूह (पी0जी0)/वी0पी0जी0/ एल0सी0/ वी0ओ0, सी0एल0एफ0 आदि हेतु स्थायी आजीविका सृजन के क्रियाकलाप।
- अति आवश्यक सामुदायिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास
- आजीविका विकास हेतु तकनीकी हस्तान्तरण संबंधी क्रियाकलाप
- पर्यटन/सीमान्त पर्यटन को बढावा।
- जैविक कृषि को बढावा हेतु तकनीकी क्रियाकलापों में सहयोग।
- ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना ।
- ऐसे अभिनव प्रयास/नवाचार/विशेष योजनायें जो सीमान्त क्षेत्रों में आजीविका विकास तथा पलायन रोकने में सक्षम हो यद्यपि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदनोपरांत ही ऐसी योजनाओं को अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

- ऐसे महत्वपूर्ण घटक जो सीमान्त क्षेत्र विशेष के विकास के दृष्टिगत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी समय–समय पर समीक्षा उपरांत आवश्यक समझे, उन्हे मार्गनिर्देश में समिति के अनुमोदनोपरांत सम्मिलित किया जा सकेगा तथा ऐसे अनुमोदित क्रियाकलापों का क्रियान्वयन अनुमन्य होगा।
- व्यक्तिगत प्रकृति के कार्यो के मामले में मार्गनिर्देश के बिन्दु सं0 3.18 के अनुसार ।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

योजना के मुख्य घटक

- योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित गावों में आवासित परिवारों/बेरोजगार युवाओ/रिवर्स माइग्रेंट आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर पलायन कम करना।
- कृषि/उद्यान/पशुपालन के कार्यो तथा कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन संबंधी कार्यो पर विशेष बल।
- व्यक्तिगत कार्य जो कि replicable हो अथवा मूलभूत सुविधाओ संबंधी कार्य किये जाने का प्रावधान।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना पर स्वीकृति।

संशोधित घटक

- योजनान्तर्गत क्लस्टर संतृप्तीकरण दृष्टिकोण (Cluster Saturation Approach) के साथ 03 वर्षो का Rolling out plan तैयार करना।
- Rolling out plan के आधार पर प्रत्येक वर्ष हेतु वार्षिक कार्ययोजना का गठन।
- Bottom up Approach के साथ गांवों में बैठक आयोजित कर, वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर कार्ययोजना का गठन।
- Three years Rolling out plan का राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, (SPMU) द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (SLEC) से अनुमोदन।
- राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (SLEC) से अनुमोदित त्रिवर्षीय कार्ययोजना के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वार्षिक कार्ययोजना पर अंतिम अनुमोदन /स्वीकृति।
- जनपदों द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ त्रैमासिक रूप से राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, (SPMU) के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना ।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 हेत स्वीकृत धनराशि रू0 25.00 करोड़ ऐसे 07 जनपदों को अवमुक्त की गई है जिनके विकासखंडों में 2001 तथा 2011 की जनसंख्या का प्रतिशत नकारात्मक रहा है।
- आगामी वित्तीय वर्ष की धनराशि ग्राम्य विकास तथा पलायन निवारण आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विभाग द्वारा मार्गनिर्देश में तदानुसार संशोधनोपरांत जारी की जायेगी।

अध्याय 09

चाय विकास

मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र के कई इलाकों में चाय उगाने की अपार सम्भावनाऐं हैं। यह गतिविधि छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए लाभकारी है। ब्रिटिशकाल से (वर्ष 1835 से) ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चाय बागानों का विकास हुआ। वर्ष 1835 में लगभग 2000 चाय के पौधे कलकत्ता से लाए गए जिन्हें अल्मोड़ा के पास लक्ष्मेश्वर एवं भीमताल के पास भरतपुर में लगाया गया। वर्ष 1880 तक उत्तराखण्ड में 83 चाय बगीचे थे जिनका का कुल क्षेत्रफल लगभग 11000 एकड़ था, स्थापित किए जा चुके थे। वर्ष 1993–1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार की एक योजना– उत्तराखण्ड चाय परियोजना के नाम से संचालित की, जिसके संचालन की जिम्मेदारी कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को दिया गया। उत्तराखण्ड गठन के बाद प्रदेश के विकास में चाय बागानों की भूमिका के महत्व को देखते हुए वर्ष 2004 में उत्तराखण्ड चाय विकास परिषद का गठन किया गया। तब से इस परिषद ने चाय विकास के लिए नर्सरियाँ तथा चाय बागान स्थापित किए हैं जो कि मुख्यतया अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं रूद्रप्रयाग जनपद में है। यह एक नकदी फसल है तथा उत्तराखण्ड में पारम्परिक खेती के अतिरिक्त किसानों के लिए आय का वैकल्पिक साधन के रूप में ऊभर रहा है।

Vision

To establish labour intensive and eco-friendly tea plantation proposed in 9000 hectares of land in Uttarakhand so as to utilize fallow and cultivable vacant land for the sustainable development of the rural areas and

- To provide employment to the illiterate/semiliterate rural folks,
- To ameliorate and strengthen the economic condition of the tea farmers through the sale of green leaf.
- To provide income generating opportunities to a large section of semi-urban and urban population through trade.
- To add revenue of the State Govt.

Uttarakhand Tea Development Board-Objectives

The main objective of the Board is to undertake scientific survey, conservation, cultivation, revival of old gardens and efficient production of tea in order to improve and boost the economic conditions of the local people/farmer/labors/landowners. (UTDB, 2022)

The board undertakes the following activities in the State:

- To rejuvenate and revive old tea gardens and estates
- To establish new tea gardens and estates
- To survey the prospective areas for tea plantation
- To ensure availability of advanced and latest tools and techniques for tea plantation.
- To educate and train the local people and landowners about tea-cultivation and its benefits.
- To provide employment opportunities to the local people and landowners by planting tea in barren wastelands
- To increase the level of income and standard of living of local people and landowners by promoting tea cultivation

- To help and assist the land owner's farmers and labors in tea plantation
- To determine the quality of Uttarakhand tea and establish quality control measure
- To establish coordination between research and development works in the field of tea
- To provide private/individual entrepreneurs land for tea planation by taking land on lease from land owners/villager
- To establish tea factories as well as to invite private/individual entrepreneurs to establish tea factories
- To survey and publicize organic farming of tea and to promote landowners/entrepreneurs to undertake and propagate organic tea planation
- To promote the tea manufacturing through various marketing strategies and use export as a distribution channel
- To develop tea gardens on land taken on lease from landowners
- To record, document and publish date, literature, information, public interaction, proceedings, etc. related to tea and tea industry

नर्सरी विकास– चाय बागानों की स्थापना के लिए चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग तथा हिमाचल से बीज एवं अन्य रोपण सामग्री मंगायी। कुछ समय बाद दार्जिलिंग, असम एवं दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी से आये रोपण सामग्री से कई नर्सरियां स्थापित की गयी जिनसे प्रदेश के विभिन्न भागों में चाय बागानों की स्थापना की जा रही है।

Present Status of Nursery (Till April,2018)

I. Tea Development Board	**Plants in Lakh**
1. Champawat (Champawat)	11.84
2. Ghorakhal (Nainital)	8.28
3. Nauti (Chamoli)	6.45
4. Jakholi (Rudraprayag)	4.78
5. Pauri	4.55
6. Jaurasi	3.45
Total	**39.35**
II. MNREGA	
i. Block Augustmumi, Rudraprayag	0.97
ii. Block Bageshwer, Bageshwer	1.16
iii. Block Berinag, Pithoragarh	2.10
iv. Block Betalghat, Nainital	15.86
v. Block Dhauladevi, Almora	1.57
vi. Block Didihat, Pithoragarh	2.18
vii. Block Garur, Bageshwer	1.10
viii. Block Kapkote, Bageshwer	2.25
ix. Block Pokhari, Chamoli	0.66
x. Block Takula, Almora	0.22
xi. Block Tharali,Chamoli	0.34
xii. Block Ukhimath, Rudraprayag	1.51
Total	**29.92**
III. Special component plan	
i. Harinagri	3.53
ii. Dharamghar	0

iii. Dhauladevi	2.88
iv. Munsyari	4.20
Total	**10.61**
GRAND TOTAL	**79.88**

चाय बागान– प्रदेश के विभिन्न भागों में किसानों से लीज पर जमीन लेकर चाय बोर्ड चाय बागान की स्थापना कर रहा हैं इनसे सैकड़ों पुरूषों एवं महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में स्थापित चाय बागानों की सूचना निम्नलिखित तालिकाओं में दी जा रही हैः–

Inorganic Tea Gardens (Till April,2018)

Tea Development Board	**Area in Hectares**
1. Kausani (Almora/Bageshwar)	205.78
2. Jaurasi (Almora)	1.05
3. special component plan	
i. Block Garur, Bageshwar	147.53
ii. Block Berinag, Pithoragarh	32.38
iii. Dhauladevi	7.56
iv. Block Kapkote, Bageshwar	18
v. Munsyari, Pithoragarh	1.76
4. MNREGA	
i. Bageshwer, Bageshwer	13.57
ii. Block Dhauladevi, Almora	41.92
iii. Block Didihat, Pithoragarh	34.51
iv. Garur, Bageshwer	32.06
v. Kapkot, Bageshwer	9.92
vi. Takula, Almora	26.15
Total	**572.19**

Organic Tea Gardens (Till April,2018)

Tea Development Board	**Area in Hectares**
1. Champawat (Champawat)	203.4
2. Ghorakhal (Nainital)	112.26
3. Jakholi (Rudraprayag)	24.45
4. Nauti (Chamoli)	170.21
5. Pauri (Pauri)	2.32
MNREGA	
i. Augustmuni (Rudraprayag)	4.97
ii. Block Betalhgat (Nainital)	15.1
iii. Block Pokhri (Chamoli)	25.41
iv. Block Tharali (Chamoli)	34.53
v. Block Ukhimath (Rudraprayag)	1.16
Total	**593.81**

The Status of various Sub-projects undertaken by the Board till March, 2022

S.No.	Sub-Projcet	Sanctioned (in Hectares)	Completed (in Hectares)
1	Kausani (Bageshwar) Tea Garden	211	206
2	Nauti (Chamoli) Tea Garden	200	189
3	Champawat (Champawat) Tea Garden	200	236
4	Ghorakhal (Nainital) Tea Garden	200	152
5	Jakholi (Rudraprayag) Tea Garden	100	38
6	Jairasi (Almora) Tea Garden	100	16
7	Khirsu (Pauri Garhwal) Tea Garden	100	16
	Total	**1111**	**853**

Source: Uttarakhand Tea Development Board

The Status of Plantation undertaken by the Board under Special Component Plan till March, 2022:

S.No.	Projcet	Sanctioned (in Hectares)	Completed (in Hectares)
1	Block Garud (Bageshwar)	150	150
2	Block Berinaag (Pithoragarh)	50	50
3	Block Munshiyaari (Pithoragarh)	100	18
4	Block Dhauladevi (Almora)	100	12
	Total	**400**	**230**

Source: Uttarakhand Tea Development Board

The Status of various Sub-projects undertaken by the Board under MGNREGA till March, 2022

S.No.	Sub-Projcet	Sanctioned (in Hectares)	Completed (in Hectares)
1	Block Dhauladevi (Almora)	60	60
2	Block Takula (Almora)	60	28
3	Block Garud (Bagehswar)	100	38
4	Block Didihaat (Pithoragarh)	60	53
5	Block Pokhari (Chamoli)	60	27
6	Block Tharali (Chamoli)	60	37
7	Block Betaalghat (Nainital)	100	47
8	Block Agustmuni (Rudraprayag)	60	7
9	Block Ukhimath (Rudraprayag)	60	5
10	Block Kapkot (Bagehswar)	60	17
11	Block Bageshwar (Bageshwar)	60	18
12	Block Hawalabagh (Almora)	60	2
	Total	**800**	**339**

Source: Uttarakhand Tea Development Board

आर्गेनिक चाय का उत्पादन– आर्गेनिक उत्पादों के महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आर्गेनिक चाय को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया इसके फलस्वरूप चाय बोर्ड ने लगभग 218 हैक्टेयर ऑर्गेनिक चाय के बगीचे घोड़ाखाल (जनपद नैनीताल), चम्पावत (जनपद चम्पावत) तथा नौटी (जनपद चमोली) में स्थापित किए हैं। कलकत्ता के विशेषज्ञों ने इन बगीचों के चाय को उच्च स्तर का माना है तथा इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

चाय फैक्ट्री– वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड की प्रथम चाय फैक्ट्री– उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से कौसानी, जनपद बागेश्वर में स्थापित की गयी तथा उत्तरांचल चाय के नाम से फैक्ट्री ने वर्ष 2002 में उत्पाादन शुरू किया। इस फैक्ट्री के चाय की मांग देश–विदेश में बढ़ रही है। इसके पश्चात् निम्नलिखित स्थानों पर भी चाय फैक्ट्री की स्थापना की गयी है– (1) घोड़ाखाल चाय

फैक्ट्री, जनपद नैनीताल, (2) चम्पावत चाय फैक्ट्री, जनपद चम्पावत, (3) नौटी चाय फैक्ट्री, जनपद चमोली एवं (4) हरीनगर चाय फैक्ट्री।

भूमि चयन की प्रक्रिया– उत्तराखण्ड चाय बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करता है तथा भू–स्वामियों से उनकी भूमि के विवरण सहित आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उस क्षेत्र की मृदा का परीक्षण अपनी प्रयोगशाला में करवाता है क्योंकि चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि का pH 4.5 एवं 6.00 के बीच होना चाहिए। इसके बाद एक विस्तृत कार्ययोजना बनायी जाती है एवं संबंधित अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् चाय बागान के विकास का कार्य शुरू होता है।

रोजगार की संभावनाऐं– प्रदेश की चाय नर्सरियों एवं बागानों में लगभग 9लाख मानव दिवस प्रतिवर्ष का रोजगार उपलब्ध हो रहा है। यह राज्य की स्कीमों, मनरेगा एवं विशेष घटक योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। चाय नर्सरियों, बागोनों एवं फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी 70 से 80 प्रतिशत तक है। क्योंकि चाय बागानों का विकास बंजर खेतों में भी किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप छोटे एवं सीमांत कृषकों को लाभ मिल रहा हैं और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को कम करने में भी इसकी संभावना है।

मार्च 2022 तक उत्तराखण्ड चाय विकास परिषद ने लगभग 1423 हे0 पर चाय बागान स्थापित किए हैं तथा चाय नर्सरियों, चाय बागानों एवं चाय फैक्ट्रियों में 3915 भू–स्वामियों एवं 3246 अन्य मजदूरों को रोजगार दिया है। इस प्रकार बोर्ड के विभिनन कार्यक्रमों में प्रतिवर्ष 4.5लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

चाय की खेती का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव–

1. चाय बगीचे बंजर खेतों पर भी लगाए जा सकते हैं जिससे भू–स्वामियों की आय बढ़ सकती है।
2. भू–स्वामी को 10–14 वर्ष तक पट्टे का किराया दिया जाता है तथा चाय बागान के विकास एवं उसके रख–रखाव पर चाय बोर्ड द्वारा व्ययभार वहन किया जाता है।
3. प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को अस्थाई रोजगार भी उपलब्ध होता है।
4. प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को अस्थाई रोजगार उसके प्रशिक्षण का हिस्सा माना जाता है ताकि लीज अवधि समाप्त होने के बाद वह अपने चाय बागान की देख–रेख स्वयं कर सके। इस प्रशिक्षण में उसे नर्सरी के कार्यों, चाय के रोपण, छंटाई, Skiffing, चुगान आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भू–स्वामियों को विदेश में या अन्य प्रदेशों में भी चाय बगीचों के प्रवास पर ले जाया जाता है ताकि आगे चलकर वे इस कार्य को स्वरोजगार के रूप में अपना सकें।
5. चाय बागान ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिससे वहाँ निवासरत महिलाओं को रोजगार में सुविधा होती है।
6. एक बार चाय बागान स्थापित हो जाने के बाद उससे चाय उत्पादन लगभग 100 वर्ष तक होता रहता है। प्रत्येक वर्ष मार्च से नवम्बर माह तक प्रत्येक सप्ताह में चाय पत्तियों को पौधों से तोड़ा जा सकता है जिससे भू–स्वामी को एक नियमित आय मिलती रहती है।
7. यदि भू–स्वामी उत्तराखण्ड चाय विकास परिषद की सहायता न ले तथा अपनी भूमि पर चाय बागान का विकास स्वयं करना चाहें तो भारत सरकार से उसे वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।

चाय विकास से अन्य लाभ–

1. चाय बागानों का विकास स्थानीय स्वरोजगार तथा रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रहे पलायन को कम करने में सहायता मिलेगी।

2. हजारों हैक्टेयर बंजर पड़े खेतों पर चाय बगीचे लगाकर स्वरोजगार हो सकता है। यह एक स्वरोजगार/रोजगार केन्द्रित योजना है। जिसमें भू–स्वामी एवं श्रमिकों विशेषकर महिलाओं का सालभर चाय नर्सरियों, चाय बागानों एवं फैक्ट्रियों में रोजगार प्राप्त होता है।
3. चाय बगीचे की स्थापना के बाद उससे हरी चाय की पत्तियां निरंतर प्राप्त होती रहती है और यह आय का एक महत्वपूर्ण साधन है।
4. चाय बगीचे भूमि कटाव, भूसंरक्षण एवं भूस्खलन नियंत्रण का भी काम करते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत हैं
5. चाय विकास से जुड़े कई छोटे उद्योगों का भी विकास होता है जो स्वरोजगार/रोजगार का साधन है।

चाय आधारित पर्यटन–

पिछले कुछ दशकों में उत्तराखण्ड चाय बोर्ड ने चाय आधारित पर्यटन की योजना बनाकर इस प्रक्रिया पर क्रियान्वयन प्रारम्भर कर दिया है। इस प्रकार के पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा तथा स्वरोजगार/रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। आस–पास के क्षेत्रों में होमस्टे/छोटे होटलों में भी पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा।

पर्यटन

I-वीर चंद्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड हमेशा से ही देश–विदेश के पर्यटकों/यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम श्री बद्रीनाथ–केदानार्थ–गंगोत्री–यमुनोत्री तथा हेमकुण्ड–लोकपाल, नानकमत्ता, मीठा–रीठा साहिब एवं पिरान कलियर नामक विभिन्न धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों युक्त इस प्रदेश में पर्यटन की प्रमुख विधा, तीर्थाटन प्राचीन काल से ही प्रभावी रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, नैसर्गिक, साहसिक, वन्य–जन्तु, इको टूरिज्म, मनोरंजन (आमोद–प्रमोद) आदि अनेक विधाओं के लिये संसाधन उपलब्ध है। भारत के उत्तरी भू–भाग को हरा–भरा करने वाली पतित पावनी गंगा–यमुना के उद्गम स्थलों के इस प्रदेश की सांस्कृतिक परम्परा, अलौकिक/नैसर्गिक सौन्दर्य तथा शीतल व प्राणदायिनी शुद्ध जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रमुख संसाधन है।

पर्यटन स्वरोजगार योजनायें

प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से गतवर्षों में "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" तथा "दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे अनुदान योजना" संचालित की जा रही है।

उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों एवं मुख्य रूप से युवावर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य गठन के बाद राज्य सेक्टर की प्रथम स्वरोजगार योजना "वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" का प्रारम्भ 1 जून 2002 को किया गया ।

उद्देश्य

पर्यटन के विकास में राज्य के मूल/स्थायी निवासियों की सहभागिता से पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार/रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं एवं परिवहन सुविधाओं के विकास में स्थानीय निवासियों विशेष रूप से युवा वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना है।

पात्रता

1. राज्य का मूल/स्थाई निवासी हो।
2. यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिकता प्रतिभूति के पक्ष में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य है, परन्तु यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी, परन्तु पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो।
3. किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

गैरवाहन मद

1– होटल/आवासीय सुविधा
2– मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण
3– फास्टफूड सैन्टर्स की स्थापना
4– साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्र
5– साहसिक क्रियाकलाप हेतु क्याकिंग/नाव का क्रय एवं संचालन तथा एंगलिंग एवं अन्य उपकरणों का क्रय
6– कैरावैन/मोटर होम फ्लोटिंग होटल का निर्माण
7– पी०सी०ओ० सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्र
8– टैन्टेज आवासीय सुविधाओं का विकास

9– सौवेनियर शॉप स्थापना
10– बैकरी/लॉन्ड्री की स्थापना
11– स्टार गेंजिग एवं बर्डवाचिंग हेतु उपकरणों का क्रय
12– हर्बल टूरिज्म
13– स्मरणीय वस्तु (मैमोरबिलिया) युक्त संग्रहालय का निर्माण

अनुदान/सब्सिडी

(क) गैर वाहन मदः– इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा गैर वाहन मदों में पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान।

(ख) वाहन मदः– वाहन मद के अन्तर्गत जिसमें साधारण बस, टैक्सी, मैक्सी आदि हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम रू० 10.00 लाख अनुदान

II-दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना

राज्य में आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों को राज्य की लोक संस्कृति एवं लोक कलाओं आदि से रूबरू करवाने के साथ ही साफ–सुथरी आवासीय तथा खान–पान की सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में प्रदान करना जिससे स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

उद्देश्य

प्रदेश में निरन्तर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना वर्ष 2018 में प्रारम्भ की गई है।

पात्रता

1. उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी हो जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो, जिसका भवन नगर निगम की सीमाओं के बाहर है अतिथियों के लिये न्यूनतम एक तथा अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई है।

2. किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

योजना के अंतर्गत अनुदान

योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में पूंजी संकर्म (Project Cost) लागत के 25 प्रतिशत या रू0 7.50 लाख इसमें जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में देय होगा। साथ ही प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगा। पर्वतीय क्षेत्रों हेतु पूंजी संकर्म (Project Cost) लागत के 50 प्रतिशत या रू0 15.00 लाख इसमें जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में देय होगा। साथ ही प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगा।

III-ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम–स्टे योजना 2020

उद्देश्य

प्रदेश के ट्रैक्स में पडने वाले ग्रामों में ट्रैक्र्स हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये इन ग्रामों के स्थानीय निवासियों द्वारा होमस्टे विकसित कर ट्रैक्र्स को आवासीय एवं खान–पान की सुविधा प्रदान करना।

पात्रता

1– ट्रेंकिंग ट्रैक्शन के पास पड़ने वाले गाँव के मूल निवासी को।

2– ऐसे भवन स्वामी को जो स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो।

3– ऐसे व्यक्ति जो होम–स्टे के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी/हिस्सेदार हो।

4– व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो।

राजकीय सहायता की धनराशि

1. राजकीय सहायता (अनुदान) के रूप में नए कमरों के निर्माण हेतु रू० 60,000 प्रति कमरा (छः कमरों तक) अटैच शौचालय के साथ।
2. पूर्व में निर्मित कमरों की साज–सज्जा हेतु रू० 25,000 प्रतिकक्ष अधिकतम 6 कमरों तक ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर की विशेषताएं ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर के 02 कि0मी0 के परिधि में पडने वाले गांव तथा ट्रैक्शन सेन्टर से निकलने वाले ट्रेकिंग मार्गों में ही स्थित हो।

अध्याय 11

उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योमों को स्थापित करते हुए रोजगार के अवसर सृजन करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ईजी0पी0) नामक एक ऋण सहबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना का कार्यान्यवन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्र नोडल एजेन्सी खादी ग्रामोद्योग आयोग करता है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु प्राप्त उपरोक्त आंकड़ों के अध्ययन से निम्नवत स्पष्टता होती है :–

1. विगत पांच वर्षों के मध्य औसतन रूपये 09.00 लाख के पूँजी निवेश किये जाने के उपरान्त 01 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया, जिनके माध्यम से 09 अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।
2. जनपदान्तर्गत स्थापित किये जा रहे उद्यम से औसतन रूपये 42 हजार प्रति माह आय उत्पन्न हो रही है।
3. बोर्ड द्वारा विगत पांच वर्षों के मध्य लगभग 63 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करवाये गये।
4. जनपदान्तर्गत उक्त अवधि में सिलाई, तेल घानी, फर्नीचर, ग्रिल, चप्पल निर्माण, टैन्ट हाउस, आटा मिल तथा राइस मिल स्थापित करने में युवाओं द्वारा अन्य उद्यमों के अपेक्षा अधिक रूचि दिखाई गयी।
5. विगत पांच वर्षों के मध्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के आंकड़ों में बाजपुर विकासखण्ड का अधिक योगदान रहा।

योजना संचालित करने में कठिनाईयों :– ग्रामीण क्षेत्र में समाजिक एवं आर्थिक विकास को मजबूत करने हेतु इस योजना का प्रचार–प्रसार ग्राम सभा स्तर पर न होने के कारण अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र वासियों को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढे लिखे एवं अधूरी पढाई छोड चुके लोगों का उद्योग लगाने के सम्बन्ध में जानकारी न होने के कारण रोजगार से वंचित रहते है जिससे वे कार्य की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की बैकों तक पहुँच नहीं होने के कारण भी एक कारण है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योगों के उत्पादित माल को बिक्री की जाने की समस्या उत्पन्न होती है जिससे कुटीर उद्योग सफल होने के कारण बन्द हो जाते है।

उक्त हेतु सुझाव है

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्म्पक बैकों तक नहीं हो पाता है। जिससे गांव के नजदीकी स्थान पर बैंकों की उप शाखा या बैंक सखी की व्यवस्था दिये जाने का प्राविधान हो ताकि राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो सके।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम ग्राम तक प्रचार–प्रसार किया जाना अनिवार्य है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था किया जाना अनिर्वाय हो एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित बैंक के शाखाप्रबंधक या प्रतिनिधिक का उपस्थित होना भी अनिवार्य किया जाय।
4. प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों का पंजीकरण अनिवार्य हो उससे अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर लगने वालों मेलों आदि पर ग्रामीण क्षेत्रों की ईकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।
5. बोर्ड हेतु बजट में बढ़ोत्तरी की जानी आवश्यक है।
6. बोर्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य को विकासखण्डवार भी लक्षित किया जाय, ताकि विकासखण्डों में योजना का सन्तुलन बना रहे।

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण **(UREDA)**

उरेडा के संबंध में

उत्तराखण्ड सरकार राष्ट्रीय ज्ञान अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को उत्कृष्ट वाहन मानती है और इस दिशा में उनमें भारी निवेश किया है। इस नीति के तहत उरेडा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मार्गदर्शन और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रवाहकीय मंच के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश के विभाजन के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन अनुप्रयोगों में देश का एक अग्रणी राज्य है। उत्तराखण्ड में, गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर आधारित विभिन्न योजनाओं का संचालन और निष्पादन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) द्वारा स्थानीय पंचायत, स्वयंसेवी संगठनों और जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। 2008 से यूआरईडीए बीईई की एक राज्य नोडल एजेंसी के रूप में ऊर्जा संरक्षण की गतिविधियों का भी प्रसार कर रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, जागरूकता और तकनीकी संशोधनों के लिए आयोजित सम्मेलन और कार्यशाला, अक्षय ऊर्जा विकास और अन्य गतिविधियों के लिए प्रचार उपायों का प्रावधान, सभी अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे हैं।

उरेडा एक नजर में

1. सेट अप ऊर्जा और नवीकरणीय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ऊर्जा, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जुलाई 2001 में जीओयू।
2. प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी निकाय, अक्षय ऊर्जा, सरकार।
3. प्रधान कार्यालय सभी 13 जिलों में देहरादून और परियोजना कार्यालय में। कुल मैन पावर 119 है राज्य कार्मिक (80 पद भरे गए और 39 रिक्त)
4. अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए एजेंसी।

"मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना"

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" संचालित की जा रही है।

योजना का उद्देश्यः–

प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 को विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड–19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं, तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर सुलभ करना।
2. पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।
3. ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित कराना।

4. प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आर0पी0ओ0 की पूर्ति सुनिश्चित कराना।
5. योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना के साथ–साथ उक्त भूमि पर मौन पालन तथा फल, सब्जी एवं जड़ी–बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित कराया जाना।

योजना का विवरणः–

1. इस योजना के अन्तर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट अनुमन्य किये जायेंगे।
2. इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
3. इस योजना के अन्तर्गत 10000 परियोजनाऐं पात्र आवेदकों को आबंटित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण MSME एवं वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
4. योजना के अन्तर्गत आबंटित सोलर प्लान्ट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) विभाग द्वारा लागू "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
5. इस योजना के अन्तर्गत MSME Online Portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
6. इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेड़ा) द्वारा किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जायेगा।

योजना हेतु पात्रताः–

1. यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होंगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।
4. इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आबंटित किया जायेगा।

परियोजना हेतु तकनीकी मानकः–

1. इस योजना के अन्तर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के संयत्र आबंटित किये जायेंगे।
2. 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफॉर्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लान्ट (संयंत्र) आबंटित किये जायेंगे। यदि ट्रांसफार्मर के आस–पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आबंटन की जायेगी।
4. प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफामर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
5. इस योजना के अन्तर्गत आबंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जा सकेगा।
6. यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु सम्बन्ति लाभार्थी के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) किया जायेगा।

योजना हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभः–

1. इस योजना में उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इस योजना में सयंत्र की कुल लागत का 70% तक अंश लाभार्थी को ऋण के रूप में राज्य/सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा तथा शेष राशि सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी।
3. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को MSME विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राविधानित मार्जिन मनी/अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
4. सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।
5. यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है, तो उस लाभार्थी को भी एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
6. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू–परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिये लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जायेगी।
7. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को सयंत्र स्थापित किये जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं स्कन्ध पादपों के बीज निःशुल्क उपलबध कराये जायेंगे, जिससे सम्बन्धित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ–साथ मधुमक्खी पालन करने एवं स्थानीय उत्पाद जैसे (अदरक, हल्दी एवं अन्य जड़ी बूटियों) की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकेंगे।

विविधः–

1. परियोजना आबंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 (यू0पी0सी0एल0) के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।
2. लाभार्थी द्वारा परियोजना आबंटन पत्र, Power Purchase Agreement (PPA) की प्रति, परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को जमा कराये जायेंगे।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उक्त आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को 07 दिवस के भीतर अग्रसारित किये जायेंगे।
4. लाभार्थी को आवेदन बैंक शाखा में प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर ऋण स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जायेगा।
5. ऋण स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी के दावे सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला केन्द्र उद्योग को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस पर दावा प्राप्त होने के 07 दिन में मार्जिन मनी की राशि बैंक शाखा/लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगीं
6. यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में टी0डी0आर0 (मियादी जमा) के रूप में उपलब्ध रहेगी एवं मार्जिन मनी प्राप्त होने के उपरान्त कुल परियोजना लागत में मार्जिन मनी के भाग पर ब्याज देय नहीं होगा।
7. सोलर पावर प्लान्ट के 02 वर्षों तक सफल संचालन के उपरांत मार्जिन–मनी अनुदान के रूप में समायोजित हो जायेगी।
8. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार मान्य होंगे।
9. लाभार्थी द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करायी जायेगी।
10. स्थापित सोलर पावर प्लान्ट के स्वामित्व में परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) के 02 वर्षों तक कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।
11. इस योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जिन तथा स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग के मंत्री जी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

अध्याय 13

भेड़ एवं ऊन विकास

1. भेड़ और बकरी पालन उत्तराखंड के लिए स्थानिक बन गया है और राज्य के गरीब और सीमांत किसानों के लिए आजीविका का एक स्थायी स्रोत बनकर उभरा है। इस प्रकार 2000 में नवगठित राज्य में भेड़ और बकरी पालन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड (यूएसडब्ल्यूडीबी) की कल्पना की गई और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, (1860) के तहत एक पंजीकृत निकाय के रूप में अस्तित्व में आया।
2. 19वीं पशुधन गणना, 2012 के अनुसार राज्य में भेड़ एवं बकरियों की संख्या क्रमशः 3.69 लाख एवं 13.67 लाख है। 2007 के बाद से राज्य में भेड़ और बकरी की आबादी में क्रमशः 26.98ः और 2.40ः की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014–15 में राज्य में कुल ऊन उत्पादन 4690 क्विंटल था। और कुल मांस उत्पादन 109 लाख किलोग्राम था। 19वीं पशुधन गणना 2012 के अनुसार सं. भेड़ और बकरी पालन में लगे परिवारों की संख्या क्रमशः 17032 और 187707 है। राज्य के भेड़ और बकरी पालक यूएसडब्ल्यूडीबी के कल्याण लक्ष्य हैं, जिन्हें 11 सरकारी कार्यालयों में उत्पादित विशिष्ट जर्मप्लाज्म मेढ़ों और बक्स के वितरण द्वारा विकास की मुख्यधारा में लाया जाना है। भेड़ प्रजनन फार्म, 03 सरकार। बकरी प्रजनन फार्म और 05 मेढ़े पालन इकाइयाँ।
3. यूएसडब्ल्यूडीबी के लिए प्रमुख उपलब्धियों में से एक वर्ष 2014–15 में थी जब कुलीन कश्मीर मेरिनो राम के तरल वीर्य द्वारा भेड़ों में हीट सिंक्रोनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान को सरकार में छोटे जुगाली करने वालों और खरगोशों (आईडीएसआरआर) के एकीकृत विकास के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। भेड़ प्रजनन फार्म शामलीटी, बागेश्वर। इसके अलावा, यूएसडब्ल्यूडीबी द्वारा राज्य में किसानों का बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया है जो हमें महत्वपूर्ण बोर्ड वेब साइट पर अपलोड करने के लिए प्रत्येक किसान का डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। निकट भविष्य में भेड़ और बकरी विकास में एकीकृत और व्यापक विकास हासिल करने के लिए यूएसडब्ल्यूडीबी द्वारा काम करने और निपटने के लिए कुछ मुद्दे हैं, सरकार का सुदृढ़ीकरण। भेड़/बकरी प्रजनन फार्म, खेतों और खेतों में नवीनतम तकनीक और उपकरणों की शुरूआत, किसानों की उपज की समय पर खरीद और विपणन और स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और आजीविका समूहों के गठन के माध्यम से सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।

मिशनः–

1. उत्तराखण्ड राज्य में भेड़, बकरी एवं शशक पालन का सघन विकास।
2. राज्य के भेड़, बकरी एवं शशक पालकों की आजीविका में सुधार।

उद्देश्यः बोर्ड के उद्देश्य निम्नवत हैं–

1. उत्तराखण्ड राज्य में भेड़, बकरी एवं अंगोरा शशक आदि के विकास का कार्य।
2. राज्य की प्रजनन नीति के अनुसार तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्धारण एवं संचालन।
3. समस्त राजकीय/अराजकीय/अर्द्धसरकारी/स्वैच्छिक संस्थायें/एजेंसियां आदि बोर्ड के नेतृत्व में उसके निर्देशानुसार एक छतरी के नीचे कार्य करेंगी।
4. राज्य में भेड़, बकरी एवं अंगोरा शशक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण स्तर पर सफलतापूर्वक संचालन हेतु सम्बन्धित गांवों में भेड़, बकरी एवं अंगोरा शशक पालकों की सहकारी समितियां/स्वयं सहायता समूह/ब्रीडर एसोसिएशन आदि का गठन।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के कर्तव्य–

1. भेड़ पालकों के भेड़ों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम।
2. भेड़ पालकों के भेड़ों की बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकारण कार्यक्रम।
3. भेड़ पालकों की भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम।
4. भेड़ पालकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहयोग देना।
5. भेड़ पालकों द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहयोग करना।
6. भेड़ पालकों को भेड़ पालन कार्यक्रम में नई तकनीकों की जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. भेड़ पालकों को भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
8. भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग देना।
9. भेड़/बकरी पालन कार्यक्रम में लगे पशुपालन विभाग, अन्य विभागों को तालमेल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को एकरूपता की दृष्टि से चलाये जाने में सहायता प्रदान करना।

राज्य में भेड़ बकरियों की संख्या व जुड़े परिवारों की संख्याः

भेड़ 2,84,615	बकरी 13,71,971	योग 16,56,586
परिवार– 17,032	1,87,707	योग 2,04,837

Livestock Census, GOI

उत्पादन वर्ष 2021–22 अनन्तिम

ऊन 4432 कु0	औसत ऊन उत्पादन 1.68 कि0ग्रा0/भेड़	अनुमानित मूल्य Rs. 2.90 Cr.
मांस 52.192 लाख कि0ग्रा0	औसत मांस उत्पादन भेड़ 15.66कि0ग्रा0 बकरी 15.18 कि0ग्रा0	मूल्य Rs. 276.00 cr.

[Source: Integrated Sample Survey, Dept. of AH, Uttarakhand]

राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजना–

1- NLM - Breed Improvement by Introduction of Exotic Sheep in Uttarakhand
2- NLM- Heat Synchronization and Artificial Insemination in Sheep and Goat
3- NLM- Heat Synchronization and Artificial Insemination through imported Merino Ram

उद्देश्य–

1. उत्तराखण्ड राज्य की भेड़ों में नस्ल सुधार।
2. भेड़ बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान।
3. राज्य के भेड़ पालकों की भेड़ों के ऊन की गुणवत्ता में सुधार।
4. वस्त्र उद्योग की आस्ट्रेलियन मैरीनों ऊन की मांगों की पूर्ति।

Outcome

1. राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार पर आस्ट्रेलियन मैरीनो भेड़ों की Pure Line विकसित की जा रही है।
2. अतिरिक्त नर मेढ़े राज्य के अन्य राजकीय भेड़ प्रजनन प्रेक्षेत्रों पर Cross Breeding हेतु प्रयुक्त किए जा रहे हैं।
3. उक्त प्रयासों से प्राप्त नर मेमनों को प्रजनन योग्य आयु में राज्य के स्थानीय भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।

1- NLM - Breed Improvement by Introduction of Exotic Sheep in Uttarakhand

राज्य के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों के भेड़ पालकों के जीवन यापन में आशातीत सुधार लाने के उद्देश्य से National Livestock Mission, भारत सरकार के सहयोग से दिसम्बर 2019 के अन्तिम सप्ताह में उच्च गुणवत्ता की 240 (41नर व 199 मादा) मैरीनो भेड़ें आयात की गयी।

आयातित मैरीनो भेड़ों के माध्यम से संचालित Structure Breeding Programme के तहत वर्तमान तक 03 प्रजनन काल में 312 Pure Merino संतति तथा 1803 Cross Merino Bred संतति प्राप्त हुई है। आयातित भेड़ों से स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं।

Australian Merion Ram, Breeding Progress

S. No	Name of GSBF Farm	Breed	First Season			Second Season			Third Lambing Season			Total
			Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	
1	Pangu	Cross	65	67	132	38	42	80	48	51	99	311
2	Barapatta	Cross	36	32	68	28	42	70	17	24	41	179
3	Karmi	Cross	80	82	162	37	43	80	33	47	80	322
4	Shamaliti	Cross	21	30	51	18	28	46	21	19	40	137
5	Pipalkoti	Cross	32	28	60	37	40	77	23	20	43	180
6	Bangali	Cross	35	45	80	10	15	25	19	22	41	146
7	Kedarkantha	Cross	22	22	44	9	9	18	10	07	17	79
8	Makku	Cross	69	52	121	52	66	118	24	27	51	290
9	Khaliyan Banger	Cross	15	11	26	0	0	0	0	0	0	26
10	Thankundi	Cross	0	0	0	0	0	0	62	71	133	133
11	Kopardhar	Cross	68	69	137	34	35	69	48	60	108	314
			443	438	881	263	320	583	305	346	651	2115

Under the National Livestock Mission (NLM) both Artificial Insemination scheme, Artificial Insemination of more than 3100 sheep and goat of local herders has been performed by collecting semen of high genetic value from imported Merino males and high quality goat semen.

Sr. No.	Particular		Total Progress
1.1	Camp Organized		81
1.2	Farmers & GSBF Benefited		204
1.3	Animal Selected & Synchronized		3238
1.4	Insurance		2766
1.5	Deworming		3200
1.6	Feed Distributed		18000
1.7	Mineral Mixture Distributed		596
1.8	Salt Block Distributed		402.5
1.9	AI Done	Local Sheep	1795
		BSBF	434
		Goat	874
1.10	Input provided (Solar Light, Pressure cooker, Tarpaulin or Tent)		60 each+7 tents

मेढ़ा वितरण कार्यक्रम **(Ram Replacement):**

1. सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, अधिशासी कमेटी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 के निर्देशों के क्रम में कृत्रिम गर्भाधान के साथ–साथ नैसर्गिक प्रजनन के माध्यम से भेड़ों में नस्ल सुधार हेतु जनपद उत्तरकाशी व चमोली के भेड़ पालकों के स्थानीय व Indigenous प्रजाति के नर मेढ़ों को आयातित मैरीनों भेड़ों से उत्पन्न F1 Generation के Upgraded Cross Bred से परिवर्तित (Replace) किया जा रहा है। जिससे राज्य में ऊन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भेड़ों के औसत वजन में भी वृद्धि होगी।
2. दिनांक 17 जून, 2022 को मा0 राज्य मंत्री, पशुपालन, भारत सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी व चमोली के 21 भेड़ पालकों की 38 भेड़ों को उच्च गुणवत्ता के क्रास ब्रैड मैरीनों भेड़ों से Replace किया गया।
3. राज्य के राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों में उत्पादित F1 Generation के Upgraded Cross Bred संततियों को राज्य के भेड़ पालकों को मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों की मांग पर वितरित की जाएंगी तथा उपलब्धता के अनुसार अन्य राज्यों की विभागीय संस्थाओं की मांगानुसार पुस्तकीय मूल्य के आधार पर विक्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म

क्र.सं.	फार्म का नाम	जिला	नस्लों का रखरखाव किया गया
1	भेड़ प्रजनन फार्म पीपलकोटी	चमोली	Rambouillet
2	भेड़ प्रजनन फार्म केदारकांठा	चमोली	Rambouillet
3	भेड़ प्रजनन फार्म बंगाली	चमोली	Rambouillet
4	भेड़ प्रजनन फार्म थलकुंडी	उत्तरकाशी	Rambouillet
5	भेड़ प्रजनन फार्म कोपरधार	टिहरी	Rambouillet
6	भेड़ प्रजनन फार्म कर्मी	बागेश्वर	Rambouillet
7	भेड़ प्रजनन फार्म शामलीटी	बागेश्वर	Rambouillet
8	भेड़ प्रजनन फार्म बारापट्टा	पिथौरागढ़	Rambouillet
9	भेड़ प्रजनन फार्म पंगु	पिथौरागढ़	Rambouillet
10	भेड़ प्रजनन फार्म खलियानबंगर	रूद्रप्रयाग	Rambouillet
11	भेड़ प्रजनन फार्म अभिमुखीकरण मक्कू	रूद्रप्रयाग	Rambouillet

ऊन ग्रोथ सेन्टर की स्थापना

उद्देश्य

1. राज्य भेड़ पालकों के "जैवकि ऊन उत्पादक स्वायत्त सहाकारी समूह" का गठन।
2. भेड़पालक परिवार के बेरोजगार नवयुवकों को मशीन ऊन कतरन में प्रशिक्षण।
3. मशीन ऊन कतरन शिविरों का आयोजन
4. कच्ची ऊन के मूल्य सम्वर्द्धन हेतु ऊन का जैवकि प्रमाणीकरण (Organic Certification).
5. State Wool Lab, पशुलोक ऋषिकेश का सुदृढ़ीकरण।
6. ऊन क्रेता–विक्रेता सम्मेलन।
7. भेड़ प्रदर्शनी एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन।

Outcome

1. राज्य के भेड़ पालन व्यवसाय को संगठित करते हुये मशीन शियरिंग, ऊन विश्लेषण, ऊन ग्रेडिंग एवं जैवकि ऊन उत्पादन के माध्यम से भेड़ पालकों की आजीविका में सुधार।
2. राज्य के भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष लगभग 29 ग्रीष्मकालीन व 13 शीतकालीन शियरिंग कैम्पों, पशुचिकित्सा शिविरों को आयोजन किया जाता है तथा कैम्पों में मशीन द्वारा भेड़ पालकों की भेड़ों की शियरिंग एवं प्रशिक्षण कराया जाता है।
3. भेड़ पालकों की शियरिंग की गयी ऊन का ग्रेडिंग, पैकेजिंग कर Uttarakhand Wool के ब्राण्ड नाम से विपणन किया जाता है।
4. योजना के अन्तर्गत भेड़ बाहुल्य जनपदों में मशीन द्वारा शियरिंग कैम्पों को आयोजन।
5. वर्ष 2022 में वर्तमान तक 12 मशीन ऊन कतरन शिविर आयोजित कर 99 भेड़पालकों को लाभान्वित कर उनकी 3375 भेड़ों से ऊन कतरित कर लगभग 4483 किलो ग्राम ऊन उत्पादित की गयी।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं (वर्ष 2019–2021)

1. योजना के अन्तर्गत राज्य के बेरोजगार युवकों को मशीन शियरिंग का प्रशिक्षण।
2. योजनान्तर्गत राज्य के बेरोजगार युवकों को मशीन शियरिंग का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।
3. राज्य के पशुचिकित्सा अधिकारियों को भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधन (Artificial Insemination) का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।
4. ऊन कतरन शिविरों का अयोजन प्रस्तावित।
5. भेड़पालकों हेतु चिकित्सा शिविर, गोष्ठीयों का अयोजन प्रस्तावित।
6. State Wool Lab, पशुलोक ऋषिकेश में Projection Microscope व्यवस्थित किया गया है।
7. ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केन्द्र मुनीकीरेती में Bale Press Machine व्यवस्थित की गयी है।

राज्य के समेकित सहकारी विकास परियोजना– भेड़ बकरी सेक्टर

1. माननीय प्रधानमंत्री जी के "किसानों की आय दोगुनी" करने एवं राष्ट्र को "आत्मनिर्भर" बनाने के आह्वान के अनुरूप राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
2. राज्य में भेड़ बकरी पालन के असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में विकसित करना है तथा असंगठित क्षेत्र मे बिचौलियों के कुप्रभाव से किसानों को मुक्त रखते हुये पारदर्शी विपणन व्यवस्था का विकास कराना है।
3. Semi-Intensive Stall Feeding Farming को प्रोत्साहित करना।
4. Reverse Migration में आये व्यक्तियों को संगठित भेड़–बकरी पालन की सुविधा उनके द्वार पर उपलब्ध कराना।
5. वर्तमान में राज्य समेकित सहकारी विकास समिति के जनपद अल्मोड़ा में 289, बागेश्वर में 446, पौड़ी गढ़वा लमे 359 एवं रूद्रप्रयाग में 209 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
6. राज्य समेकित सहाकारी विकास परियोजना (भेड़ बकरी सेक्टर) के अन्तर्गत पशुपालकों के अनुरोध पर आवश्यकता अनुसार बकरी ईकाई स्थापित करने हेतु ब्याजयुक्त ऋण (10.15) उपलब्ध कराना।
7. भेड़ बकरियों के शारीरिक भार में वैज्ञानिक पशुपोषण के माध्यम से वृद्धि लाना एवं उच्च गुणवत्ता के स्वस्थ्य, स्वच्छ "हिमालयन गोट मीट" को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना।

BAKRAW- The Himalayan Goat meat

1. उत्तराखण्ड के 10,000 से अधिक बकरी पालकों को प्राथमिक सहकारी समितियों में संगठित करते हुये Value Chain System विकसित किया गया है। जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक महिला सदस्य है।
2. BAKRAW- the Himalayan Goat Meat ब्रांड के अन्तर्गत Farm to Fork Model के तहत Clean Hygienic and Traceable उत्पाद उपभोक्ताओं के Door Step पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. BAKRAW –the Himalayan Goat Meat ब्रांड का उत्पाद प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है जो सीधे बकरी पालकों की आजीविका में सुधार के लिए योगदान दे रहा है।
4. बकरियों को उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाला जाता है तथा बकरियों को यांत्रिक रूप से APEDA approved, ISO and HACCP प्रमाणित, गुणवत्ता और safety associate integrated meat complex में तैयार किया जाता है।
5. प्रत्येक बकरी पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा निरीक्षण की जाती है बकरी पालन से लेकर BAKRAW उत्पाद के अंतिम पैकेजिंग तक सभी चरणों में प्रक्रिया पूर्णतः Traceable होती है।
6. वर्तमान में BAKRAW- the Himalayan Goat Meat के 10,000 से अधिक उपभोक्ता है जिसमें देहरादून व दिल्ली के नगारिक LBSNAA Mussoorie, 7 & 5 Star Hotels, Restaurants तथा अन्य राजकीय व निजी संस्थान भी सम्मिलित है।
7. BAKRAW- the Himalayan Goat Meat को APEDA भारत सरकार के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी निर्यात किया जा चुका है।
8. प्रदेश में लगभग 10 हजार बकरी पालक हैं जो असंगठित हैं। फलस्वरूप उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत इन्हें सहकारी समितियों में संगठित किया गया है। जिन बकरी पालकों के पास 10 बकरी हैं उन्हें 11 और बकरी दी जाती हैं जिनमें से 10 मादा एवं 1 नर सिरोही नस्ल का होता है। पूर्व की तुलना में इनका भार 60–70 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 130–150 ग्राम प्रतिदिन हो गया है।
9. भेड़ पालकों के उत्पाद का 90प्रतिशत बोर्ड वापिस क्रय कर लेता है एवं 10प्रतिशत उनके पास रहता है।
10. इससे लगभग 14 हजार भेड़ पालक लाभान्वित हुए हैं जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक महिलाऐं हैं।

क्षेत्र विशेष सिफारिशें

ग्राम्य विकास

मनरेगा

1. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत आजीविका के अवसर प्रदान करने वाले उद्यम स्थापित किये जाने हेतु अन्य रोजगारपरक विभागीय योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स (अभिसरण) किया जाना अनिवार्य हो। अनेक विभागों की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में मनरेगा के मानकों के अनुसार कार्य किया जा सकता है जैसे कि कृषि, उद्यान, पशुपालन इत्यादि। इसकी विस्तृत जानकारी विभागों तथा लाभार्थियों को उपलब्ध न होने के कारण मनरेगा में उपलब्ध धनराशि का राज्य में स्वरोजगार को गति देने के लिए पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।
2. मनरेगा के संयोजन (Convergence) से अन्य विभागों द्वारा चलायी जा रही स्वरोजगार योजनाओं में पात्रता के अनुरूप अगले 3–4 वर्ष तक उसी उद्यमी को सहायता देने से उद्यम की निरंतरता (Sustainability) में लाभ होगा।
3. मनरेगा के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय देने वाले कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं का 60% से अधिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

एन.आर.एल.एम. (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

1. गठित स्वयं सहायता समूहों का उचित अनुश्रवण और समीक्षा अनिवार्य है। समय–समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यकता आधारित एवं क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण की समझ विकसित की जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों की Handholding भी की जानी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें।
2. स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाने में उनकी साक्षरता दर कम होने के कारण कठिनाईयाँ होती है। अतः NRLM के कार्यक्रमों में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता (Financial literacy) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि कार्य का लाभ उन्हें अधिक मिल सके।
3. स्वयं सहायता समूहों के आउटलेट, नजदीकी बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, जनपद मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, एयर पोर्ट पर अनुदानित कर स्थापित किये जाय, जिससे समूहों की उत्पादित सामग्री सरलतम रूप से उपभोक्ताओं को मिल सकेगे और समूहों की विपणन पहुँच बढ़ेगी।
4. राज्य के विभिन्न जनपदों में अनेक स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए अच्छे प्रयास कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि इनको चिन्हित करके इनकी Hand holding की जाए, विशेषकर कौशल विकास एवं मार्केटिंग में ताकि समूह से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके।

ग्रामीण स्वरोजागर प्रशिक्षण संस्थान **(RSETI)**

1. ऐसे कौशल की पहचान करने की आवश्यकता है जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोके तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY)/ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) के तहत इन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

अन्य सिफारिशें

1. उन विकासखण्ड़ों की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जिन विकासखण्ड़ों ने ग्रामीण विकास की योजनाओं में दूसरे विकासखण्ड़ों की अपेक्षा बहुत कम प्रगति हुई हो।
2. होटल, रिसॉर्ट, सरकारी गेस्ट हाउस आदि के लिए एक सीधी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए जो उन्हें स्थानीय अथवा आस–पास के क्षेत्रों से खरीदने में सक्षम बनाती है। यह परिवहन मूल्य को कम करेगा और स्थानीय स्तर पर आय भी उत्पन्न करेगा।
3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर प्रदेश के ब्रांडों की उपस्थिति बढ़ाई जा सकती है। सामूहिक गांव की कहानी को उत्पाद के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे पैकेजिंग में शामिल किया जा सकता है और इसका उपयोग सोशल मीडिया के माध्यम से दृश्यता और जागरूकता पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है।

4. ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण 12 महीने के अंतराल के बाद नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों की जमीनी उत्पादकता और बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

कृषि

1. यद्यपि कई क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। परन्तु इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है कि बड़े नगरों के खरीदारों को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही उपभोग कर लिया जाता है। इसके लिए ग्राम या ग्राम समूहों तथा स्थानीय सोसायटी में इस ओर ध्यान केन्द्रित कर पैदावार को इतना अधिक बढ़ाया जाय कि बाहरी जनपदों के खरीदारों को आकर्षित किया जा सके।
2. उत्तराखण्ड विजन 2020–30 में कृषि का विविधिकरण एक मुख्य बिन्दु है तथा जनपद में भी इसे सभी विकास खण्ड़ों में अपनाया जाना चाहिए।
3. जनपदों में कृषि बीजों की आपूर्ति भी चिन्ता का एक अहम विषय है, क्योंकि इनकी आपूर्ति जनपद के बाहर से ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी करायी जा रही है। इन बीजों को यहां की जलवायु में न तो पैदा किया जा रहा है और न ही ज्यादा पैदावार उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए हमें इस ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि जनपद में उगाई जाने वाली फसलों के बीजों का उत्पादन जनपदों में स्थानीय स्तर पर ही करवाया जाय। इसके लिए जनपद स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर विभिन्न स्थानीय फसलों के बीजों को उत्पादित कर संरक्षित करवाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
4. विपणन तरीकों का विश्लेषण प्रत्येक विकासखण्ड में किया जाना चाहिए, विशेष रूप से पारंपरिक के साथ–साथ नकदी फसलों के सम्बन्ध में और विपणन पैटर्न को सुव्यवस्थित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
5. खेतों पर Agro Forestry का अधिक विकास करना होगा जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके।
6. Agro forestry के अन्तर्गत पेड़ लगाये जाते हैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय Carbon Market का लाभ प्राप्त करने में कृषि एवं वन विभाग को सहायता करनी चाहिए।
7. गन्ने की खेती में भारी मात्रा में कीटनाशक एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं आर्गेनिक Jaggery के उत्पादन से अधिक मूल्य मिल सकता है। विकास खण्ड नारसन में इसकी एक इकाई भी स्थापित हो चुकी है इसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सकता है।
8. पर्वतीय जनपदों में कृषकों के बिखरी जोत के साथ–साथ जंगली जानवरों द्वारा किये जा रहे नुकसान से किसानों द्वारा लगाई गई लागत से भी कम आय का प्राप्त होना कृषि क्षेत्र के लिए उचित संकेत नहीं हैं। विभाग के घेरबाड़ कार्यक्रम में व्यक्तिगत के साथ–साथ सामूहिक तथा बजट बढ़ाये जाने का प्राविधान किया जाय, ताकि अधिक से अधिक किसानों को कृषि भूमि को आच्छादित किया जाय।
9. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी विस्तार कृषि क्षेत्र में किया जाना चाहिए।
10. पर्वतीय क्षेत्रों में खेती अधिकांशतः अनियमित वर्षा पर निर्भर होती है इसके लिए कम पानी का उपयोग करने वाली (कठोर स्थितियों में उगने एवं बाजार में अधिक मांग वाली फसलों की उन्नत प्रजाति) प्रजाति को विकसित कर किसानों को उपलब्ध किये जाने का प्राविधान किया जाय एवं वर्षा जल के संग्रहण को सुनिश्चित किया जाय।
11. जो भी कम्पनी यंत्र उपलब्ध कराती है उस कम्पनी का विभाग व काश्तकार के साथ अनुबंध हो कि कम से कम पांच साल तक कम्पनी पार्ट व रिपेयरिंग की जिम्मेदारी देगी।
12. पहाड़ की भौगोलिक परिस्थित, विभिन्न समस्याओ व पलायन को देखते हुए कॉपरेटिव स्वरूप ही आत्मनिर्भरता मे सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसके तहत युवा, महिला अलग–अलग व संयुक्त रूप से सभी मिलकर कॉपरेटिव स्वरूप खेती, बागवानी, पशुपालन–दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन इत्यादि बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

उद्यान

1. उद्यान विभाग को मौजूदा फल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद के लिए एक बागवानी विकास योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जो गुणवत्ता (प्रजातियों सहित), विपणन तथा खामियों को इंगित करती हो। प्रत्येक विकासखण्ड में उन्नत बागवानी के विकास को ध्यान में रखना चाहिए, जो गुणवत्ता वाले रोपण सामाग्री से लेकर प्रसंस्करण और विपणन के उपयुक्त पैकेजों के लिए सही किस्म/प्रजातियों जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. वर्तमान समय में बेमौसमी सब्जियों, फूलों और फलों का प्रचलन अधिक हो चुका है, जिसमें रोजगार के अधिक ज्यादा पायदान मौजूद हैं। विभाग को इस मद में सर्वेक्षण कर ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण उद्यमियों को लाभान्वित कर रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है।
3. नर्सरी/पौधशाला के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को उत्पन्न किये जाने की अधिक सम्भावनायें हैं। विभाग को चाहिए कि रूचिकर उद्यमियों को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाय तत्पश्चात उन्नत किस्म के बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध करवा कर नर्सरियों का विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के माध्यम से अनुश्रवण किये जाने का प्राविधान होना उचित होगा।
4. विभाग को फल, सब्जी तथा मसाला उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, उत्तम किस्म के पौध एवं बीज उपलब्ध करवाने के साथ–साथ विपणन की ठोस नीति के साथ कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। उद्यानीकरण में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं, जिसके लिए विभाग को संजीदगी के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करना होगा।
5. फल प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या कम है अलग–अलग मौसम में फलों की उपलब्धता के आधार पर प्रसंस्करण इकाईयाँ स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
6. उद्यानिकी की सभी गतिविधियों/बागवानी को बीमा की श्रेणी में लाया जाय ताकि उद्यमी को जोखिम से राहत मिल सके।

पशुपालन

1. भेड़पालन, बकरी पालन एवं मुर्गी पालन भी लोकप्रिय हो रहा है, कई ग्राम पंचायतों में बकरी पालन और मुर्गीपालन किया जा सकता है। बकरियों की नस्ल को भी सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि इस गतिविधि में आय में काफी वृद्धि करने की क्षमता है।
2. विभाग पशुपालकों को व्यवसायिक एवं सामूहिक रूप में पशुपालन करवाने के लिए ग्रामीणों हेतु मेलों का आयोजन करने की कार्ययोजना तैयार करे, साथ ही पशुपालन से उत्पादित सामग्री का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की योजना तैयार करे, ताकि पशुपालकों में एक अतिरिक्त न्यूनतम आय प्राप्ति का विश्वास जाग्रत हो सके।
3. यह आवश्यक है कि सभी विकास खण्ड़ स्तर पर पशुपालन एवं डेयरी विकास की उपयोजना बनाकर जनपदस्तर पर एक एकीकृत योजना बनाई जाए ताकि इस क्षेत्र का और तीव्र गति से विकास हो सके एवं ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों की आय में वृद्धि हो। योजना में उपरोक्त पक्तियों में उल्लिखित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान का भी उचित प्रबन्धन हो। पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की अत्यधिक सम्भावनाऐं हैं जिनका लाभ ऐसी एकीकृकत योजना बनाकर तथा उसके समयबद्ध क्रियान्वयन से प्राप्त होगा।
4. पशुपालन एवं डेयरी विकास में लगे उद्यमियों का समय–समय पर कौशल विकास भी कराया जाना आवश्यक है।
5. बैकवर्ड लिंकेज के तहत चारा प्रबंधन, उचित शेड की स्थापना, पानी की उपलब्धता और पशु के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
6. पोल्ट्री भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कुछ इलाकों में ग्रामीण आबादी हेतु काफी आय पैदा कर रही है जैसे कि मूनाकोट ब्लॉक का भटेरी गांव। इस उदाहरण को कहीं और दोहराया जा सकता है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के साथ मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, गाय एवं भैंस पालन, भेड़–बकरीपालन, आदि के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यह पशुधन छोटे स्तर पर शुरू किये जा सकते है जिनके लिए अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता भी नहीं है।

डेयरी

1. अधिकांश परिवारों के लिए दुग्ध उत्पादन आय का एक अतिरिक्त स्रोत है, हालांकि इसके लिए अधिक से अधिक परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत बनना सम्भव तभी है जब पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जाय। सभी विकासखण्ड़ों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।
2. कई क्षेत्रों में छोटी–छोटी डेयरियां हैं, जिनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। लगभग 48% दुग्ध समितियाँ निष्क्रिय हैं तथा इनको सक्रिय बनाने के लिए विभाग को विशेष प्रयास करने चाहिए।
3. प्रोजेक्ट मोड के आधार पर बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए संभावित क्षेत्र के रूप में डेयरी को विकसित करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पर प्रयास किया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग जैसे पनीर, घी, मावा, मक्खन आदि दूध उत्पादों के प्रसंस्करण की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं क्योंकि ग्राम स्तर पर ऐसे उद्यमी हैं जो पहले से ही इस प्रकार की गतिविधियों को कर रहें हैं। हालांकि इसे बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

मत्स्य विकास

1. मत्स्य व्यवसाय में रोजगार उपलब्ध करवाने के अपार आयाम मौजूद हैं, किन्तु विभाग मत्स्य पालकों को सिर्फ मत्स्य पालन एवं बिक्री तक ही सीमित रखे हुए है। विभाग को मत्स्य पालकों को मछली के चिप्स, कीमा, तेल, पैंकिंग कच्ची फिश, पैंकिंग, फ्राई फिश आदि नये संसाधनों के साथ जोड़ते हुए जनपद के ग्रामीणों की आजीविका में आय का नया आयाम जोड़ने में सफलता प्राप्त कर सकेगा जिसका परिणाम आगामी समय में देखने को मिलेगा।
2. प्रत्येक जनपद में मत्स्य प्रजनन हेतु स्थलों को चिहिन्त करते हुए केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए, जिससे मछलीपालकों को सरलता से हैचलिंग्स/फ्राई(पोना)/स्पान(जलांडक)/फिंगरलिंग्स(अंगुलिकाएं) उपलब्ध हो सके।
3. मत्स्यपालकों को आंशिक रूप से अर्थात हिस्से–हिस्से में लाभान्वित न किया जाय बल्कि चयनित लाभार्थी हेतु मत्स्य इकाई स्थापित करने से लेकर विपणन तक की सभी गतिविधियों को आगामी तीन वर्षों तक विभागीय सहयोग एवं अनुश्रवण में रखे जाने का प्राविधान किया जाय।
4. राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर मत्स्य हेचरी एवं आहार उत्पादन इकाई स्थापित किये जाने की कार्ययोजना तैयार की जाय।

पर्यटन

1. प्रत्येक जनपद की एक पर्यटन विकास योजना तैयार की जा सकती है जो पूरे जनपद के लिए एक व्यापक योजना को जोड़ते हुए विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्थलों की पहचान करेगी। इसे आजीविका के अवसरों की पहचान करना और विभिन्न योजनाओं के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करना चाहिए।
2. स्थानीय त्योहारों को अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचारित किया जा सकता है।
3. पर्यटक आमतौर पर होमस्टे में रहने के लिए एक मील या अधिक की दूरी पर चलना/चढ़ना पसन्द नहीं करते हैं, आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए गांवों को मोटरमार्गों से जोड़ने की आवश्यकता है।
4. ऐसे क्षेत्र जहां कई होमस्टे हैं, वहां जंगल ट्रेल, ट्रैकिंग मार्ग और अन्य सुविधाएं विकसित होनी चाहिए।
5. प्रदेश में साहसिक पर्यटन में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं जिसके लिए जनपद के सभी विकासखण्ड़ों में सर्वेक्षण कर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
6. सूचना :– टूरिज्म पर सूचना का अभाव है। इससे पर्यटकों को असुविधा होती है। सूचना प्रसार को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाईट या वेब एप बनाया जाना चाहिए जिससे सभी पर्यटकों को टूरिज्म गंतव्य पर तुरन्त सभी सूचनाऐं मिल सके।
7. कौशल विकास :– पर्यटन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों पर बल देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इनमें महिलाओं की संख्या कौशल विकास कार्यक्रमों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
8. ट्रेकिंग और हाइकिंग एक नियमित गतिविधि बनी हुई है। गतिविधि में विनियमन और सार्वजनिक–निजी समन्वय की आवश्यकता है क्योंकि यह राज्य में एक लोकप्रिय गतिविधि है। ट्रेकिंग और हाइकिंग को वन्य जीवन और बर्ड वॉचिंग को ट्रेकिंग और हाइकिंग से भी जोड़ा जा सकता है।
9. स्थानीय उत्पादों की माँग को बढ़ाते हुए होटल उद्योग के साथ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। अधिकतम खरीद स्थानीय रूप से की जानी चाहिए, जिससे स्थानीय किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार बन सके और स्थानीय समुदायों तथा होटल उद्योग के बीच एक साझेदारी भी स्थापित हो सके।
10. प्रकृति आधारित पर्यटन (ईको–टूरिज्म) के विकास की अपार सम्भावना है। प्रकृति–पर्यटन के लिए विशिष्ट गंतव्य और रमणीक स्थानों पर आधारित उप–योजनाएं विकसित की जा सकती हैं, जिसमें प्रकृति–पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि उन्हें लाभ मिल सके।
11. इन संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास रहने वाले स्थानीय समुदाय के प्रकृति आधारित पर्यटन में शामिल होने की आवश्यकता है। इससे आजीविका उत्पादन में मदद मिलेगी और उन्हें वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण में शामिल किया जाएगा।
12. नदियों में राफ्टिंग करने के लिए प्रशिक्षित गाइड्स की संख्या बढ़ाने और गाइड के उचित प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। सुरक्षा प्रबंधन को बढ़ाकर राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

उद्योग

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में विकास के लिए पी.एम.ई.जी.पी. तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लगभग सभी विकास खण्डों में हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट आधारित इकाईयाँ स्थापित की जा सकती हैं एवं इनका जनपद में अधिक संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
2. MSME इकाईयों के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्युत, जल, सड़क, परिवहन, संचार इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध कराने से अधिक विकास होगा।
3. MSME के क्षेत्र को कलस्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।
4. पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिये तुरन्त उपाय किये जायें।
5. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, विशेष रूप से ऐसे विकासखण्ड़ों/ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने चाहिए जहाँ ऐसी इकाईयों की कमी है।
6. राज्य में एम.एस.एम.ई. के विकास में हैंडहोल्डिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्षेत्रों की पहचान के लिए सामुदायिक भागीदारी का पता लगाया जाना चाहिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
7. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (2020) से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभाग को विशेष प्रयास करने चाहिए।
8. विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणस्तर पर उपलब्धता हेतु वॉलपेटिंग और हार्ड रूप में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी/कर्मचारी को माध्यम बनाने हेतु आगामी कार्ययोजना तैयार किये जाने पर विचार करने की आवश्यकता है।
9. ग्रामीण स्तर पर रोजगार–स्वरोजगार की सरलतम पहुँच हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण हेतु सर्वमान्य चैक लिस्ट निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि अलग–अलग बैंकों की अलग–अलग चैक लिस्ट की अनाश्वयक जटिलता से लाभान्वित होने वाले काश्तकारों को लाभा मिल सकें। सर्वमान्य बैंक चैक लिस्ट का प्रदर्शन विभागीय बेवसाइट पर भी किया जाय, ताकि आवेदक बैंक चैक लिस्ट से पूर्व से ही भिज्ञ हो सकेगा।
10. युवाओं को ऑफलाइन के साथ–साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान हो जिसका प्रचार–प्रसार विकासखण्डवार विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जाय, साथ ही उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तपोषण के उपरान्त किया जाय।
11. उद्योग स्थापना हेतु भूमि को 143 किये जाने में शिथिलता बरती जाय।

सहकारिता

1. किसानों की आय में वृद्धि न होने के कारण कई किसानों को ऋण अदायगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसानों का अल्पकालीन ऋण एवं क्रेडिट कार्ड की ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि किसानों को विपणन का उचित प्रबन्धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिस कारण उनकी फसल को उचित दाम उपलब्ध नहीं हो पाता। सहकारी समितियों में किसानों को ई–मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्राविधान किया जाना उचित होगा। भविष्य में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के परिणाम देखने को मिलेगें।
2. पलायन के प्रभाव से वर्तमान में उपजी सहकारिता की समितियों में 15 सदस्यों की बाध्यता को कम किया जाना आवश्यक होगा।
3. सहकारी बैंक सभी जनपदों में स्थापित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।
4. प्राविधानित की जाने वाली ऋण राशि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/गतिविधियों को कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के अनुसार श्रेणीवद्ध करते हुए निर्धारित की जाय।
5. सभी विभागों से समन्वयन करते हुए कृषक शॉपिंग कॉम्पलेक्स सभी जनपदों में स्थापित किये जाय, जो कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हों ताकि विभाग की राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के सभी क्षेत्रकों को मजबूती भी मिल सकेगी।

औषधिय/सुगन्धित पौधे

1. भौगालिक स्थिति को देखते हुए MAP की अपार संभावना है। छोटे–छोटे स्तर पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं तथा कई परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आय का स्रोत है। परन्तु व्यापक स्तर पर इसे अपनाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे ताकि युवाओं के लिए स्वरोजगार का साधन बन सके।
2. MAP प्रजातियों की विविधता आसानी से बढ़ाई जा सकती है क्योंकि वर्तमान में फोकस केवल तेजपत्ता, सर्पगन्धा और बड़ी इलायची पर है। ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए प्रजातियों में विविधता और गांवों/क्लस्टरों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जरूरत है।
3. यह गतिविधि उद्यान विभाग के साथ होने के अतिरिक्त राज्य औषधीय पादप बोर्ड जैसी एक अलग एजेंसी के माध्यम से बेहतर संचालित की जा सकती है, जहां यह गतिविधि उद्यान विभाग द्वारा लागू किए जाने वाले कई अन्य कार्यक्रमों के कारण उपेक्षित होती है।
4. MAP के अन्तर्गत सैकड़ों प्रजातियों के पौधे जंगलों में/घासनियों में उगते हैं अथवा उगाये जाते हैं। इनसे प्राप्त पत्तियाँ, जड़, तने आदि के Processing में स्थानीय लोगों का कौशल विकास करना आवश्यक है। साथ ही विपणन की प्रणाली भी निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे MAP से जुड़े लोगो को अधिक लाभ हो।
5. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थान पर बंजर खेत हैं क्योंकि काश्तकार पलायन कर गए हैं अथवा उन्होंने आजीविका के अन्य साधन अपना लिए हैं। इन बंजर खेतों को भी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार MAP के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

चाय विकास

1. चाय बागानों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है।
2. लीज किराये का भुगतान किसानों को शुरूआती वर्षों में भी देय हो, जब चाय बोर्ड को लाभ न हो रहा हो।
3. चायबोर्ड को जनपदों में चाय के क्षेत्रफल को बढ़ाये जाने की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
4. चाय के Processing एवं Packaging के लिए स्थानीय स्तर पर इकाई लगाने से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलेगा।
5. चाय विकास परिषद की विभिन्न स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का अभाव है। जिससे भू–स्वामी इसे बड़े पैमाने पर नहीं अपना पा रहे हैं इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

उरेड़ा विभाग

1. सोलर सेवा व सर्विस दिये जाने हेतु बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर सोलर सर्विस सेवा केन्द्रों को विकसित किये जाने का प्राविधान किया जाय।
2. राज्य के सभी विभागीय भवनों में सोलर पावर एवं सोलर थर्मल संयत्रों को स्थापित किये जाने की कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।
3. छोटे–छोटे हाइड्रो प्रोजेक्टों को विकसित किया जाय जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।
4. 200 कि0वॉट तक के प्लांट लगाने हेतु एच0टी0 (high tension) लाईन की दूरी के मानक को कम से कम 500 मी0 किया जाए। यानी 500 मी0 की दूरी तक विद्युत विभाग अपनी ही लाईन बिछा कर उपलब्ध करने का प्राविधान करे।
5. बिजली खरीदकर Tariff order हर वर्ष निर्धारित समय से पूर्व ही घोषित किए जाने से अधिक सुविधा होगी।
6. अधिकांश क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र कृषि भूमि पर लगाए जाते हैं जिसके लिए धारा 143 के अंतर्गत अनुमति लेना आवश्यक है। इस प्रक्रिया का सरलीकरण करना आवश्यक है।
7. सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की स्थापना से पूर्व स्थापना के समय तथा स्थापना के पश्चात् भी वैकल्पिक ऊर्जा विभग को Nodal विभाग के रूप में उद्यमी के साथ कार्य करना अनिवार्य होना चाहिए क्यों कि कई बार संयंत्र लगाते समय एवं संयंत्र लगाने के पश्चात् कई वर्षों तक उद्यमी को कठिनाई आती है और दूर–दराज के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञ की उपलब्धता न होने के कारण आर्थिक हानि होती है।

8- कई बार सौर संयंत्र के आस–पास के क्षेत्रों में यूपीसीएल के ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कम होने के कारण उद्यमी को आर्थिक हानि होती हैं क्योंकि Grid synchronization सफल रूप से नहीं हो पाता। अतः सौर संयंत्र लगाने से पहले यूपीसीएल अपने ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का व्यवहारिक अध्ययन करके उद्यमी को उचित सूचना दें। यह भी उचित होगा कि अधिक से अधिक क्षेत्रों का यूपीसीएल अपने ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का GIS मानचित्र बनाकर पोर्टल पर उपलब्ध करायें।